



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

ANNUAL REPORT
वार्षिक रिपोर्ट

2010-2011

DFCC



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन

TABLE OF CONTENT

S. No.	Topics	Page No.
1.	List of Directors	3
2.	General Information	4
3.	Chairman's Message	5
4.	Notice & Proxy Form	9
5.	Director's Report	11
6.	Corporate Governance Report (Annexure - A)	25
7.	Certificate (Annexure - B)	39
8.	Management Discussion and Analysis Report (Annexure - C)	40
9.	Declaration by Managing Director (Annexure - D)	47
10.	Balance Sheet	48
11.	Auditors' Report	70
12.	Comments on C&AG	74

LIST OF DIRECTORS

S. No.	Name of the Director	Designation	Date of Holding office w.e.f.
1.	Sh. Vinay Mittal	Part Time Chairman (Official)	08-07-2011
2.	Sh. R. K. Gupta	Managing Director	10-05-2011
3.	Sh. R. K. Sinha	Director (Finance)	17-09-2007
4.	Sh. P. N. Shukla	Director (Operation & Business Development)	15-10-2007
5.	Sh. A. K. Dutta	Director (Infra)	01-04-2010
6.	Sh. Anshuman Sharma	Director (Project Planning)	05-04-2011
7.	Sh. Ranjan Jain	Part Time Director (Official)	08-04-2011
8.	Sh. Gajendra Haldea	Part Time Director (Official)	02-05-2008
9.	Sh. D. T. Joseph	Part Time Director (Non official)	14-05-2010
10.	Sh. Bhaskar Gupta	Part Time Director (Non official)	23-11-2010

GENERAL INFORMATION

REGISTERED OFFICE/ CORPORATE OFFICE

Registered Office:

Room No 101-A, Rail Bhawan,
Raisina Road, New Delhi -110001

Corporate Office:

5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex,
New Delhi-110001

STATUTORY AUDITOR

M/s Jain Chopra & Co.
Chartered Accountants
105, Jyoti Bhawan,
Commercial Complex, Mukherjee Nagar
Delhi -110009

INTERNAL AUDITOR

K. M. Agarwal & Co.
Chartered Accountants
36, Netaji Subhash Marg
Darya Ganj,
New Delhi-110002

BANKERS

Union Bank of India
State Bank of India
HDFC Bank
ICICI Bank

CHAIRMAN'S MESSAGE

It gives me immense pleasure to welcome you all to the Fifth Annual General Meeting of the Company. The report of the Board of Directors and audited annual accounts of the Company for the year ended 31st March 2011 together with the Auditor's Report have already been circulated to you, and with your permission, I take them as read.

The Dedicated Freight Corridor is one of the biggest infrastructure projects undertaken by Govt. of India after independence. As the country's economy has entered into a high-growth phase, the infrastructure needs of the country have multiplied. To meet this economic challenge, Ministry of Railways have undertaken a mega project for a quantum jump in Railway's transportation capacity for ensuring a sustainable growth of the national economy. The golden quadrilateral comprise of some of the busiest routes of IR and the quadrilateral with two diagonals carry 55% of the revenue earning freight traffic of IR. The existing traffic routes of Howrah-Delhi on Eastern Corridor and Mumbai-Delhi on Western Corridor are highly saturated where line capacity utilisation varies from 115% to 150%.

Freight corridor concept plan is 10,122 Kms. but to begin with, the construction of two dedicated freight corridors on Eastern Corridor from Ludhiana to Dankuni via Mughalsarai of 1839 Kms. and on Western Corridor from Dadri to JNPT of 1534 Kms. have been approved. The DFC is a mega project and the completion cost as per the Business Plan is Rs.77630 Crore. The additional capacity of Eastern and Western Corridor will meet the demand of heavy coal movement' growing international trade and booming infrastructure construction.

I would like to mention some of the major project activities undertaken in the current year. The Business Plan of DFC setting out the framework of conduct of business of DFC Vision, Mission, Objectives and Supporting Strategies is approved. The Concession Agreement, which will be defining the relationship between Indian Railways and DFC, has also been approved. The Concession Agreement lays down the principles of the revenue stream for Dedicated Freight Corridor and which will be the basis of the operational and financial management of the company.

DFC Project has been declared as the special project of Ministry of Railways and land acquisition is being done as per Railway Amendment Act, 2008. Land is being acquired by DFCCIL on behalf of Central Govt. (MoR) through nominated competent authorities who are the revenue officers of the State Govt. DFC alignment in Eastern and Western Corridor passes through 61 districts of 9 states covering 10840 hectares of land (4349 hectares on Eastern Corridor and 6494 hectares on Western Corridor). While acquiring land for freight corridors, environmental issues like forest land in Thane, right of passage through Sanjay Gandhi National Park in Thane Distt. and forest clearance through Balaji-Ambaji Wildlife Sanctuary in Gujarat have posed major challenges.

In case of densely populated area, the detours have been proposed so as to minimise the shifting of population. The compensation for land is guided by the Principles of Equity and Justice enshrined in the Railway Amendment Act, 2008 and National Rehabilitation and Settlement Policy 2007. For this purpose, the compensation includes new benefits given in the entitlement matrix approved by the Ministry of Railways such as ex gratia payment, additional compensation to marginal farmers etc. By March 2011, about 6666 hectares of land (2541 hectares on Eastern Corridor and 4125 hectares on Western Corridor) has been notified for being taken over for construction of freight corridor. Out of this, compensation awards have been declared for 4252 hectares (1286 hectares on Eastern Corridor and 2946 hectares on Western Corridor) which is about 40% of the total requirement of land. Upto August 2011, 5004 hectares of land has been acquired which is 50% of the total requirement of DFC. By June 2012, entire DFC land acquisition is likely to be completed. On Eastern and Western Corridor, 303 Kms. of alignment had to be changed for minimizing the social and environmental impact due to construction of dedicated freight corridor.

I would like to throw some light on the progress of funding of the project. The Western Dedicated Corridor is to be funded by JICA (Japan International Cooperation Agency). The Eastern Dedicated Corridor between Ludhiana and Mughalsarai is to be funded by World Bank. The progress is as under

(i) Phase I (Vadodara – Rewari) 920 km (JICA)

Loan Agreement ID-P205 for Engineering Services Consultancy (Ph. I) for Two Billion Six hundred six million Japanese Yen and Loan Agreement ID-P209 for construction in the Phase I for Ninety Billion two hundred sixty two million Japanese Yen was signed with JICA on 31/03/2010 and activities for final execution have started in full swing. The construction contract is expected to be awarded by March 2012.

(ii) Phase II (Vadodara – JNPT and Rewari - Dadri) 564 km (JICA)

Loan Agreement ID-P212 for Engineering Services Consultancy (Ph.II) for One billion six hundred sixteen million Japanese Yen was signed with JICA. Loan Agreement for construction of Phase-II is expected to be signed in March, 2012.

iii) Funding for Mughalsarai-Kanpur-Khurja-Ludhiana section (1131 kms) of Eastern Dedicated Freight Corridor – World Bank "in principle" has agreed to finance Eastern Dedicated Freight Corridor from Mughalsarai to Ludhiana. World Bank has approved US\$ 975 million loan for Phase 1 Project of Eastern DFC from Khurja to Bhaupur (343km).

One of the important requirements for speedy construction of DFC is its organisation building for the construction phase. By 2015, 932 staff strength would be required for this purpose. DFC has taken recourse to market recruitment and Indian Railways have also been helping DFC by giving manpower on deputation right from inception.

It has also been decided to build Sonnagar – Dankuni section on Eastern DFC which is 525 Kms. long on Public Private Partnership (PPP) model. Various options of financial models are under evaluation by Railway Board which would form the basis of PPP agreement. Steps are being taken to expedite the process.

The project faces a number of challenges like development of new rolling stock with 25 t / 32.5 t axle load, high horse power locomotives and Multimodal Logistic Parks on the Dedicated Freight Corridors. To achieve the full potential of the freight corridors, parallel development of higher axle load wagons is a very important input so that heavier loads can be run on Dedicated Freight Corridors. To operate heavier loads, Railways are also developing high horsepower locos which will be very crucial as the maximum train speeds on the Dedicated Freight Corridors will increase from 75 Kmph to 100 Kmph. Further development of logistic parks is also a key infrastructure where Multimodal traffic handling arrangements with other allied services would be necessary.

Another area of challenge is development of feeder routes alongwith the freight corridor. The proposed feeder routes at present on Eastern and Western corridor have a route length of about 4,500 Kms. These routes have to be developed to run 25 t axle load and they need to be electrified to have uniformity of traction. These works will be necessary for seamless operation of traffic from ports to hinter land and for coal movement from mines to power houses.

With the rapidly changing corporate environment, Corporation is adopting CSR as a strategic tool for sustainable growth. The Corporation has formulated a long term Corporate Social Plan specifying activities to be undertaken, budgets allocated, responsibilities and authorities defined, and measurable results expected. We are committed to operate in an economically, socially and environmentally sustainable manner.

Ministry of Railways has entrusted DFCCIL with the task of managing Preliminary Engineering-cum-Traffic Survey (PETS) for future dedicated heavy haul freight corridor named as East Coast Corridor (between Kharagpur- Vijayawada, length about 1100 km), North-South Corridor (between Delhi-Chennai length about 2173 km), Southern Dedicated freight Corridor (between Chennai-Goa, length about 890 km) and East-West Corridor (between Kolkata-Nagpur-Mumbai, length about 2000 km) to be arranged through M/s. RITES. The work in this direction has started.

I would also like to inform you that as per the guidelines issued by Department of Public Enterprises on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises in May 2010, "A Report on Corporate Governance" and "Management Discussion and Analysis Report", forms the part of the Annual Report for the year ended 31st March 2011. Company is committed towards ensuring that business ethics and values are adhered to. The Corporation has achieved the targets as set out in the Memorandum of Understanding for the year 2010-2011 signed between Ministry of Railways and DFCCIL. The Corporation has been graded as "Good" by Department of Public Enterprises under the MOU targets for the year 2009-2010.

Acknowledgments

I thankfully acknowledge the cooperation and support extended by the Ministry of Railways, Zonal Railways, other Ministries under the Government of India, the State Governments and its Departments.

Further, I would like express my sincere thanks to the stakeholders of the Company for their support to the Company. I look forward to their continued support in future also. I sincerely express my gratitude to my colleagues on the "Board" for their valuable advice and their unstinted cooperation.

I must place on record my sincere thanks to our Bankers and Business Associates for their cooperation and support to DFFCIL.

I acknowledge the dedicated, concerted, and sincere efforts put in by all officers and employees of the Company. I am sure that with our dedicated efforts, it would be possible to achieve the mission of the Company by pursuing the company's motto of Sincerity, Speed and Success, through a focused approach.

Date : 17.09.2011
Place : New Delhi

Sd/-
Vinay Mittal
Chairman

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 5th Annual General Meeting of the Members of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited will be held on Saturday, 17th day of September 2011 at 12.30 P.M. in Board Room, 5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi-110001 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as at 31st March 2011 and the schedules annexed thereto together with the Directors' and Auditors' Report and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

Place : New Delhi
Date : 01.09.2011

By Order of the Board

Sd/
Meenu Kapoor
Company Secretary

Note:

1. **A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the Proxy need not be the member of the Company. The instrument appointing the Proxy should, however, be deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight hours before the commencement of the Meeting.**
2. The Proxy Form is attached herewith.



PROXY FORM

I.....of..... resident/s of being the member of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, hereby appoint Mr/Ms.....of.....or failing him/her.....ofas my/our proxy to attend and vote for me on my behalf at 5th Annual General Meeting of the Company to be held on Saturday, 17th day of September 2011 at 12.30 P.M. in Board Room, 5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi-110001 and/or at any adjournment thereof.

Signed this.....day of2011, Signature.....

Ledger Folio No of Shares held

Name:

Address:

Re. 1/-
Revenue
Stamp

NOTE:

The Proxy in order to be effective must be received by the Company at the registered office, not less than 48 hours before the time of the meeting. The proxy need not be a member of the Company.

DIRECTORS' REPORT

Ladies /Gentlemen,

Your Directors have pleasure in presenting the Fifth Annual Report of the Company along with the Annual Accounts for the year ended 31st March 2011.

1. SUMMARY OF ANNUAL ACCOUNTS 2010-11.

The Corporation has incurred the following expenditure during the year.

A. Expenditure on Project Execution

The cumulative expenditure on Project Execution of Rs. 360.85 Crores as on 31st March, 2011. The gross expenditure during the year 2010-11 on Project Execution is Rs. 221.65 Crores, which includes direct expenditure of Rs 177.60 Crores; Overheads of Rs 40.94 Crores and taxes on Interest Income of Rs 3.11 Crores.

The Corporation has Gross Receipts of Rs 26.60 Crores during the year, which includes interest Income of Rs 17.31 Crores (including interest on Mobilization Advance of Rs 8.74 Crores), Facility management charges & Rent Recovered on sub-lease Rs 7.57 Crores and other Receipts Rs 1.72 Crores. Thus, the net expenditure during the year 2010-11 is Rs 201.28 Crores.

B. Investment in Fixed Assets

The investment in Fixed Assets is Rs 18.64 Crores as on 31st March, 2011, which includes Computers, Computer Software & Peripherals amounting to Rs 3.34 Crores, Furniture & fixtures of Rs 1.60 Crores, Office Equipments of Rs 4.15 Crores & lease hold premises improvement of Rs. 9.55 Crores.

2. PROGRESS OF THE PROJECT

A. Land Acquisition

During the year under review, highest priority was given to land acquisition of over 10843 hectares spread over 3353 kms for both the corridors, as it is very essential for the success of the project. On the Eastern DFCC, it is spread over a length 1835 kms and an area of about 4349 hectares (excluding Sonnagar to Dankuni) and on the Western DFC, it is spread over a length of 1518 kms and an area of about 6494 hectares. Notification u/s 20A (intention to acquire the land) of Indian Railways Amendment Act (2008) have been published for more than 2458 kms spread over 9145 hectares. Notification u/s 20E (land vest with Central Government) of Indian Railways Amendment Act 2008 have been

published for more than 2043 kms spread over 6760 hectares. Notification for u/s 20F (Declaration of Compensation Award) of Indian Railways Amendment Act 2008 have been published for more than 1275 kms spread over 3698 hectares.

B. Funding

(i) Phase I (Vadodara – Rewari) 920 km (JICA)

Loan Agreement ID-P205 for Engineering Services Consultancy (Ph.I) for Two Billion Six hundred six million Japanese Yen and Loan Agreement ID-P209 for construction in the Phase I for Ninety Billion two hundred sixty two million Japanese Yen signed with JICA.

(ii) Phase II (Vadodara – JNPT and Rewari - Dadri) 564 km (JICA)

Loan Agreement ID-P212 for Engineering Services Consultancy (Ph.II) for One billion six hundred sixteen million Japanese Yen signed with JICA. Loan Agreement for construction of Phase-II is expected to be signed in March,2012.

iii) Funding for Mughalsarai-Kanpur-Khurja-Ludhiana section (1131 Kms) of Eastern Dedicated Freight Corridor – World Bank “in principle” agreed to finance Eastern Dedicated Freight Corridor from Mughalsarai – Ludhiana. World Bank has approved US\$ 975 million loan for Phase I Project of Eastern DFC from Khurja – Bhaupur (343km).

C. Major Contracts

During the period under review, the company has the following major contracts under progress:

Western Corridor

(A) Works/Consultancy Contracts

1. Design and Construction of Important and Major Bridges (54) of Western Freight Corridor between Vaitarna and Uttran (approx. 200 Kms.) on Vasai-Bharuch section in the states of Maharashtra and Gujarat, India on lump sum contract basis (Tender No. HQ/EN/WC/Bridges/D&B/1). Out of the total No. of 54 Bridges covered under above tender. Design has been approved for 20 Bridges and physical work is under progress on 16 Bridges.
2. Engagement of Project Management Consultants for Design and Construction of Important and Major Bridges (54) of Western Freight Corridor between Vaitarna and Uttran (approx. 200 Kms.) on Vasai-Bharuch section in the states of Maharashtra and Gujarat (Tender Document No. HQ/EN/WC/Bridges/PMC/1 dated 01.10.2008.)

(i) Engineering Consultancy Services Contract for the project, for construction of Dedicated Freight Corridor for Phase I, between Rewari-Vadodara Section and for feasibility study for Phase II, between Dadri-Rewari Section and Vadodara-JNPT Section awarded.

(ii) Detailed Engineering feasibility surveys for parallel alignment between Kalol and Palanpur (140 Km), for Detour Alignment on Surat, Dhanu Road, Vasai- Juhichandra & Panvel, completed”.

(B) Preliminary Works Contracts

1. Design of Railway Bridges of DFCC Project between Vaitarna & Uttran.
2. Feasibility of construction of Road Over Bridges in lieu of Level crossings. “General Arrangement Design for proposed Rail over Bridge on all level crossings having TUV's more than 50,000 between Rewari-Jawaharlal Nehru Port Trust was prepared”.
3. General Engineering Consultancy Contract for alignment of Phase I, 922 Kms length, between Rewari-Vadodara has been finalized, except for 140 Kms section. Pre-Qualification invitation for Civil and Track works for 625 Kms length, out of 922 Kms total length, of Phase I between Rewari-Vadodara has been issued.




Eastern Corridor

(A) Works Contracts:

1. Design and Construction of formation including Blanketing, Major Bridges, Minor Bridges, RUBs, ROBs, supply and spreading of Ballast and other related infrastructural works for Dedicated Freight Corridor from chainage 14.108 Km (near new Karwandiya) to chainage 119.437 Km. (Near New Ganj Khwaja) (Approximate 105 Kms) on Mughalsarai-Sonnagar section of Eastern Corridor in the states of Bihar and Uttar Pradesh.

Physical work between New Karwandiya to Durgawati stations is in full swing. Earth work completed up to the end of financial year was 15 Lakh cu.mt. i.e. 60% of scope. Out of 127 Minor Bridges, casting of foundation for 61 nos., casting of Boxes of 67 nos. & 7 nos. cast in Situ Bridges was completed. Pile work for piers for Major Bridge was completed.

Some photographs highlighting the progress of the work are as under:



(B) Consultancy Contracts:

1. Project Management Consultancy Services to facilitate Construction of formation including blanketing, Major Bridges, Minor Bridges, RUBs, ROBs, Supply and Spreading of Ballast and other related infrastructural works for Dedicated Freight Corridor from Chainage 14.108 Km (Near New Karwandiya) to Chainage 119.437 Km (Near New Ganj Khawaja) (Approx.105 Kms.) on Mughalsarai-Sonnagar Section of Eastern Corridor in the states of Bihar and Uttar Pradesh in India.
2. Detailed Environmental Impact Assessment of Mughalsarai-Khurja Section (about 726 Kms.) on Eastern Dedicated Freight Corridor.
 - Environmental Impact Assessment for Phase-I Bhaupur-Khurja section has been completed.
 - Environmental Impact Assessment for Phase-II Mughalsarai-Bhaupur section is under progress.
3. Detailed Social Impact Assessment of Mughalsarai-Khurja Section (about 726 Kms.) on Eastern Dedicated Freight Corridor.
 - Social Impact Assessment for Phase-I Bhaupur-Khurja section has been completed.
4. Consulting Services for Civil Engineering Proof Consultancy for Khurja-Bhaupur section of Eastern Dedicated Freight Corridor.
 - Work completed.
5. General Consultancy Services for the Work of Double Line Electrified Railway track along with Signaling and Telecommunication system and related infrastructure for Bhaupur–Khurja section of Eastern DFC.
 - Pre-Qualification for CST contract was invited on 14.07.2010 and Evaluation Report submitted for World Bank approval. Draft bid document for CST Contract is under finalization in consultation with World Bank.
6. Design Review Consultancy Services for Khurja–Bhaupur section of Eastern Dedicated Freight Corridor.
 - Review of Design Specifications for first design-build lump sum contract of Khurja–Bhaupur section has been completed. Review of Performance Specification is under finalization.
7. Detailed Engineering Construction Survey of the proposed alignment of the section, preparation of land Plan and Land Acquisition Proposal as per Railway (Amendment) Act, 2008, identification of utilities & preparation of schedule of quantities for construction of Dedicated Freight Corridor from Dankuni at Km 14.81 to Dhanbad at Km 270.88 (Approx. route length of 256 Kms) on Eastern Dedicated Freight Corridor.

- Survey work has been completed. Preparation of land plans and land acquisition activities are under progress.
- 8. Detailed Engineering Construction Survey of the proposed alignment of the section, preparation of land Plan and Land Acquisition Proposal as per Railway (Amendment) Act, 2008, identification of utilities & preparation of schedule of quantities for construction of Dedicated Freight Corridor from Dhanbad at Km 270.88 to Sonnagar at Km 549.04 (Approx. route length of 278 Kms.) on Eastern Dedicated Freight Corridor
 - Survey work of parallel portion along with Gaya Detour has been completed. Survey work in Kodarma Detour and land related activities are in progress.

(C) Tenders:

1. Design and Construction of Civil, Structures and Track Works for Double Line Railway involving formation in Embankments/Cuttings, Ballast on Formation, Track works, Bridges, Structures, Buildings including Testing and commissioning on Design-Build lump sum basis for Bhaupur-Khurja section of Eastern Dedicated Freight Corridor.

Pre-Qualification for above work was invited during the year. Bid preparation and processing is under process.

3. CAPITAL STRUCTURE

As on 31st March 2011, the Authorized Share Capital of Company stands at Rs. 4000,00,00,000 (Rupees Four Thousand Crores) divided into 4,00,00,000 (Four Crores) Equity shares of Rs. 1,000/- each.

As on 31.03.2011, the Company's paid up Share Capital was Rs 559,13,00,000 (Rupees Five Hundred Fifty Nine Crores Thirteen Lacs) divided into 55,91,300 (Fifty Five Lac Ninety One Thousand Three Hundred only) Equity Shares of Rs.1000/- each and Share Application Money was Rs.108 Crores. The Paid up Capital of the Company has been enhanced on account of equity contribution from Ministry of Railways.

4. COMPLIANCES

A. Rajbhasha (Official Language)

In order to ensure the proper implementation of the Rajbhasha (Official Language) Rules, the Rajbhasha Cell under Mukhya Rajbhasha Adhikari ensures that special emphasis is being given to ensure maximum use of Hindi in official dealings i.e. in office noting and communication with other constituents has been constituted. DFCCIL, Corporate Office has

been notified under Rule 10(4) of Official Language 1976 Rules. Rajbhasha Karyanvyan Samiti meets every quarter. A number of steps have been taken to promote the use of Rajbhasha i.e. printing of all the stationery, General Circulars, Land Acquisition and Gazette notifications are being done in bilingual form. All the computers have bilingual facility. DFCCIL Website has bilingual version.

Rajbhasha Pakhwada was organized in DFCCIL from 14.09.2010 to 28.09.2010. During the Pakhwada, different competitions were arranged and the prizes were distributed to the winners. Progressive use of Hindi is encouraged through various incentive schemes and workshops.

B. Right to Information Act, 2005.

The Right to Information Act seeks to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority.

The Company has appointed Central Public Information Officer, whose names are posted on the website of the Company. During the year under review company received approx. 130 RTI applications and all cases were disposed off within the stipulated time.

C. MCA 21 E -filing

In terms of Companies (Electronic Filing and Authentication of Documents) Rules, 2006, the Company has filed all the statutory forms and returns electronically during the year under review.

D. Memorandum of Understanding

During the period under review, in terms of the MoU Guidelines issued by Department of Public Enterprises, a Memorandum of Understanding to be signed with Ministry of Railways was discussed with the Task Force of Transport & Tourism Syndicate.

In terms of the MoU (2011-12) between Ministry of Railways and DFCCIL, Company is to achieve Project related Parameters, Dynamic parameters, Corporate Social Responsibility Parameters, Human Resource Management, Sustainable Development, Sector Specific and Enterprise Specific Variables.

The Company has been ranked under the "Good" grading of MoU for the year 2009-2010 by the Department of Public Enterprises.

E. Vigilance

During the year under review, there was no full time dedicated vigilance unit. GM/Admin was looking after as Part Time CVO upto 20.08.2010 and a multi disciplinary team was constituted to carry out the preventive vigilance work and to investigate the complaints. Thereafter, Executive Director/Vigilance (Accounts), Railway Board looked after the work of CVO in addition to his own charge w.e.f. 08.09.2010 (FN) as part time CVO/DFCCIL. The Vigilance Department administer, both preventive and as well as punitive vigilance.

In terms of the Ministry of Railways Office Memorandum No. 2010/E(O)II/39/6 dated: 22.03.2011 and Office Order No. A-22012/1/2005-Admn.I dated 11.04.2011 of Ministry of Urban Development; a full time Chief Vigilance Officer/DFCCIL has joined Corporate Office on 11.04.2011 (FN) on deputation terms.

The Vigilance Unit arranges Vigilance Awareness programmes. The Company observed the Vigilance Awareness Week from 25th October, 2010 to 1st November, 2010. During the Vigilance Awareness Week, Anti Corruption Oath taking ceremony was organized.

5. INFORMATION TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT

DFCCIL has embarked on a project to create and deploy an enterprise-wide Integrated IT System, which will enable its core organizational business functions and provide each employee with an environment to conduct its regular office activities more efficiently and effectively. The proposed IT system will help DFCCIL to preserve important artifacts (plans, drawings, notes, documents, reports etc) in a secure and manageable environment in digitized format for eternity. DFCCIL would be working in a new environment where its employees would have access to any business related information at the click of the mouse. In the proposed environment, DFCCIL's CPM offices will always remain connected to the headquarter and will never be isolated.

The table below captures the benefits of each stakeholder/user of the enterprise-wide Integrated IT system of DFCCIL:

System Users/ Stakeholders	Benefits
Department Users	<ul style="list-style-type: none"> Faster and structured availability of information Well-defined workflows Clarity of roles and responsibilities Faster access to enterprise resources Clean and paperless work environment.
Employees	<ul style="list-style-type: none"> Online information on salary, income tax, pension, loans and other benefits Online information on HR policies, Government Notices Secure e-mail services Remotely available services via Internet
Audit Officials	<ul style="list-style-type: none"> Readily available information on revenue and expense Top Management Decision Support System Integrated view of data
CPM Offices	<ul style="list-style-type: none"> Efficient Project & Contract Management Faster access to enterprise resources Proper control and monitoring of financial transactions Easy generation of reports for management reporting
Project Consultants	<ul style="list-style-type: none"> Online access to drawings and plans
Contractors	<ul style="list-style-type: none"> Transparent contract management Timely clearance of bills and payments Real-time availability of project status
MoR/ External Funding Agencies	<ul style="list-style-type: none"> Comprehensive information on the utilization and performance of the funds provided by them

6. INDUSTRIAL RELATIONS

During the year under review, the industrial relations remained peaceful and harmonious. The Foundation day of DFCCIL was celebrated on 30th October 2010 with austerity. On this occasion, a cultural program was organized which was attended by various dignitaries, Senior Railway Officers & Staff of DFCCIL.

In order to have vibrant and powerful means of dissemination of credible information, DFCCIL introduces a quarterly newsletter captioned "DFCC News" with its inaugural issue published on 14/02/2011. It helped in creating a productive and positive perception amongst different stakeholders and people at large.

7. BOARD OF DIRECTORS

During the year under review, there was change in the composition of the Board of DFCCIL on account of appointments and cessation, which is as follows:

1. Sh. A.K. Dutta, IRSEE (DITS 30.10.1978) assumed the charge of the post of Dir (Infra) /DFCCIL on 01.04.2010.
2. Sh. D.T. Joseph, Ex-Secretary, Government of India and Sh. M. Damodaran, Ex-Chairman, SEBI joined as Non-official part time Directors on the Board of the Company w.e.f. 14.05.2010 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.
3. Sh. Vivek Sahai, Chairman Railway Board joined as part time Chairman on the Board of DFCCIL from 02.06.2010 vice Sh. S.S. Khurana.
4. Sh. R.N. Bartarya, Advisor(Infra)/ Railway Board joined as part time official Director on the Board of DFCCIL w.e.f. 12.07.2010 in place of Sh. Pradeep Bhatnagar, Ex-Advisor (Infra), who has since been transferred.
5. Sh. S.K. Malik, AM/CE, Railway Board was entrusted with the duties of Managing Director /DFCCIL in addition to his own charge temporarily for a period of 60 days or until further orders, whichever is earlier vide Railway Board's Office Order No. 2007/E(O)II/40/5 dated 13.09.2010 and extended w.e.f. 12.11.2010 upto 30.11.2010 or until further orders, whichever is earlier.
6. Prof. Sh. Bhaskar Gupta, Department of Telecom Engineering, Jadavpur University was appointed as Non official part time Director on the Board of the Company by President of India, with immediate effect from 23.11.2010 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.
7. Sh. B.N. Rajasekhar, Advisor (Planning), Railway Board was entrusted with the duties of Managing Director/DFCCIL in addition to his own duties with effect from 01.12.2010 or until further orders vide Railway Board's Office Order No. 2007/E(O)II/40/5 dated 30.11.2010.

8. Shri. A.K. Dutta, Director (Infra)/ DFCCIL looked after the duties of the post of Managing Director/DFCCIL, in addition to his own duties for a period commencing from 22.03.2011 to 10.05.2011.

Following directors have joined the Board after the closure of the financial year 2010-2011.

1. Vide DFCCIL Office Order No. HQ/HR/P.File/293 dated 05.04.2011, Sh. Anshuman Sharma, Ex-IRSE, GM, IRCON has joined on 05.04.2011(FN) as Director (Project Planning) DFCCIL for a period of five years with effect from the date of assumption of charge of the post or till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier, subject to the outcome of WP(C) 6080/2010 in Delhi High Court in the matter of Sh. B.B. Saran.
2. Vide Railway Board's letter No. 2007/Infra/6/4/Pt.I dated: 08.04.2011, President of India nominated Sh. Ranjan Jain, Advisor (Infra)/ Railway Board as a part time Director on the Board of DFCCIL in place of Sh. R. N. Bartarya, Ex-Advisor(Infra), who has since transferred.
3. Vide Railway Board's letter No. 2010/ E(O)II/40/25 dated: 09.05.2011, President of India has approved the appointment of Sh. R.K. Gupta, CAO(Con.) Northern Railway as Managing Director /DFCCIL on deputation basis , with exemption of the post from the rule of immediate absorption, initially for a period of two years, which could be extended for a total tenure of five years, on year to year basis, after annual review of performance. He assumed the charge of Managing Director on 10.05.2011 (FN).
4. Vide Railway Board's letter No.2009/Infra/6/2 dated: 08.07.2011, President of India is pleased to appoint the Board of DFCCIL with immediate effect vice Sh. Vinay Mittal, Chairman Railway Board, as a part time Chairman on the Board of DFCCIL with immediate effect.

The following Directors ceased to hold office during the financial year 2010-11.

1. Sh. V. K. Kaul, Managing Director, DFCCIL ceased to hold the office due to termination with effect from 06.10.2010 vide Railway Board's Office order No.2007/E(O)II/40/5.
2. Sh. B. B. Saran, Dir (Project & Planning) ceased to hold office due to superannuation on 31.01.2011.

The following Directors ceased to hold office after the closure of the financial year 2010-11.

- a. Sh. R. N. Bartarya, Ex-Advisor (Infra) ceased to hold the office of the part time Director w.e.f. 08.04.2011 vide Railway Board's letter No. 2007/Infra/6/4/Pt.I dated: 08.04.2011.
- b. The President of India accepted the resignation of Sh. M. Damodaran from the position

of part time official Directors on the Board of DFCCIL vide Railway Board's letter No. 2008/Infra/6/1/Pt.II dated 08.04.2011.

- c. Sh. Vivek Sahai, Ex. Chairman Railway Board ceased to hold the office of the part time Chairman w.e.f. 08.07.2011 vide Railway Board's letter No.2007/Infra/6/4/Pt.I dated:08.07.2011.

The following Directors are holding office as on the date of this Report:

S. No.	Name of the Director	Designation	Date of Holding office w.e.f.
1.	Sh. Vinay Mittal	Part Time Chairman (Official)	08-07-2011
2.	Sh. R. K. Gupta	Managing Director	10-05-2011
3.	Sh. R. K. Sinha	Director (Finance)	17-09-2007
4.	Sh. P. N. Shukla	Director (Operation & Business Development)	15-10-2007
5.	Sh. A. K. Dutta	Director (Infra)	01-04-2010
6.	Sh. Anshuman Sharma	Director (Project Planning)	05-04-2011
7.	Sh. Ranjan Jain	Part Time Director (Official)	08-04-2011
8.	Sh. Gajendra Haldea	Part Time Director (Official)	02-05-2008
9.	Sh. D. T. Joseph	Part Time Director (Non official)	14-05-2010
10.	Sh. Bhaskar Gupta	Part Time Director (Non official)	23-11-2010

8. Auditors

M/s. Jain Chopra & Co. Chartered Accountants, New Delhi, were re-appointed as Statutory Auditor of the Company by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India for the financial year 2010-11.

9. Auditors' Report

The Auditors' Report submitted by M/s Jain Chopra & Co. Chartered Accountants, along with Notes to the Accounts is self-explanatory.

10. Comments of the Comptroller & Auditor General of India.

The comments of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of the Company for the year ended 31st March, 2011 forms an integral part of Annual Report 2010-2011.

11. Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earning and Outgo.

The particulars required to be disclosed pursuant to section 217 (1) (e) of the Companies Act, 1956 read with Companies (Disclosure of Particulars in the Report of the Board of Directors) Rules, 1988 in respect of the Conservation of Energy and Technology Absorption shall be treated as Nil.

However, the Foreign Exchange Earnings and Outgo during the period under review are:

Foreign Exchange Earnings	-	NIL
Foreign Exchange Outgo	-	Rs. 60,85,380/- out of which
Subscription fees for IT	-	Rs. 18,02,486/-
Tour & Travel Expenses	-	Rs. 2,19,938/-
Project Consultancy Services	-	Rs. 40,62,956/-

12. Particulars of Employees/Directors' Remuneration.

Information as per section 217 (2A) of the Companies Act, 1956 read with Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975 as amended from time to time is not required to be disclosed as none of the employees and Directors was in receipt of remuneration in excess of the limits prescribed therein.

The total cost of managerial remuneration during the financial year 2011-12 is Rs. 89,32,196/- out of which total remuneration value is Rs. 64,76,254/- and the value of perquisites is Rs. 24,55,942/-.

13. Directors' Responsibility Statement under Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956.

As required in terms of section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956, the Directors confirm that:

- (I) In preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanations relating to material departures.

- (ii) The Directors have selected such accounting policies, applied them consistently, and made judgment and estimates that are reasonable and prudent so as to give true and fair view of the state of affairs of the company for that period.
- (iii) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- (iv) The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.

14. Corporate Governance

As per the Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises, following forms an integral part of this Directors' Report.

A "Corporate Governance Report " placed at Annexure "A" highlighting the philosophy of the Company on the Corporate Governance, composition of Board of Directors as well as their attendance in various meetings, remuneration of Directors etc. and other relevant disclosures.

Certificate of compliance of Corporate Governance obtained from practicing Company Secretary placed at Annexure "B".

A "Management Discussion and Analysis Report" placed at Annexure "C".

15. ACKNOWLEDGEMENT

The Directors wish to place on record their sincere thanks to Ministry of Railways, State Governments, Zonal Railways, The Statutory Authorities and Government agencies for their support and patronage.

The Board would also like to acknowledge with thanks the co-operation extended by C&AG, the Statutory Auditors and the Bankers of the Company.

The Board of Directors acknowledge and wish to place on record their appreciation for the co-operation and support extended by the associates, the DFCCIL employees and others who have extended their valued co-operation, support and guidance to the company, from time to time.

For and on behalf of the Board

Sd/-
(Vinay Mittal)
Chairman

Place: New Delhi
Date: 01.09.2011

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. A brief statement on Company's philosophy on Corporate Governance

The Company believes in achieving the Company's Goal and objectives through the highest levels of transparency, accountability and equity in all spheres of its operations and in all its dealings. The Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of Laws, rules, regulation and adherence standard to achieve the objects of the Company.

The key value is to believe in “Speed, Sincerity and Success”. The Cardinal principles such as Accountability, Responsibility, Transparency and Fair disclosures serve as the means for achieving this.

2. Board of Directors:

2.1 Composition of the Board of Directors:

In terms of Article 80 of the Articles of Association of the Company, the President of India has determined in writing that there shall be a total of 12 Directors on the Board of DFCCIL. The President of India vide letter no. 2008/Infra/6/1 dated 14.05.2010 has approved the composition of the Board of Directors of DFCCIL as follows:

- Chairman Railway Board (CRB) as a Part Time Chairman.
- Five Full Time Functional Directors including Managing Director.
- One Nominee of Ministry of Railways.
- One Nominee of Planning Commission.
- Four Independent Non-official Directors including one from financial institutions depending on requirement.

2.2 Strength of the Board

On the date of the report, the total present strength of the Board of Directors of the Company is ten comprising five whole-time Directors, one part time Chairman, two part-time official Nominee Directors from Ministry of Railways and Planning Commission respectively and two independent part time Non-official Directors. In terms of Article 81 (1) (a) of the Articles of Association of the Company, The President of India has the power to appoint Directors of the Company.

Following directors have joined the Board after the closure of the financial year 2010-2011.

- a. Vide DFCCIL office order no. HQ/HR/P.File/293 dated 05.04.2011, Shri Anshuman Sharma Ex-IRSE, GM, IRCON has joined on 05.04.2011(FN) as Director (Project Planning) DFCCIL for a period of five years with effect from the date of assumption of charge of the post or till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier, subject to the outcome of WP(C) 6080/2010 in Delhi High Court in the matter of Sh. B. B. Saran.
- b. Vide Railway Board Letter No. 2007/Infra/6/4/Pt.I dated 08.04.2011, President of India nominated Sh. Ranjan Kumar Jain, Advisor (Infra)/ Railway Board as a part time Director on the Board of DFCCIL in place of Sh. R. N. Bartarya , Ex-Advisor (Infra), who has since transferred.
- c. Vide Railway Board's Letter No 2010/ E(O)II/40/25 dated 09.05.2011, President of India approved the appointment of Shri. R.K. Gupta, CAO(Con) Northern Railway as Managing Director /DFCCIL on deputation basis , with exemption of the post from the rule of immediate absorption, initially for a period of two years, which could be extended for a total tenure of five years, on year to year basis, after annual review of performance . He assumed the charge of Managing Director on 10.05.2011 (FN).
- d. Vide Railway Board's letter no. 2009/Infra/6/2 dated: 08.07.2011, President of India is pleased to appoint Shri. Vinay Mittal, Chairman Railway Board, as a part time Chairman on the Board of DFCCIL with immediate effect.

Following directors ceased to be on Board after the closure of the financial year 2010-2011.

- a. Sh. R.N. Bartarya, ex-Adv. (Infra) ceased to hold the office of the part time Director w.e.f 08.04.2011 vide Railway Board's letter No. 2007/Infra/6/4/Pt.I dated 08.04.2011.
- b. The President of India accepted the resignation of Sh. M. Damodaran from the position of part time official Directors on the Board of DFCCIL vide Railway Board's letter No. 2008/Infra/6/1/Pt.II dated 08.04.2011.
- c. Sh. Vivek Sahai, ex. Chairman Railway Board ceased to hold the office of the part time Chairman w.e.f. 08.07.2011 vide Railway Board's letter no. 2007/Infra/6/4/Pt.I dated 08.07.2011.

4.	Director (Project Planning)	Sh. B.B. Saran (Held office from 19.06.2008 to 31.01.2011)	1	Nil	5	5	Yes
4(a)	Director (Project Planning)	Sh. Anshuman Sharma (Held office from 05.04.2011)	NA	NA	NA	NA	NA
5.	Director (Infra)	Sh. A.K. Dutta (held office from 01.04.2010)	1	Nil	6	5	No
(III) Director (Part-time official)							
1.	Adviser (Traffic) Railway Board(held office up to 12.07.2010	Sh. Pradeep Bhatnagar (held office from 28.02.2008)	1	As Chairman-1	3	3	NA
2.	Adviser (Infra) /Railway Board (held office up to 08.04.2011)	Sh. R.N. Bartarya (held office from 12.07.2010)	1	As Chairman-1	3	3	Yes
3.	Advisor (Infrastructure) /Railway Board	Sh. Ranjan Kumar Jain (held office from 08.04.2011)	NA	NA	NA	NA	NA
4.	Advisor of Deputy Chairman, Planning Commission	Sh. Gajendra Haldea (held office from 02.05.2008)	1	Nil	6	6	Yes
(IV) Independent Directors (Part Time non official)							
1.	Part Time non-official	Sh. D.T. Joseph (held office from 14.05.2010)	7	Audit Committee (Member) -3 Audit Committee (Chairman)-2 Shareholders Grievance (Member)-1	5	4	No
2.	Part Time non-official	Sh. M. Damodaran (held office from 14.05.2010 to 08.04.2011)	7	Audit Committee (Member) -3 Audit Committee (Chairman)-2 Shareholders Grievance (Member)-1	5	3	No
3.	Part Time non official	Prof. Sh. Bhaskar Gupta (held office from 23.11.2010))	1	NA	2	2	NA

NOTES:

1. The Directorships and memberships in the Committees being held by the Directors are within the limits laid down under Companies Act, 1956. For the purpose of Section-275 of Companies Act 1956, the Directorship in a private company which is neither a subsidiary nor a holding company of a public company is excluded.
2. The term "part-time official" indicates the Government nominee Directors on the Board of DFCCIL who are the officials of the Ministry of Railways and Planning Commission.
3. The term "part time non official" means the Independent Directors.
4. For the purpose of considering the limit of the Committees on which a Director can serve, all public limited companies, whether listed or not, is included.
5. For the purpose of reckoning the limit for chairmanship/membership, the Audit Committee and the Shareholders' Grievance committee alone is taken.
6. The word "NA" denotes "Not Applicable" as either the concerned Directors have joined the Board after the financial year 2010-11 or the relevant parameter has not fallen due during their tenure.

During the financial year 2010-2011, the Board of Directors met six times to transact the business and have complied with the provisions of Companies Act, 1956 read with the DPE guidelines relating to Board Meetings. In all cases of absence of Director, Leave of Absence was granted under clause (g) of sub section (1) of section 283 of the Companies Act, 1956. The meetings of the Board of Directors of DFCCIL were held on following dates as mentioned below:

S. No.	Quarter	Dates
1.	For the quarter ended June 2010	12.05.2010, 25.06.2010
2.	For the quarter ended September 2010	02.07.2010, 29.09.2010
3.	For the quarter ended December 2010	16.12.2010
4.	For the quarter ended March 2011	26.02.2011

Brief Resume of Directors appointed after the financial year 2010-2011.**I) Sh. Anshuman Sharma, Director (Project Planning), DFCCIL, w.e.f. 05.04.2011**

Sh. Anshuman Sharma belongs to 1984 Batch of IRSE. He has a Bachelors' Degree in Civil Engg. and Masters' Degree in STRUCTURES from University of Roorkee (Now IIT, Roorkee). He is a Bridge design and execution specialist with 16 years experience in planning and execution of Railway Construction projects. He was in-charge for maintenance of Civil Engg. assets and co-ordination of various divisional activities of Secunderabad and Guntakal divisions of Indian Railways for 7 years. He has published various technical papers on Bridge

Construction techniques. He has attended various national and international seminars including International Convention on Optimizing the Wheel/Rail System at Salzburg, Austria and China Rail World Summit at Beijing. He was associated in design and execution of 3rd Godawari Bridge consisting of 28 spans of 100m Bow String Arch Bridge. He was actively associated with construction of J&K Rail link project, which involved construction of 11.0 Km long tunnel across Pir Panjal range. He had worked as supervisory Board member for various DMRC projects executed by IRCON. He received Railway Ministers Award in 1995 for completing the execution of 100 Km long construction project, which included two Important bridges of each more than 700m length in a record time of 8 months.

ii) Sh. Ranjan Kumar Jain, Part time Official Director, DFCCIL w.e.f. 08.04.2011

Sh. R.K. Jain, Officer of 1978 batch of Indian Railway Traffic Service has joined as Adviser (Infrastructure), Railway Board on 28.03.2011. He is an engineering graduate in Electronics and Communication from IIT Roorkee. Sh. R.K. Jain is the nodal officer for the Dedicated Freight Corridor Project in Railway Ministry. His current assignment also includes long term planning for Infrastructure creation over Indian Railways, coordination for implementation of PPP Projects, International Railway Cooperation and developing Long Range Decision Support System (LRDSS) for Railways. He also represents Indian Railways on the Board of Directors of International Heavy Haul Association (IHHA), USA.

Besides, he is also a member of Steering Committees formed as per MOUs between Indian Railways and few foreign Railways of Germany, France, China, South Africa, Austria, Russia, Italy and Korean Railway etc.

In his career of over 32 years with Indian Railways, he has worked extensively at Divisional and Zonal levels. Before joining as Adviser (Infrastructure), he has worked as Executive Director (Perspective Planning)/Railway Board, Director (Operation), Rail Vikas Nigam Limited, Chief Administrative Officer, FOIS & Director Planning, Railway Board.

iii) Sh. R.K. Gupta, Managing Director, DFCCIL w.e.f. 10.05.2011

Sh. R.K. Gupta is an Officer of 1977 Batch of Indian Railway Service of Engineers. He graduated in Civil Engineering from the erstwhile University of Roorkee (now IIT, Roorkee). He also holds Masters Diploma in Public Administration. He has worked on Indian Railways in many capacities and on various important positions on Northern Railway, North Central Railway, North Eastern Railway, Northeast Frontier Railway, South Eastern Railway, and Railway Board including that of Executive Director, Divisional Railway Manager, and Principal Chief Engineer. Prior to joining Dedicated Freight Corridor Corporation in May 2011, Sh. Gupta was heading the prestigious New Line Rail Project in the State of Jammu and Kashmir as Chief Administrative Officer. This project is one of the most difficult projects in terms of

logistics and terrain in the world and majority of the alignment passes through tunnels and very high and long bridges. Sh. Gupta has been associated with various Expert Groups including that of UN sponsored Expert Group on improvement in 'Project Management' on Indian Railways and the UK sponsored project on 'Strategies for Bridge Rehabilitation' on Indian Railways. Sh. Gupta has done considerable work on 'Mechanization of Track Maintenance' on Indian Railways. He has been trained in India and abroad in various fields and has visited many countries in this connection.

iv) Sh. Vinay Mittal , Part time Chairman, DFCCIL w.e.f. 08.07.2011

Sh. Vinay Mittal is an Officer of Indian Railway Traffic Service 1975 batch. Before taking over as Chairman Railway Board, he has been working as General Manager, South Eastern Railway, and prior to that as General Manager, North Western Railway. He also worked as Additional General Manager, Central Railway. In his distinguished career with the Railways, he has held many important posts such as Divisional Railway Manager-Bilaspur, Chief Passenger Transportation Manager, Chief Freight Transportation Manager, Chief Commercial Manager, Chief Operations Manager of Central Railway and Executive Director, Traffic Transportation (Movement) in Railway Board. During his tenure as the Chief Operations Manager, Central Railway could achieve highest ever freight loading. He is also credited with significant improvement in punctuality performance of suburban and non-suburban trains. He was part of the Indian delegations, which visited USA and China in 2005-06, in connection with Wagon/Bogie design and Freight Operations.

3. Audit Committee

Composition of the Audit Committee

Audit Committee of the Board of Directors was originally constituted on 14.03.2008 and was reconstituted from time to time. During the year under review, the Audit Committee was reconstituted as under in line with section 292A of the Companies Act, 1956 read with the DPE guidelines.

On 25.06.2010, the Committee was reconstituted by inducting Sh. D.T. Joseph, Sh. M. Damodaran and Sh. Pradeep Bhatnagar as its members.

By induction of Sh. R.N. Bartarya, Advisor (Infra)/ Railway Board in place of Sh. Pradeep Bhatnagar, Advisor (Traffic)/ Railway Board - Part time official Director /DFCCIL, the Audit Committee was reconstituted by way of resolution passed by circulation on 07.09.2010. The resolution was confirmed at the Board meeting held on 29.09.2010.

In view of Railway Board's letter No. 2007/Infra/6/4/Pt.I dated 08.04.2011, nominating Sh. Ranjan Kumar Jain, Advisor (Infra)/ Railway Board as a part time Director on the Board of

DFCCIL in place of Sh. R. N. Bartarya , Ex-Advisor(Infra), who has since transferred and Railway Board's letter No. 2008/Infra/6/1/Pt. II dated 08.04.2011, accepting the resignation of Sh. M. Damodaran from the position of part-time official Directors/DFCCIL, the Audit Committee of the Board was reconstituted by way of resolution passed by circulation on 23.04.2011 and was confirmed at the Board meeting held on 27.04.2011.

The composition of the Audit Committee as on date is as follows.

S.No.	Member	Position	Date of holding the membership of the Committee
1.	Sh. D. T. Joseph	Chairman	25.06.2010
2.	Sh. Ranjan Kumar Jain	Member	23.04.2011
3.	Sh. Bhaskar Gupta	Member	23.04.2011

The Committee acts in accordance with the terms of reference of the Board (14.03.2008) which is:

- To discuss with the auditors periodically about internal control systems.
- To discuss and decide about the scope of audit including the observations of auditors.
- To review the half-yearly and annual financial statements before submission to the Board and ensure compliance of internal control systems.
- To investigate into any matter relating to financial management including the audit report.
- To appoint an internal Auditor and to set the terms and conditions of appointment, including the remuneration payable and
- Any other matter brought to the notice of the Audit Committee by Board of Directors.

Additional Terms of Reference for the Audit Committee re-constituted on 25.06.2010

The role of the Audit Committee shall include the following:

1. Oversight of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient, and credible.
2. Recommending to the Board the fixation of audit fees.
3. Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors.
4. Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval.

5. Matters required to be included in the Directors' Responsibility Statement to be included in the Board's report in terms of clause (2AA) of section 217 of the Companies Act, 1956;
 - Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
 - Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
 - Compliance with legal requirements relating to financial statements;
 - Disclosure of any related party transactions; and
 - Qualifications in the draft audit report.
6. Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval.
7. Reviewing, with the management, performance of internal auditors and adequacy of the internal control systems.
8. Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing, and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit.
9. Discussion with internal auditors and/or auditors any significant findings and follow up there on.
10. Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors/auditors/agencies into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
11. Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.
12. To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non -payment of declared dividends) and creditors.
13. To review the functioning of the Whistle Blower Mechanism.
14. To review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit.
15. To review the follow up action taken on the recommendations of Committee on Public Undertakings (COPU) of the Parliament.

16. Provide an open avenue of communication between the independent auditor, internal auditor and the Board of Directors
17. Review all related party transactions in the company. For this purpose, the Audit Committee may designate a member who shall be responsible for reviewing related party transactions.

Explanation: The term "related party transactions" shall have the same meaning as contained in the Accounting Standard 18, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

18. Review with the independent auditor the co-ordination of audit efforts to assure completeness of coverage, reduction of redundant efforts, and the effective use of all audit resources.
19. Consider and review the following with the independent auditor and the management:
 - The adequacy of internal controls including computerized information system controls and security, and
 - Related findings and recommendations of the independent auditor and internal auditor, together with the management responses.
20. Consider and review the following with the management, internal auditor and the independent auditor:
 - Significant findings during the year, including the status of previous audit recommendations
 - Any difficulties encountered during audit work including any restrictions on the scope of activities or access to required information.

21. Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the Audit.

During the year under review, the Committee met 2 times on the following dates 27.12.2010, 11.02.2011.

The attendance of the members of the Committee during 2010-2011 is produced below:

Member	Position	Meeting held**	Meeting attended ***
Sh. M. Damodaran	Chairman	2	1
Sh. D. T. Joseph	Member	2	2
Sh. R. N. Bartarya	Member	2	2

** "Meeting held" - denotes the number of meetings held during the tenure of the member of the Committee.

*** "Meeting attended"- denotes the number of meetings attended by the member during his tenure.

4. Remuneration Committee

- i) In terms of Chapter 5 of the DPE guidelines on Corporate Governance, the Remuneration Committee of the Board comprising Sh. D.T. Joseph, Sh. M. Damodaran and Sh. Gajendra Haldea, Part Time Directors of the Company as its members was constituted on 25.06.2010.

In view of Railway Board's letter No. 2008/Infra/6/1/Pt.II dated 08.04.2011, accepting the resignation of Sh. M. Damodaran from the position of part time official Directors/DFCCIL, the Remuneration Committee of the Board was reconstituted in line with the DPE guidelines by way of resolution passed by circulation on 23.04.2011 and was confirmed at the Board meeting held on 27.04.2011.

As on date of the report, the Remuneration Committee of the Board comprises Sh. D.T. Joseph, Sh. Bhaskar Gupta and Sh. Gajendra Haldea, Part Time Directors of the Company as its members. Remuneration Committee will decide the annual bonus/variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non-unionized supervisors, within the prescribed limits. The Committee will be headed by an Independent Director".

ii) Remuneration of Directors

DFCCIL, being a wholly owned Government Company under Companies Act, 1956, the whole-time Directors of the Company are appointed by President of India through Ministry of Railways. The functional Directors so appointed, draw remuneration under Industrial Dearness Allowance (IDA) pattern of pay scale pre-determined by the Government and as per the terms and conditions issued by Government of India from time to time. The IDA pay scales (2007) and basket of allowances has been implemented in DFCCIL.

The part-time official (Government Nominee) Directors on the Board of the Company do not draw any remuneration from the Company. They draw remuneration from the Government only as Government officials. The part time non-official Directors (Independent) draws the sitting fee for the Board meetings attended.

Disclosure on Remuneration package of whole time Directors:

S.No.	Name of the Director	Salary & Allowances (In Rs.)	Other Benefits Perks (In Rs.)	Performance Linked Incentives (In Rs.)	Retirement Benefits	Bonus/ Commission /Ex-gratia	Total (in Rs.)
1	Sh. V. K. Kaul Managing Director	12,11,813	5,31,830	0.00	0.00	00.00	17,43,643
2	Sh. R. K. Sinha Director (Finance)	20,11,334	5,97,790	0.00	0.00	00.00	26,09,124
3	Sh. B. B. Saran Director(PP)	17,20,716	4,98,214	0.00	0.00	00.00	22,18,930
4	Sh. P.N. Shukla Director (Opn. & BD)	20,79,093	7,14,463	0.00	0.00	00.00	27,93,556
5	Sh. A.K. Dutta Director (Infra)	19,09,240	1,13,645	0.00	0.00	00.00	20,22,885

GENERAL MEETINGS

Annual General Meetings

The Annual General Meetings of the Company are held at New Delhi, where the registered office of the Company is situated. The details of such meetings held during the last three years are as under:

AGM	Year	Venue	Date	Time
2nd	2007-2008	Committee Room No.1, 2 nd Floor, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001.	21.07.2008	3.00 PM
3rd	2008-2009	Board Room, Corporate Office, 5 th Floor Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi-110001	15.09.2009	3.30 P.M
4th	2009-2010	Committee Room, 2 nd Floor, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001	29.09.2010	5.00 P.M

Detail of special resolutions passed in the previous three AGMs.

AGM	Year	Subject Matter of the Special Resolution	Date	Time
2 nd	2007-2008	Pursuant to section 31 of the Companies Act, 1956 and subject to the approval from the concerned authority, if any, consent of the members was accorded to alter the Articles of Association of the Company by way of a Special Resolution.	21.07.2008	3.00 PM
3 rd	2008-2009	Nil	15.09.2009	3.30 P.M
4 th	2009-2010	Pursuant to the provisions of Section 293(1)(d) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 1956, the consent of the Company was accorded to the Board of Directors of the Company to borrow money.	29.09.2010	5.00 P.M

5. Disclosures

- A. There has not been a materially significant related party transaction.
- B. The Company has not been imposed penalty by any statutory authority as a result of non-compliance.
- C. The Company has complied with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises. In accordance with the guidelines, DFCCIL evolved a Code of Business Conduct and Ethics for its Board Members and Senior Management Personnel and has included Corporate Governance and Management Discussion and Analysis Report in the Directors Report for the year 2010-2011.
- D. All items of expenditure debited in the books of accounts of DFCCIL are for the purpose of project execution entrusted to DFCCIL and are related to project execution.
- E. There are no personal expenses incurred for the Board of Directors.
- F. The administrative expenses as a percentage of total expenses have decreased from 20.69% in 2009-2010 to 8.93% in 2010-11.

6. Means of Communication

The company communicates with its shareholders through its Annual Report, General Meeting and disclosures through website. The audited annual financial results and Annual

Report are displayed on DFCCIL website at www.dfccil.org. Information and latest updates on Tenders/EOIs, details of tenders/contracts awarded, press releases, Mission and objectives of the Company can be accessed at Company's website. Company publishes its quarterly Newsletter.

7. Audit Qualifications

The Company has been putting all the efforts towards ensuring that financial statements are prepared in the most transparent manner resulting in unqualified financial statements. There have been no significant qualifications.

8. Training of Board Members

DFCCIL is concerned to take various training programmes for its officers/ employees. In order to acquaint the Board Members, presently the Corporation has adopted the practice of furnishing a set of documents/ booklets to a Director on his/ her joining the Board. The set of documents provided includes Annual Reports for the last financial years, Memorandum and Articles of Association, a copy of the Memorandum of Understanding and MOU targets and achievements. This provides the basic information about the Company to the incumbent. Besides that Board members and Senior Management personnel are nominated for various training programmes, from time to time.

9. Code of Business Conduct & Ethics

The Company has in place the Code of Conduct for Board Members and Senior Level Management duly approved by the Board of Directors. The duly approved Code of Business Conduct and Ethics for Board members and Senior Management came into force w.e.f. 1st day of April 2009. In terms of the Code of Business Conduct and Ethics, the annual affirmation that Code of Conduct has been complied with has been obtained from all the Board members and Senior Management Personnel. A declaration signed by the Managing Director affirming the compliance with the Code of Conduct by the Board members and Senior Management Personnel during 2010-2011 is placed at Annexure-“ D”. The Code of Conduct is also posted on the Website of the Company www.dfcc.in.

10. Compliance Certificate

The Certificate from a practicing Company Secretary regarding compliance of the conditions of Corporate Governance in accordance with the guidelines issued by Department of Public Enterprises forms the part of the Annual Report.



Annexure –“B”

Ashish Kumar Gupta

Company Secretary

Address: A-16, Jitar Nagar, Parwana Road, Delhi-110051

Phone: 011-22025417, 9312210264

E-mail: guptaashish75@gmail.com

To the Members of

M/s. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

Regd Office: Room No 101/A,

Rail Bhawan, Raisina Road,

New Delhi-110001

REG: COMPLIANCE CERTIFICATE WITH REFERENCE TO COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE UNDER GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE FOR CENTRAL PUBLIC SECTOR ENTERPRISES 2010

1. This Certificate is in accordance with compliance of conditions of Corporate Governance by M/s. Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited. (Hereinafter referred to as "Company") for the Financial year ended on 31st March, 2011 as stipulated in the Guidelines issued for Central Public Sector Enterprises 2010 effective from May 2010 (Hereinafter referred to as "Guidelines").
2. The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. My examination is limited to review of procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in the said guidelines. It is neither an audit and nor an expression of opinion of the financial statement of the Company. My responsibility is to carry out an examination, on the basis of my professional judgment so as to award a reasonable assurance of the correctness and completeness of the records for the purpose of this certificate.
3. I have obtained all the information and explanations which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purposes of certification and have been provided with such records, documents, certifications etc as had been required by me.
4. I certify that in respect of the aforesaid financial year ended 31st March 2011, the company has complied with various provisions of the Guidelines in its Corporate Governance Report except:
 - a) **Clause No. 3.2 relating to composition of Board of Directors – Nominee Directors**
 - b) **Clause No. 3.6 relating to integration and alignment of Risk Management System.**
5. I hereby state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Place : Delhi

Date : 08.09.2011

Sd/-

Ashish Kumar Gupta

Company Secretary

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Industry Structure and Developments

Indian economy is on a high growth trajectory and it is globally acknowledged as one of the fastest growing economy. It continued to outperform most emerging markets during 2010-11 retaining its position as the second fastest growing economy after China. The growth during 2010-11 reflects a rebound in agriculture and sustained levels of activity in industry and services. GDP growth for the 11th Plan is likely to be 8.2%, which though below than the target of 9% is a remarkable achievement given the worst drought in 30 years. The index for 8 core infrastructure industries (comprising coal, crude oil, natural gas, petroleum refinery products, fertilizers, electricity, cement and finished carbon steel) with a weight of 37.9% in the IIP grew at 5.7% in 2010-11 compared to 6.6% in 2009-10. Growth in GDP for transport sector has kept pace with overall GDP growth. Railways have maintained a growth higher than overall GSP growth since 2005-06. Growth in Rail traffic leads to an increase in both passenger and freight revenues allowing rail GDP to keep trace with the growth in overall GDP. Development of rail infrastructure plays very important role for development of economy of the Country. Railway is most environment friendly transport infrastructure especially with respect to green house gas emission.

Recognizing the need for a quantum leap in the Railways' transportation capacity for ensuring a sustainable growth of the national economy, the Ministry of Railways had embarked on a long-term, strategic plan to construct high capacity, high-speed, dedicated freight corridors along the golden quadrilateral and its diagonals. "Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL)" is a Special Purpose Vehicle created to undertake planning & development, mobilization of financial resources and construction, maintenance and operation of Dedicated Freight lines covering approximately 3373 route kilometers on two Corridors - Eastern Corridor from Ludhiana to Dankuni, and Western Corridor from Jawahar Lal Nehru Port, Mumbai to Tughlakabad/ Dadri along with interlinking of the two corridors at Dadri. DFCCIL is a Schedule –'A' Central Public Sector Enterprise under the administrative control of Ministry of Railways. As on date, the Ministry for construction has sanctioned only two corridors; however, feasibility studies for an additional four corridors have already been initiated.

Strength

Construction of dedicated freight corridor on critical routes will enable Railways to provide additional capacity in the shortest possible time and to regain its market shares from the roads sector. Once completed, these corridors will provide a quantum jump in the freight capacity with improvement in quality of service at reduced unit cost, with transfer of freight traffic to DFCCIL. Railway will be able to utilize spare capacity to increase number of passenger trains and that to with increase in average speed. With independent infrastructure, DFCCIL will be able to deploy modern maintenance practices resulting in reduction in operation and maintenance cost. With the blessing

of Ministry of Railway, DFCCIL has access to experienced manpower of Indian Railways, which can be deployed, for timely execution of such large infrastructure project.

Weakness

With a route Km of 3373 which is passing from the state of West Bengal, Jharkhand, Bihar, U.P., Haryana, Punjab in Eastern Corridor and U.P., Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra in Western Corridor and land being state subject DFCC has a man-o-moth task to acquire land following various guidelines by State Governments/Zonal Railways, Central Government, provision of NRRP 2007, and requirement of funding agencies with respect to environmental and social considerations and expectations of project affected parties. Time bound execution of the project might be hindered on account of delays in getting approvals from the concerned authorities. Further, funds are to be provided by bilateral/ multi-lateral agencies in the form of loan and because of various covenants, which have to be adhered to, there may be additional costs/ delays.

DFCCIL will need to rely on Ministry of Railways for meeting its Human Resource Requirements. The staff and officers are borrowed from Ministry of Railways and they are deployed to DFCCIL for a limited tenure. As such, a high manpower churn is expected and this will imply that a lot of tacit knowledge acquired during the period of deputation, will be lost once the officer leaves the organization.

Opportunity

The Dedicated Freight Corridor, being a Greenfield network meant solely for freight operations and with limited interfacing with the existing IR network, provides the opportunity for the adoption of international best practices and innovation in terms of technology, systems and process and business operations that would otherwise have been difficult had it been conceived as a totally integrated facility within Indian Railways. DFCCIL has the opportunity to provide latest technology in every field of Railway infrastructure with lower overall operational and maintenance cost with increased reliability of asset and increased service life. DFC project will bring about a quantum leap in rail transport capacity, efficient technology, and operational efficiency, contributing to national economy both directly and indirectly. Most important, DFCCIL has a great opportunity to build world class infrastructure that has the capability of bringing about a paradigm shift in the transportation sector in India. Proposed DFC being environment friendly activity, DFCCIL may get both EDFC & WDFC registered as CDM Projects with UNFCCC under Kyoto Proto cost to earn substantial carbon credit.

Threats

Being a time consuming procedure, non-availability of land required under the project in time hinders the execution of national projects like DFC, resulting in cost and time overrun. Delay in

funding for the development of the project through loans from multilateral/bilateral lending agencies is also one of the serious threats posed by any project-implementing agency. In order to ensure delivery of the project on time coordinated efforts are required among all the stake holders and the parties involved in the projects i.e. Ministry of Railways, Planning Commission, Ministry of Finance, State Governments, Japan International Co-operation Agency, World Bank - and each must perform its obligations in time to ensure that DFCs get constructed in time and within the estimated completion cost. Further, short tenures in DFCCIL by staff deputed from Railways may pose a challenge of continuity. Finally, in projects of this size and scale, there is always a possibility of changing specifications and standards mid course, or modifying design parameters, or alignment or Ministry issuing instructions that may have far-reaching implications for the project.

Strategies

To ensure the timely execution of the project, DFCCIL will implement its HR-Plan and provide required skill manpower in a time-bound manner. Various ways and means of attracting and retaining talent, training delivery methods, the road map towards achieving organizational culture and values, the strategy for ensuring performance evaluation, discipline, maintenance of labour relations and conflict resolution, manner of regulating the employees severance from the organization, assessment of HR budgetary needs, various systems of HR enhancement, etc. forms the part of the HRD Plan. As the Land to be acquired under the project will be owned by the Ministry of Railways as its asset, DFCCIL is facilitating in the process of acquisition in different States. In process of acquisition, Corporation is committed to ensure compliance with National Rehabilitation and Resettlement Policy adopted by the Government of India, applicable regulations and to obtain necessary approvals. Wherever DFC is expected to pass through Wildlife Sanctuary/National Park, early action to seek clearance from competent Authority would save time. Efforts would be made to secure detailed Social Impact & Environmental Impact Assessment (SIA & EIA) of the Project.

DFCCIL also plans to adopt a contracting strategy that ensures an open and transparent pre-qualification criteria and an efficient and equitable bid process management. The contracting strategy is designed to ensure equitable distribution of risks and minimal integration issues between and among contractors. In order to maintain a check on time/cost overruns a system of penalty and rewards in being institutionalized as part of the contract agreement. Most contracts will be lump-sum fixed price design-build contracts so that the project gets completed in time and within cost.

Due to large number of representations alignment at Chandauli (40 Kms.) and Tundla detour (73 Kms.) in Eastern Corridor and Iqbalgarh to Kalol section (140 Kms.), Surat detour (25 Kms.) and Panvel detour (25 Kms.) of Western Corridor has been modified. The earlier alignments were mostly on detours now the modified alignment is mostly on parallel with some small detours. In total approximately 300 Kms. of alignment was re-surveyed and modified. With this alignment, DFCC could save approximately 1100 hectares of the land amounting to Rs.300 Crores. approx.

Outlook

As the dedicated agency to make the vision into reality, DFCCIL's outlook is to achieve the mission to build a corridor with appropriate technology that enables Indian Railways to regain its market share of freight transport by creating additional capacity and guaranteeing efficient, reliable, safe and cheaper options for mobility to its customers and to support the government's initiatives toward ecological sustainability by encouraging users to adopt railways as the most environment friendly mode for their transport requirements.

While adhering to the mission, DFCCIL is committed to deliver the project within the budgeted timelines and costs and to make additional line capacity available to IR for running freight trains and assure safe and reliable train operations. Reduction in cost of operations by adopting international best practices including long haul/heavy haul operations is the another objective to be achieved .

More importantly, it aims at bringing out a paradigm shift in the way construction projects, managed, and monitored and also in the maintenance and operation practices that will be adopted, posts implementation. DFCCIL aims at creating an inflexion point in the future road map of Indian Railways and the Indian economy.

Based on its arrangement with MoR and on its own internal strength, the company has been rated as AAA and AAA-SO by CRISIL and ICRA respectively.

Road Ahead

- DFCCIL is committed to its motto of '**SSS**' – '**Sincerity, Speed and Success**' which would lead to fulfillment of Organization's Mission, Vision and Objectives.

Risks and Concerns

The delivery of a project of this magnitude and complexity can be achieved in the mono-drive mode as against a multi drive mode generally prevalent in small & simple project consisting of well-trying elements of work. The mono drive project implementation mode essentially would require 3 'C's Clarity, Conviction & Courage to be able to take decision with clarity, implement with conviction and have courage for actions to be taken. The organization and capacity building is to be done accordingly. Short tenures in DFCCIL by staff deputed from Railways may pose a challenge of continuity till the Corporation is able to develop its own capacity. Contracting strategies and systems, land acquisition, Rehabilitation & Resettlement, project-monitoring mechanisms are quite different on DFCCIL in comparison to Indian Railways and there is a steep learning curve for these areas. As such, constant manpower turnover may seriously affect the progress of various works in DFCCIL. There are concerns related to availability of land in time. Further, tying up all funding resources for Sonagar-Dankuni section of the project may affect the pace of the implementation of the project.

Internal Control Systems

In any organisation, internal control being an integral process effected by an entity's management and personnel is designed to address risks and to provide reasonable assurance that in pursuit of entity's mission, the general objectives of executing the operations more orderly, ethically, economically, efficiently and effectively is achieved and the resources are safeguarded against loss, misuse and damage.

The company has internal systems and processes in place, which ensures the execution of operation more orderly, ethically, economically, efficiently, and effectively, which is adequate and commensurate with the size of the Company. The Audit Committee of the Board of Directors also reviews the reports of the Internal Auditor, comments of the Statutory Auditor and the Comptroller and Auditor General of India. The management reviews the findings and recommendations of the auditors, takes corrective actions wherever necessary, and monitors the implementation of the recommendations.

Human Resource Development and Industrial relations

Human Resource department of any organization serves as the backbone of the Organization. Amongst other two "M's i.e. Money and Machines, the 'Manpower' is the asset of the organization which with the help of other two M's helps to achieve organizational Goals and objectives in line with its mission and vision. The HR department's vision is to act as a strategic business partner in developing programs and practices that would make DFCCIL as a model employer. The HR department endeavors to serve the company through alignment of HR policies with organizational goals, effective leadership, professional expertise, and quality consultation. The Mission of the HR department is to serve the interests of the organization by supporting, developing, and protecting its most valuable resource—People.

a) Human Resource Development Plan:

Keeping these HR Vision and Mission in mind the HRD plan envisage a lean manpower organization with staff and managers having functional rather than linear responsibilities. DFCCIL will use the state of the art technology and thereby limiting the need of staff strength. Accordingly, sourcing of manpower in a phased manner with different staffing pattern for construction and operational phase has been planned. A three tier organizational structure and establishment of a specialized training institute has been proposed. Various ways and means of attracting and retaining talent, training delivery methods, the road map towards achieving organizational culture and values, the strategy for ensuring performance evaluation, discipline, maintenance of labour relations and conflict resolution, manner of regulating the employees severance from the organization, periodical audit of HR policies and programs, assessment of HR budgetary needs, various systems of HR enhancement, etc. are part of the HRD Plan.

b) HR Policies:

Various policies notified by HR are Open Market Recruitment Policy, Absorption Policy (DGM and below), Revised Deputation Policy, Re-employment/Re-engagement Policy, Bungalow Peon (TADK) Policy, IDA Pay Scale Structure and Allowances, Policy on various Perks and Benefits, Revised Rental ceiling for Lease Accommodation and the method of executing fresh lease deeds, Provision of medical equipments/outdoor treatment/investigations and reimbursement procedure in the medical rules.

c) Training Need Analysis/Specialized Training Institute:

DFCCIL will be involved in capacity building within the organization for housekeeping and other management area in the next couple of years. Therefore, training need analysis in the following area has been undertaken:

Corporate work culture, general management and administration, financial rules and procedures, planning, estimation, project preparation, corporate governance best practices, contract management, facilitation of works, avoidance management of disputes, rules and position of lump-sum contract, FIDIC yellow book conditions, etc.

During the year under review, the industrial relations remained harmonious and cordial.

Corporate Social Responsibility

With the rapidly changing corporate environment, Corporation is adopting CSR as a strategic tool for sustainable growth. It means not only investment of funds for social activities but also integration of business processes with social processes. Corporation has formulated long term Corporate Social Plan specifying the following:

- (a) DFCCIL's CSR Vision,
- (b) CSR policy statement
- (c) Areas to be covered under Social responsibility
- (d) The Implementation approach and construction of a CSR Committee.

The CSR plan envisages Broad Guidelines and Parameters for implementation, Monitoring, and Evaluation techniques. Corporation is committed to ensure that the Rehabilitation and Resettlement policy of DFCCIL give adequate rehabilitation compensation to Project affected Persons (both the Title Holders and Non Title Holders) and others like Community Properties, etc. We are committed to operate in an economically, socially, and environmentally sustainable manner.

Normally, all such activities are to be funded through Revenue Surplus. As the Corporation is under construction and only incurring expenditure on Capital account, the scope of CSR spending is rather limited. Corporate Social Responsibilities (CSR) activities in DFCCIL would cover the following areas: Education, Health, Drinking, Environment (plantation), Solar Lighting System, Infrastructure for Backward Areas, Community Development and Social Empowerment, Promotion of Sports and

traditional forms of Art and Culture, Generation of employment opportunities and livelihood, and to be a part of national/local initiatives to provide relief/ rehabilitation in times of natural disaster/ calamities. These activities are proposed to be as a part of the relief and rehabilitation efforts of the Corporation towards mitigation of hardship of Project Affected People (PAPs).

Environment Protection and Conservation

As per Environment Impact Assessment Notification dated 14th September, 2006, Environment Impact Assessment is not mandatory for Railway projects. However, in view of the World Bank and JICA safeguard policies EIA was conducted for APL-1 (Bhaupur-Khurja section) of Eastern Dedicated Freight Corridor and Phase-1 (Rewari-Vadodara section) of Western Dedicated Freight Corridor. EIA has also been conducted for APL-3 (Ludhiana-Khurja section), in progress for APL-2 (Mughalsarai-Bhaupur section) of EDFC and Phase-2 (Vadodara-Mumbai & Dadri-Rewari sections) of WDFC. EIA is proposed for Phase-3 (140km Kalol-Iqbalgarh section) of WDFC. Alignment of DFC have been meticulously selected & finalized to avoid or minimize intrusion & acquiring of sensitive environmental features like forest land, water body etc. This is to ensure negligible/ minimum damage to the flora & fauna. Wherever, it becomes unavoidable, statutory clearance from Competent Authority will be obtained before undertaking construction work. Re-plantation will be undertaken against trees felled within project-affected area and prior permission of the Competent Authority will be obtained. So far, EIA studies have revealed negligible impact on the habitat of water bodies, wildlife, flora, & fauna. Mitigation measures have been identified and recommended in the Environmental Management Plan. Mitigation measures for anticipated air, water, soil pollution, dust control during construction stage have been suggested. Wherever necessary, noise barrier has been recommended. Regarding vibration mitigation, measures are proposed during design stage itself. It may be noted that no standard on vibration is available in India. However, Japanese standard has been referred for the purpose. In APL-1 (Bhaupur-Khurja) of EDFC, one ASI structure has been identified near DFC alignment and permission has been sought from ASI authorities as per the Rule for carrying out DFC construction work.

Annexure –“D”

Declaration by Managing Director regarding compliance with the Code of Business and Ethics Conduct by BoD members and Senior Management during financial Year 2010-2011.

I, Ram Kumar Gupta, Managing Director, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, do hereby declare that all the members of the Board of Directors and the Senior Management Personnel have affirmed compliance of the Code of Business and Ethics Conduct during 2010-2011

Place : New Delhi
Date : 25.07.2011

Sd/-
(Ram Kumar Gupta)
Managing Director

Balance Sheet as at March 31, 2011

	Schedule No.	AS AT 31.03.2011	AS AT 31.03.2010
(Amount in ₹)			
SOURCES OF FUNDS			
Shareholders' Funds			
Share Capital	1	559,13,00,000	358,00,00,000
Share Application Money		108,00,00,000	201,13,00,000
Loan Fund			
Unsecured Loan			
Loan From MoR (EAP)	2	38,00,00,000	-
TOTAL		705,13,00,000	559,13,00,000
APPLICATION OF FUNDS			
Fixed Assets			
Gross Block	3	18,64,21,638	16,99,71,391
Less: Depreciation		8,40,60,975	4,62,75,082
Net Block		10,23,60,663	12,36,96,309
Capital Work in Progress		268,40,77,343	90,80,62,234
Advance For Capital Assets	4	184,01,60,067	149,58,46,933
		462,65,98,073	252,76,05,476
Development Expenditure(Pending Capitalisation)	5	92,44,33,108	68,75,50,965
Current Assets, Loans and Advances			
Sundry Debtors	6	4,78,00,102	1,52,34,847
Cash and Bank balances		231,88,83,623	244,94,29,528
Other Current Assets		26,94,88,094	15,82,69,769
Loans and Advances		8,74,68,933	6,84,14,845
		272,36,40,752	269,13,48,989
Less: Current Liabilities and Provisions	7		
Current Liabilities		119,17,32,581	28,86,60,026
Provisions		3,16,39,352	2,65,45,404
		122,33,71,933	31,52,05,430
Net Current Assets		150,02,68,819	237,61,43,559
TOTAL		705,13,00,000	559,13,00,000
Significant Accounting Policies	8		
Notes to the Accounts	9		
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet			
For and on behalf of Board of Directors			
Sd/-	Sd/-	Sd/-	
Ashok Chopra	(R.K.Gupta)	(R.K. Sinha)	
Partner	Managing Director	Director Finance	
M.No. 017199			
For Jain Chopra & Company			
Chartered Accountants			
FRN 002198N			
Place: New Delhi	Sd/-		
Date: 05 July 2011	(Meenu Kapoor)		
	Company Secretary		

Schedules forming part of Accounts

	AS AT 31.03.2011	AS AT 31.03.2010
(Amount in ₹)		
SCHEDULE 1		
SHARE CAPITAL		
Authorized capital		
4,00,00,000 equity shares of Rs 1000/- each	4000,00,00,000	4000,00,00,000
Issued, subscribed and paid up capital		
5591300 (Previous year 3580000) Equity shares of Rs 1000/- each fully paid up	559,13,00,000	358,00,00,000
TOTAL	559,13,00,000	358,00,00,000

	AS AT 31.03.2011	AS AT 31.03.2010
(Amount in ₹)		
SCHEDULE 2		
Unsecured Loan Loan From MoR For EAP / JICA Projects	38,00,00,000	-
(Loan from Ministry of Railway for External Aided Project. Interest @ 7% payable after the moratorium period of ten years.)	380,000,000	

SCHEDULE 3
A-Fixed Assets

BLOCK OF ASSETS	GROSS BLOCK			DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Cost up to 31st March 2010	Additions during the year	Deletions / adjustments during the year	Cost up to 31st March 2011	Depreciation during the year	Depreciation on sale / adjustments	Depreciation as on 31st March 2011	As on 31st March 2011	As on 31st March 2010
	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
<u>TANGIBLE ASSETS</u>									
Leasehold Premises Improvement	9,38,05,873	19,47,784	2,13,044	9,55,40,613	2,45,27,138	-	4,50,31,054	5,05,09,559	7,33,01,960
EDP Assets	1,85,35,116	35,39,697	4,75,427	2,15,99,386	47,41,686	3,23,914	1,43,99,207	72,00,179	85,53,682
Office equipment	3,82,44,902	37,04,411	4,73,916	4,14,75,397	52,23,116	1,78,404	1,41,28,479	2,73,46,918	2,91,61,136
Furniture and fixtures	1,18,36,200	44,50,424	3,00,000	1,59,86,624	21,93,091	70,485	55,30,961	1,04,55,663	84,27,847
<u>INTANGIBLE ASSETS</u>									
Software Under Progress IT-	-	3,574,436	-	35,74,436	-	-	-	35,74,436	-
Computer software	75,49,300	6,95,882	-	82,45,182	1,673,665	-	49,71,274	32,73,908	42,51,690
TOTAL	16,99,71,391	1,79,12,634	14,62,387	18,64,21,638	3,83,58,696	5,72,803	8,40,60,975	10,23,60,663	12,36,96,315
Previous Year	14,82,28,376	8,39,99,792	6,22,56,774	16,99,71,391	3,02,95,001	33,543	4,62,75,082	12,36,96,309	

B- Capital Work In Progress										
Earthwork	10,31,93,778	51,65,98,457	-	61,97,92,235	-	-	-	61,97,92,235	10,31,93,778	
Bridges under progress	13,79,48,764	53,64,60,089	-	67,44,08,853	-	-	-	67,44,08,853	13,79,48,764	
Other Project Expenditure	66,69,19,692	71,88,27,322	-	138,57,47,014	-	-	-	138,57,47,014	66,69,19,692	
Formation	-	41,29,241		41,29,241				41,29,241	-	
TOTAL	90,80,62,234	177,60,15,109	-	268,40,77,343	-	-	-	268,40,77,343	90,80,62,234	
Previous Year	42,28,61,882	48,52,00,352		90,80,62,234				90,80,62,234	-	

Schedules forming part of Accounts

	AS AT 31.03.2011	AS AT 31.03.2010
(Amount in ₹)		
Schedule 4 : Advance For Capital Assets		
Unsecured Considered Good		
Advance to Railway	3,72,50,520	-
Advance For Construction of Officer's Flat	4,56,00,000	-
Mobilisation Advance		
Secured Considered Good	382,655,849	103,903,599
"(Secured against hypothecation of Plant & Machinery in favour of DFCCIL)"		
Unsecured Considered Good	1,374,653,698	1,391,943,334
	1,840,160,067	1,495,846,933

Schedules forming part of Accounts

SCHEDULE 5 : DEVELOPMENT EXPENDITURE (Pending Capitalisation)

	For the year ended 31.03.2011	For the year ended 31.03.2010
	(Amount in ₹)	
Opening balance	68,75,50,965	35,71,79,792
Advertisement Expenses	15,98,573	13,08,138
Establishment (Sch.-5B)	16,77,54,194	17,56,03,404
Gratuity	(301,540)	4,55,854
Staff Welfare	55,11,416	56,93,692
Communication Expenses	70,01,421	70,73,020
Printing & Stationary	80,38,231	86,97,313
Misc. Expenses	7,84,466	5,36,373
Books & Periodicals	25,37,431	24,70,176
Legal & Professional Charges	1,39,30,715	1,05,61,407
Director Sitting Fees	2,40,000	-
Consultancy Fees to Consultants	47,69,695	13,86,139
Placement Consultancy Charges	1,04,61,210	79,22,629
Electricity Expenses	41,76,001	45,13,336
Power & Fuel	3,44,251	2,56,908
Housekeeping Expenses	77,91,562	61,85,675
Auditor's Remuneration		
- Statutory Audit Fees	4,41,200	4,41,200
- Statutory Audit Fees (Previous year)	-	1,65,450
- Certification fees	-	-
Meeting & Conference	4,09,179	6,42,834
Rates & Taxes	20,23,934	10,03,755
Rent	7,33,30,631	9,68,85,199
Tours, Travels and Conveyance	4,69,63,553	3,74,42,941
Repair & Maintenance-others	26,68,367	22,02,805
Annual Subscription Fees-IT Consultancy & Software	20,83,785	22,91,537
Office Expenses	6,65,390	5,41,813
Hospitality Expenses	8,11,553	2,14,112
Office Security Expenses	29,62,037	31,63,147
Loss on Sale of Fixed Assets	55,716	67,798
Interest on Service Tax	1,78,118	-
Foreign Currency Fluctuation	97,375	-
Interest Payable to MoR on EAP Loan	30,60,822	-
Prior Period Adjustment (Sch-5C)	7,12,048	-
Depreciation	3,83,46,544	3,02,95,001
Lease Hold Improvement Written Off	-	2,82,54,044
TOTAL	109,69,98,843	79,34,55,492
Less:		
Liquidated Damage (LDA)	1,66,02,302	3,40,806
Interest on Mobilization Advance(Accrued) (TDS Rs. 86,70,299)	8,73,76,657	5,07,17,224
Other Income During Construction Period (Sch 5A)	6,85,86,775	5,48,46,497
NET EXPENDITURE TRANSFERRED TO DEVELOPMENT ACCOUNT	92,44,33,108	68,75,50,965

Schedules forming part of Accounts

SCHEDULE 5A : Schedule of Other Income During Construction Period

	For the year ended 31.03.2011	For the year ended 31.03.2010
	(Amount in ₹)	
Gross Receipts		
Rent Recovery on Sub Lease	3,95,29,116	3,03,39,048
Facility management charges recovery on Sub Lease & Other:		
Placement Consulting Fee	9,09,751	12,08,180
Housekeeping	15,01,608	12,71,100
Office Security Exp.	35,08,402	19,58,865
Electricity Exp. Office	43,86,612	32,45,931
Office Repair & Maintenance	2,46,741	3,66,128
Repair & Maintenance - A.C.	11,10,575	3,53,936
Pantry	72,059	32,211
Annual Maintenance Charges	2,78,781	2,85,302
Repair & Maintenance	3,79,966	-
Deposit Work Receipt	12,09,664	-
Capital expenditure Recovery on Sub Lease	-	1,28,52,906
Composite Rent & Facility Management Charges Received	2,25,22,500	-
Interest on FDR (TDS 86,00,294)	8,57,57,315	7,61,89,544
Sale of Tender	5,55,700	3,12,000
Other Income	4,627	48,866
foreign Currency Fluctuation	-	51,952
Prior Period Adjustment	-	13,92,925
Depreciation Written Back	-	3,157
	16,19,73,417	12,99,12,050
Expenditure Incurred		
Rent	4,88,14,066	3,03,39,048
Facility Management Charges :		
Placement Consulting Charges	8,16,473	10,73,938
Housekeeping	16,52,723	11,31,821
Office Security Exp.	36,56,030	17,41,213
Electricity Exp. Office	43,29,859	28,85,272
Office Repair & Maintenance	2,19,325	3,25,447
Repair & Maintenance - A.C.	9,87,712	3,29,569
Pantry	64,052	28,632
Annual Maintenance Charges	2,47,806	2,53,602
Repair & Maintenance	3,37,916	-
Deposit Work	10,77,205	-
Internet Exp.	91,636	-
Income Tax		
Income Tax Provision	3,13,26,357	2,59,30,869
Earlier year	(234,518)	(398,663)
Capital expenditure Recovery on Sub Lease	-	1,14,24,805
	9,33,86,642	7,50,65,553
Net Income transferred to Development A/c	6,85,86,775	5,48,46,497

Schedules forming part of Accounts

SCHEDULE 5B

	For the year ended 31.03.2011	For the year ended 31.03.2010
	(Amount in ₹)	
ESTABLISHMENT EXPENSES		
Salary	9,16,09,728	7,13,36,913
Salary Arrear A/C	6,05,004	12,28,816
TA/DA - Allowance	53,95,205	37,70,521
TADK-Allowance	36,07,101	34,32,000
Salary Arrear 2 Nd P.C. (IDA)	-	28,90,191
Salary Arrear (CDA To IDA)	1,23,475	1,02,00,000
Salary Arrear (IDA To CDA)	11,659	-
Tax On Perquisites	36,18,129	39,12,337
Foreign Service Contribution	96,68,505	3,28,13,262
Furnishing Allowances	62,56,156	55,40,009
House Rent Allowance	12,26,610	10,58,668
Leave Encashment	8,31,921	7,14,358
EPF Employer Contribution	56,122	-
Administrative Charges On EPF	5,344	-
Transfer Grant	27,180	-
Transport Allowance	18,92,575	24,93,174
Consolidated Travelling Allowances	26,91,667	28,07,450
Composite Transf.Grant	6,10,029	6,58,681
Honorarium	4,440	-
Sumptuary Allowance	49,62,794	32,10,948
Hostel Allowance	6,000	72,000
Leave Travel Concession	10,803	10,617
Computer Training Fee	71,090	3,09,317
Medical Indoor	13,09,901	15,80,508
Medical Outdoor	70,27,019	59,54,690
Tution Fee	18,08,727	21,68,458
License Fee	61,15,048	58,49,516
Lease Rent	1,38,74,711	1,25,19,322
Professional Updation Allowances	12,95,857	-
Club Membership Fees Staff	8,74,837	-
Special Professional Allowances	2,76,269	-
Canteen Allowances	65,874	-
Charge Allowances	98,405	-
NPS Contribution	72,214	-
Joining Time Encashment	26,383	-
Electricity -Staff	16,14,287	4,56,400
Repair & Maint.-Lease	3,125	6,15,248
TOTAL	16,77,54,194	17,56,03,404

Schedules forming part of Accounts

SCHEDULE 5C

Prior Period Adjustment

Particulars	2010-11		2009-10	
	(Amount in ₹)		(Amount in ₹)	
	Dr.	Cr.	Dr.	Cr.
Advertisement Expenses	-	-	-	1,363,284
Air & Rail Travels	71,489	-	-	-
Annual Maintenance Charges	160,905	-	-	-
Communication Expenses	-	-	58,614	68,741
Consultancy Fee	-	82,293	-	43,000
Electricity Expenses	163,248	-	453,594	-
Establishment	-	-	364,815	675,177
F.B.T. A.Y. (2008-09)	-	-	25,355	-
Hospitality Expenses	-	-	44,390	-
Housekeeping Expenses	-	-	29,889	-
L.D.A.	-	-	-	650,528
Legal & Professional Charges	-	-	325,275	35,275
Other Expenses	47,635	-	76,228	-
Office Security	-	35,755	-	70,231
Placement Consultancy Charges	-	-	59,564	-
Printing & Stationery	-	-	111,404	55,709
Professional Charges	-	103,281	-	-
Repair & Maintenance- other	197,695	-	-	-
Rent	133,187	-	-	-
Tours, Travels and Conveyance	-	30,082	231,383	216,865
Vehicle Hiring Charges	127,253	-	-	-
Misc Prior Period Adjustments	62,962	915	66,865	61,491
Total	9,64,374	2,52,326	18,47,376	32,40,301
Prior Period Adjustment 2010-11	712,048			
Prior Period Adjustment 2009-10				(1,392,925)

Schedules forming part of Accounts

	AS AT 31.03.2011	AS AT 31.03.2010
	(Amount in ₹)	
SCHEDULE 6		
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES		
CURRENT ASSETS		
Sundry Debtors (Unsecured Considered Good)		
a. Debts outstanding for a period exceeding six months	2,23,13,839	1,24,78,829
b. Other Debts *	2,54,86,263	27,56,018
*(Debts represent Rent etc. receivable on account of Subleases)		
	4,78,00,102	1,52,34,847
Cash and Bank balances-		
Balances with Scheduled banks		
In Current Accounts	7,16,22,684	5,23,12,078
In Deposits A/c	224,72,60,939	239,71,17,450
TOTAL	231,88,83,623	244,94,29,528
OTHER CURRENT ASSETS		
Interest Accrued/Receivable on		
Term Deposits	1,77,81,051	1,79,32,302
Others (Mobilisation Advance)	5,16,16,315	4,53,46,543
Expenditure on Land Acquisition-Recoverable from MOR	20,00,90,728	9,49,90,924
TOTAL	26,94,88,094	15,82,69,769
LOANS AND ADVANCES		
Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received		
Unsecured and Considered Good		
Security Deposits	3,71,66,807	3,64,14,712
Advance For PC Arrear Railway	61,580	1,69,142
Advance Tax & TDS	3,40,29,467	2,62,90,402
Income Tax Refund	33,83,933	28,09,365
Input Service Tax Credit	95,86,040	18,53,634
Others	32,11,106	8,77,590
Advance To Director's For Expenses	30,000	-
(Maximum Dr. Balance During The Year Rs 30000/-)		
TOTAL	8,74,68,933	6,84,14,845

Schedules forming part of Accounts

	AS AT 31.03.2011	AS AT 31.03.2010
	(Amount in ₹)	
SCHEDULE 7		
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
CURRENT LIABILITIES		
<u>Sundry Creditors</u>		
Micro & Small	-	-
Others	37,25,30,131	22,33,93,442
Other Deposit	86,50,989	41,61,268
Security Deposits Received from Supplier & Service Providers	6,12,96,008	3,52,06,177
Advance from Customer	6,47,769	-
Advance for Land (Pending for Transfer to SLAO A/c)	67,36,50,157	-
Other Liabilities	7,18,96,705	2,58,99,139
Interest Accrued But Not Due on Loan from MoR	30,60,822	-
TOTAL	119,17,32,581	28,86,60,026
PROVISIONS		
Provision for Income Tax	3,13,26,357	2,59,30,869
Provision for Gratuity	3,12,995	6,14,535
TOTAL	3,16,39,352	2,65,45,404

Schedule 8

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation of Financial Statements

These financial statements have been prepared on an accrual basis under historical cost convention in accordance with the generally accepted accounting principles generally accepted in India and complying with the mandatory Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as applicable under section 211(3C) of the Companies Act, 1956.

2. Use of Estimates

The preparation of financial statements, in conformity with generally accepted accounting principles (GAAP) requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statement and the reported amounts of revenues and expenses for the years presented. Actual results could differ from those estimates. Any variation in the estimates and actual are adjusted in current and future accounting periods.

3. Revenue Recognition

Revenue is recognised based on the nature of activity when consideration can be reasonably measured and there exists reasonable certainty of its recovery.

- (i) Interest on Bank Deposits is booked on a time proportion basis
- (ii) Other items of income are accounted for as and when the right to receive is established.
- (iii) Service charges income is recognized as per the terms of the contracts.

4. Fixed Assets & Amortization

- a) Fixed assets are stated at historical cost and all directly attributable expenses relating to the acquisition of the assets are capitalized along with respective assets.
- b) All development cost being incurred on construction and acquisition of Assets forming part of the railway infrastructure will be capitalized by distributing the same over costs of completed Assets.
- c) Depreciation on additions/deletions to Fixed Assets is provided on pro-rata basis from/to the date of addition/deletions.
- d) Depreciation is provided on the written down value method at the rates specified in Schedule XIV to The Companies Act, 1956 except the following in which depreciation is provided on pro-rata basis on the straight-line method over the estimated useful lives of the assets determined:

Laptop	30.00%
Mobile	90.00%

e) Intangible Assets and Amortization

- i) Computer Antivirus Software is amortized over its useful life i.e. one year on pro-rata basis.
- ii) Other Computer software is amortized over the period of three years on pro-rata basis.

f) Leasehold Premises Improvement

Leasehold Premises improvements are amortized over the residual period of lease from the month in which such leasehold improvements are put to use.

5. Employees' Benefits

a) Short term employee benefits

All employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service are classified as short term employee benefits. Benefits such as short- term compensated absences, etc. are recognized in the period which the employee renders the related service.

b) Long term employee benefits

- (i) The provision/liabilities towards Gratuity are made on the basis of actuarial valuation at the end of the year and charged to the development Account.
- (ii) Provision/liabilities towards Foreign Service Contribution are made in terms of Government

Rules & Regulation for employees on deputation and charged to development Account.

6. Borrowing Costs

Borrowing costs attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognised as expenses in the period in which these are incurred.

7. Accounting for Lease

The Company's significant leasing arrangements are in respect of operating leases for premises (residential and office). The leasing arrangements which are not cancellable ranges between 11 months to three years generally are usually renewable by mutual consent on agreed terms. The aggregate lease rentals payable are charged as rent for the year.

8. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions are recognized for liabilities that can be measured only by using a substantial degree of estimation, if

- (a) The Company has a present obligation as a result of a past event.
- (b) A probable outflow of resources is expected to settle the obligation; and

(c) The amount of the obligation can be reliably estimated.

Contingent liability is disclosed in case of

- (a) a present obligation arising from past events, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation;
- (b) a present obligation arising from past events, when no reliable estimate is possible;
- (c) a possible obligation arising from past events where the probability of outflow of resources is not remote.

Contingent assets are not recognised, Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date.

9. Taxation

Income taxes are computed using the tax effect accounting method, where taxes are accrued in the same period the related revenue & expenses arise. A provision is made for income tax annually based on the tax liability computed, after considering tax allowances & exemptions as per applicable law.

10. Foreign currency transactions

Transactions in foreign currency are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transactions. All Monetary items outstanding at the end of the year are translated at the rates prevailing at the end of the year.

Schedule 9

NOTES TO THE ACCOUNTS

1. **Contingent Liabilities**

The Company is contesting no. of legal cases on behalf of MoR in matters involving compensation in connection with acquisition of land in Courts of Law and in Arbitration. The Company does not anticipate any liability on this account. Further some parties have referred to Arbitration in case of contracts with them. The amount of claims underlying these contracts is ₹ 6,24,60,607. Pending finalization of proceedings, which are at a preliminary stage, no provisions have been made in this behalf.

2. **Capital Commitments**

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for ₹ 1557.30 crores (Previous Year ₹ 1588.84 crores).

3. The Company is in construction stage for work relating to Eastern Section and Western Section for Dedicated Freight Corridor Project. Accordingly, no separate Profit & Loss Account is being drawn. Instead a Development Account is drawn showing the required information as required by Part II of Schedule VI in respect of Profit & Loss Account.

4. On the basis of information available there are no dues towards Micro, Small and Medium enterprises as defined in the "The Micro, Small & Medium enterprises Development Act 2006" to whom the company owes dues.

5. In the opinion of the Board, value of Current Assets, loans & advances if realized in the normal course of the business, shall not be less than the value stated in the accounts.

6. Provision for Income tax has been made in respect of Income from Interest on Fixed Deposits and Service Charges recovered. However no provision has been made on Interest on Mobilization Advance given to Contractor and on the Liquidated damage (LDA) recovered as the same has been considered as Capital Receipt based on opinion obtained from Consultants. No adjustment has been made for taxes on income as per AS 22, as the Company is in construction stage.

7. **Employee Benefits.**

Provision for gratuity liability for the year has been made as per Actuarial Valuation as on 31-03-2011.

Gratuity Benefit is payable to employees on separation from the corporation. The amount of gratuity payable is based on past service and salary at the time of separation as per Payment of Gratuity act, 1972. There is a vesting period of 5 years on the benefit.

A reconciliation of opening & closing Balances of the present value of the retirement benefit (Gratuity) obligation and the effects during the period attributable to each are the following:

Particulars	Amount in ₹
Opening Balance as on 01/04/2010	6,14,535
Interest Cost	46,090
Current service cost	1,38,177
Benefit paid	--
Actuarial (Gain)/ Loss on obligation	(4,85,807)
Closing Balance as on 31/03/2011	3,12,995

Expenses Recognized:

Particulars	Amount in ₹
Interest Cost	46,090
Current service cost	1,38,177
Actuarial (Gain)/ Loss on obligation	(4,85,807)

Actuarial Assumptions:

Method Of Valuation :	Project Unit Credit Method
Discount Rate :	7.50%
Salary Escalation Rate:	3%
Mortality rate	LIC (1994-96) published table of Mortality rates

8. Foreign Service Contribution (FSC)

Foreign Service Contribution payable for leave salary and pension in respect of deputationist (Employees who have joined the corporation on deputation for a fix period from Indian Railways) for the year 2010-11 in terms of Government rules and regulation is estimated and is charged to Development account on accrual basis.

9. The Company has taken premises for its corporate office on operating lease effective from 15th February 2008. The lease is not non-cancelable during the current term of lease. Further company has also sub-lease part of the premises which is not non-cancelable during the current term of lease.

Lease payments recognised in the statement of Development Account for the period 2010-11 is ₹ 12,21,44,697 (Previous year ₹ 12,72,24,247)

Sub lease receivables recognised in the statement of Development Account for the period 2010-11 is ₹ 3,95,29,116 (Previous year ₹ 3,03,14,048)

10. The Company has obtained security deposits amounting to ₹ 1, 99, 79,779 (Previous Year ₹ 2, 01, 09,779) from Contractors and Sub Tenants in the shape of Fixed Deposit Receipts. Accordingly the same has not been shown as part of assets or liabilities.
11. Security Deposits shown under Loans & Advances include ₹ 2,67,49,800 (Previous Year ₹ 2,67,49,800) given to DMRC by way of Fixed Deposit under their lien. Interest Accrued thereon amounting to ₹ 25,96,972 (Previous Year ₹ 46,65,282) is included in Interest on Fixed Deposits in Development Account.
12. The corporation has paid tax on behalf of employees on Lease rents for accommodation, Medical allowances, Electricity allowances and Furnishing allowances treating these as non-monetary perks. In view of the observation on this practice being followed in many PSU, made by CAG relating to violation of Section 200 of the Companies Act 1956, and other regulatory approvals, the corporation is in the process of obtaining legal opinion in the matter.

13. Related Party Disclosures:

a) Key Management Personnel

Mr V. K. Kaul	Managing Director (Whole Time Director) up to 06.10.2010
Mr S. K. Malik	Managing Director (Looking after) from 13-09-2010 to 30-11-2010.
Mr. B. N. Rajasekhar	Managing Director (Looking After) 1-12-2010 to 14-03-2011
Mr. A. K. Dutta	Managing Director (Looking After) 22-03-2011 to 09-05-2011. Whole Time Director (INFRA) w.e.f 01-04-2010
Mr. R. K. Sinha	Whole Time Director (Finance)
Mr. P. N. Shukla	Whole Time Director (OPR & BD)
Mr. B. B. Saran	Whole Time Director (PP) up to 31.01.2011
Mr. Vivek Sahai	Part Time Chairman from 02-06-2010
Mr. S. S. Khurana	Part Time Chairman up to 02-06-2010
Mr. R. N. Bartarya	Part Time Director (Official)
Mr. M. Damodaran	Part Time Director w.e.f. 14.05.2010
Mr. Gajendra Haldea	Part Time Director (Official)
Mr. D. T. Joseph	Part Time Director (Non Official) w.e.f. 14.05.2010
Mr. Bhaskar Gupta	Part Time Director (Non Official) w.e.f. 23.11.2010

Note: Mr R. K. Gupta has been appointed as Managing Director w.e.f 10.05.2011.

a) Enterprises in which directors interest exist: NIL

c) Disclosure of transactions with related parties:-

Particulars	Transactions		Outstanding Amount	
	Year ended 31/03/2011 ₹	Year ended 31/03/2011 ₹	As at 31/03/2011 ₹	As at 31/03/2011 ₹
Remuneration to key Personnel (a) above	Refer point 14	Refer point 14	NIL	NIL

14. Managerial Remuneration

	Year ended 31/03/2011 ₹	Year ended 31/03/2010 ₹
Salary & allowances(Including PC & IDA Arrear)	64,76,254	97,19,693
Value of Perks	24,55,942	12,57,115

15. Expenditure in Foreign Currency

	Year ended 31/03/2011 ₹	Year ended 31/03/2010 ₹
Subscription fees for IT	18,02,486	18,72,000
Tour & Travel expenses	2,19,938	18,01,687
Project Consultancy Services	40,62,956	14,93,708

16. Land/Land Acquisition

- (a) As per Directions of Ministry of Railways (MOR), the Company is acquiring Land on behalf of MOR in association with Competent Authority nominated by MOR. The Company has incurred expenses amounting ` 20.00 crore (Previous Year `9.50 crores) in connection with acquisition of Land up to 31.03.2011. The same has been shown as recoverable from MOR subject to their confirmation.
- (b) Further, Bank accounts have been opened and operated jointly by the Competent Authority & a nominee of the Company. Such Bank Accounts do not form part of the Company's accounts.

- (c) Bank balances include fixed deposit with banks amounting to ₹ 68.69 crores held on behalf of State Land Acquisition Officer (SLAO) and ₹ 0.11 crores in current account in SLAO Bank accounts.
- (d) A cap of 0.5% of compensation payment has to be observed for the expenditure on land acquisition. The expenditure on land facilitation for financial year 2009-10 and 2010-11 is ₹ 20.00 crores against land compensation disbursement in two years of approximately ₹ 1434 crore. This comes to 1.39%, which is more than the cap defined by the MoR for expenses on land acquisition vide their letter dated 26-07-2010. The same is subject to the confirmation by MoR. The company has made a request to the Ministry of Railways to raise the said limit to 1.50%. Pending confirmation of the balance and raising of the limit on expenditure, the said sum has been shown as recoverable from MoR.
- 17.** The Company has sent letters to obtain confirmation from respective parties to which few parties have responded. The rest of personal balances are subject to their respective Confirmation.
- 18.** The company has made a provision of interest at the rate of 7% on the loan received from MOR for External Aided Projects (EAP). The provision of interest on this loan has been provided on the basis of a "Supplementary note for the Cabinet" dated 16.09.2009 for loan to Ministry of Railway as an externally aided component of Gross Budgetary Support by Ministry of Finance. As per this letter interest will be paid to the Ministry of Finance @ 7% over the period of the loan, after the moratorium period of ten years.
- 19.** An amount of ₹ 156.05 crores (Previous Year ₹ 239.71 crores) out of share capital/ share application money received remained unutilized, and kept in Term deposits with Scheduled Banks as on 31st March 2011.
- 20. Previous Year figures have been regrouped/ recast wherever considered necessary.**

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Ashok Chopra
Partner
M. No. 017199
For Jain Chopra & Company
Chartered Accountants
FRN 002198N

Sd/-
(R. K. Gupta)
Managing Director

Sd/-
(R. K. Sinha)
Director Finance

Sd/-
(Meenu Kapoor)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: July 5, 2011

BALANCE SHEET ABSTRACT AND A COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

SCHEDULE VI PART IV COMPANIES ACT, 1956

I. Registration Details				
Registration No.	1,55,068	State code	55	
Balance Sheet Date	31.03.11			
II. Capital Raised during the year (Amount in Rs. Thousands)				
Public Issue	NIL	Rights Issue	NIL	
Bonus Issue	NIL	Private Placement	20,11,300	
III. Position of Mobilisation and Deployment of Funds (Amount in Rs. Thousands)				
Total Liabilities	82,74,672	Total Assets	82,74,672	
Sources of Funds				
Paid-up Capital(Including Share Application Money)	66,71,300	Reserves & Surplus	NIL	
Secured Loans	NIL	Unsecured Loans	380000	
Net Deferred Tax Liability	NIL			
Application of Funds				
Net Fixed Assets	55,51,031	Investments	NIL	
Net Current Assets	15,00,269	Misc. Expenditure	NIL	
Accumulated Losses	NIL			
IV. Performance of company (Amount in Rs. Thousands)				
Turnover	-	Total expenditure	-	
Profit/(Loss) Before tax	-	Profit/(Loss) After tax	-	
Earning per Share in Rs.	-	Dividend Rate %	-	
V. Generic Names of Three Principal Products/ Services of Company (as per monetary terms)				
Item Code No. (ITC Code)		98.09		
Product Description		Turnkey construction		
Item Code No. (ITC Code)		NIL		
Product Description		NIL		
Item Code No. (ITC Code)		NIL		
Product Description		NIL		

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2011

S. No.	Particulars	2010-11 (Amount in ₹)	2009-10 (Amount in ₹)
1.	Cash Flow from Operating Activities		
	Net profit before taxation, and extraordinary items		-
	Adjustments for changes in Working Capital:		
	Increase in other receivables	(162,837,668)	54,68,40,326
	Decrease in current liabilities	903,072,555	11,78,50,074
	Decrease in Provision	5,093,948	14,71,158
	(Decrease) in Deferred Tax liability	-	-
	Cash Generated from Operations	-	-
	Income Taxes paid/Received (Net of TDS)	34,029,467	2,62,90,402
	Cash flow from Operations (A)	- 779,358,302	- 692,451,960
2.	Cash from Investment Activities :-		
	Purchase of Fixed assets /Development A/C	(2,369,904,207)	(2,329,190,417)
	Interest income (Revenue)	-	-
	Net Cash generated from / (used in) Investing activities (B)	(2,369,904,207) (2,369,904,207)	(2,329,190,417) (2,329,190,417)
3.	Cash flow from Financing Activities :-		
	Proceeds from issuance of Share capital	2,011,300,000	99,77,00,000
	Proceeds from Share Application Money	(931,300,000)	201,13,00,000
	Proceeds from long term borrowings	380,000,000	-
	Net Cash generated from / (used in) Financing activities	1,460,000,000 146,00,00,000	300,90,00,000 300,90,00,000
	Net Increase/(Decrease) in cash & cash equivalent (A+B+C)	-130,545,905	137,22,61,543
	Cash & Cash equivalent at the beginning of the year	244,94,29,528	107,71,67,985
	Cash & Cash equivalent at the closing of the year	231,88,83,623	244,94,29,528
	Cash and Cash equivalents comprise	231,88,83,623	244,94,29,528
	Cash and Cheques in Hand		
	Balance with Scheduled Banks		
	On Current Account	7,16,22,684	5,23,12,078
	On term Deposit Account	224,72,60,939	239,71,17,450

Notes:

- The above Cash flow statement has been prepared under the indirect method setout in AS-3 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.
- This is the Cash Flow Statement referred to in our report of even date.

Sd/- Ashok Chopra Partner M. No. 017199 For Jain Chopra & Company Chartered Accountants FRN 002198N	For and on behalf of Board of Directors Sd/- (R. K. Gupta) Managing Director	Sd/- (R. K. Sinha) Director Finance Sd/- (Meenu Kapoor) Company Secretary
---	---	--

Place: New Delhi
Date: July 5, 2011

Jain Chopra & Company

Chartered Accountants

105, Jyoti Bhawan, Commercial Complex,
Mukherjee Nagar, Delhi -110009
Phone: 27652776, 27652091 Fax: 011-27650155
E-mail: jc_company@sify.com

Auditors' Report

To the Members,

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

1. We have audited the attached Balance sheet of DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LTD as at 31st March, 2011, and the Development Expenditure (Pending Capitalization), prepared in lieu of the Profit and Loss Account, and the Cash Flow Statement for the year ended on that date, annexed thereto, which we have signed under reference to this report. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements base on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. As required by the COMPANIES (AUDITOR'S GEPORT) Order, 2003, (The ORDER) issued by the CENTRAL GOVERNMENT IN TERMS OF Section 227 (4A) of the Companies Act, 1956 and on the basis of such checks as we considered appropriate, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 of the said Order.
4. Further to our comments in the Annexure referred to in paragraph 3 above, attention is drawn as under to:
 - a) Note No. 12 regarding legal opinion being sought by the Corporation in the matter of applicability of the provisions of section 200 of the Companies Act, 1956 to the tax free allowances given to the employees of the Corporation;
 - b) Note No. 6 regarding non provision of Income Tax on Interest on mobilization advances and liquidated damages recovered from contractors;
 - c) Note No. 11 regarding recognition of an income of Rs. 25,96,972 (cumulative figure upto 31st March 2011 of Rs. 72,62,254/-) being interest on security deposit given as per lease agreement with Delhi Metro Railways Corporation Limited (DMRC) by way of a fixed deposit. The terms of lease however provides that an interest free deposit will be provided as security deposit. In absence of a written confirmation from DMRC we are unable to comment on the recognition of the said income. Likewise no income has been recognized in respect of such deposits obtained from the sub tenants.
 - d) Note No. 16(a) regarding claim of a sum of Rs.20.00 crores from Ministry of Railways

(MOR) towards expenses incurred by the company till 31st March 2011 and shown recoverable from MOR, is subject to the approval and confirmation by MOR.

Subject to the foregoing we further report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as appears from our examination of those books.
- c) The Company's Balance Sheet, Development Expenditure (Pending Capitalisation) prepared in lieu of Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report is in agreement with the books of account.
- d) In our opinion, the Balance Sheet Development Expenditure (Pending Capitalisation) prepared in Lieu of Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in sub section (3C) of Section 211 of the companies Act, 1956.
- e) In pursuance to the notification No. GSR 829(E) dated 17.7.2003, issued by the Department of Company Affairs; clauses (g) of sub-section (1) of Section 274 of the companies Act, 1956 pertaining to disqualification of Directors is not applicable to a Government Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read together with the principal accounting policies and notes forming part of the accounts appearing under Schedules 8 and 9 and subject to the consequential effect of, if any, on account of our observations in paragraph 4 above give the information required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- (i) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2011;
- (ii) In the case of the Development Expenditure (Pending Capitalisation) prepared in lieu of Profit and Loss Account, of the Net Expenditure of the Company for the year ended on that date ; and
- (iii) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the period indeed on that date.

Place : New Delhi
Dated : July 5, 2011

Sd/-
Ashok Chopra
Partner
Membership No. 17199
For Jain Chopra &Company
Chartered Accountants
FRN 02198N

Annexure to the Auditors' Report (Referred to in Paragraph 3 of our report of even date)

1.
 - a) The Company has generally maintained proper records to show the full particulars including quantitative details of fixed assets. However details of exact locations are not available in all cases.
 - b) As explained to us, the fixed assets have been physically verified by the Management during the year. We are informed that no material discrepancies were noticed on such verification. The discrepancies noticed have been properly dealt with in the books of account.
 - c) The company has not disposed off substantial part of its fixed assets during the year.
2. As informed to us, no loan has been granted or taken, secured or unsecured, to/from Companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.
3. As per information and explanations given *the company has purchased and obtained services for which comparative quotations have not been obtained. We are unable to comment on the same and the internal controls exercised in the matter.* Subject to the same, in our opinion and according to the information and explanations given to us, the internal control procedures are generally adequate and commensurate with the size of the company and the nature of its business for the purchase of inventories and fixed assets and for the sale of goods. During the course of our audit, we have not noticed any continuing failure to correct major weaknesses in internal controls.
4.
 - a) According to the information and explanation given to us, there are no contracts or arrangements referred to in section 301 of the Companies Act, 1956 that need to be entered into the register maintained under the said section.
 - b) According to the information and explanation given to us, the Company has not entered into any transaction in pursuance of contracts or arrangements required to be entered in the registers maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.
5. During the year, the company has not accepted any deposit from the public.
6. In our opinion, the *internal audit system is not commensurate with the size of the Company* and nature of its business and there is scope for improvement.
7.
 - a) The Company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including provident fund, employee's state insurance, income-tax, sales-tax, wealth tax, custom duty, excise duty and cess except that the company had delayed the payment of service tax on import of services. According to the information and explanations given to us, there are no undisputed amounts payable in respect of income-tax, wealth tax, sales tax, customs duty, excise duty and cess.

8. The Company does not have accumulated losses at the end of the financial year and has not incurred cash losses during the year and in the immediately preceding year, the company being in development stage.
9. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the Company has no dues towards any financial institution or bank.
10. Based on our examination and according to the information and explanation given to us, the Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities except grant of mobilization advances against hypothecation of plant and machinery acquired by the contractors.
11. The Company is not a chit fund, nidhi, mutual benefit fund or a society.
12. The Company is not dealing or trading in shares, securities, debentures and other investments.
13. On the basis of the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantees.
14. On the basis of the information and explanations given to us, the Company has obtained term loan from Ministry of Railways and the same have been used for the purpose for which it has been raised.
15. In our opinion and on the basis of the information and explanations given to us, the Company has raised long term funds which have been used for long term purposes.
16. During the year, the Company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under section 301 of the Act.
17. The Company has not issued any debentures during the year.
18. The Company has not raised any money by public issues during year.
19. We are informed that there has been no fraud committed by or on the company during the year.

Sd/-
Ashok Chopra
Partner
Membership No. 17199
For Jain Chopra & Company
Chartered Accountants
FRN 02198N

Place : New Delhi
Dated : July 5, 2011

Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 619(4) of the companies Act, 1956 on the accounts of Dedicated Freight Corridor Corporation of India limited for the year ended 31st March 2011.

The preparation of financial statements of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited for the year ended 31st March 2011 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and auditor General of India under section 619(2) of the companies Act 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statement under section 227 of the Companies Act, 1956 based on the independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 05.07.2011.

I, on the behalf of the Comptroller and auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 619(3) (b) of the companies Act, 1956 of the financial statements of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited for the year ended 2011. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory auditors' report under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the Comptroller
and Auditor General of India

Sd/-

(John K. Sellate)

Pr. Director of Commercial audit &
Ex-Officeo Member, Audit Board-IV.

Place: New Delhi
Dated: 18.08.2011

वार्षिक रिपोर्ट

2010-2011

विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	निदेशकों की सूची	3
2.	सामान्य सूचना	4
3.	अध्यक्ष का संदेश	5
4.	सूचना और परोक्षी पत्र	9
5.	निदेशकों की रिपोर्ट	11
6.	कार्पोरेट संचालन रिपोर्ट (अनुबंध "क")	25
7.	प्रमाण पत्र (अनुबंध "ख")	39
8.	प्रबंधकीय विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (अनुबंध "ग")	40
9.	प्रबंध निदेशक द्वारा घोषण (अनुबंध "घ")	47
10.	तुलन पत्र (बैलेंस शीट)	48
11.	लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	70
12.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	76

रिपोर्ट के समय निदेशकों की सूची

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री विनय मित्तल	अंशकालिक अध्यक्ष (सरकारी)	08.07.2011
2.	श्री आर.के. गुप्ता	प्रबंध निदेशक	10.05.2011
3.	श्री आर.के. सिन्हा	निदेशक (वित्त)	17.09.2007
4.	श्री पी.एन. शुक्ला	निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	15.10.2007
5.	श्री ए.के. दत्ता	निदेशक (अवसंरचना)	01.04.2010
6.	श्री अंशुमान शर्मा	निदेशक (परियोजना नियोजन)	05.04.2011
7.	श्री रंजन कुमार जैन	अंशकालिक निदेशक (सरकारी)	08.04.2011
8.	श्री गजेंद्र हल्दिया	अंशकालिक निदेशक (सरकारी)	02.05.2008
9.	श्री डी.टी. जोसेफ	अंशकालिक निदेशक (गैर सरकारी)	14.05.2010
10.	श्री भास्कर गुप्ता	अंशकालिक निदेशक (गैर सरकारी)	23.11.2010

सामान्य सूचना

पंजीकृत कार्यालय / कार्पोरेट आफिस

पंजीकृत कार्यालय
कमरा नं. 101-ए, रेल भवन,
रायसीना रोड, 110001

कार्पोरेट आफिस
5वां तल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कांप्लेक्स,
नई दिल्ली-110001

सांविधिक लेखा परीक्षक
मै. जैन चोपडा एंड कंपनी,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
105, ज्योति भवन,
कामर्शियल कांप्लेक्स, मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

आंतरिक लेखा परीक्षक
के.एम. अग्रवाल एंड कंपनी,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
36, नेताजी सुभाष मार्ग,
दरिया गंज,
नई-दिल्ली-110002

बैंकर्स
यूनियन बैंक आफ इंडिया
स्टेट बैंक आफ इंडिया
एच डी एफ सी बैंक
आई सी आई सी आई बैंक

अध्यक्ष का संदेश

कंपनी की पांचवी वार्षिक आम बैठक में, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट और लेखा परीक्षित कंपनी के खाते और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो पहले से ही आपको भेजी जा चुकी है और आपकी सहमति से मैं समझता हूँ कि आप इसे पढ़ चुके होंगे।

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा शुरु की परियोजनाओं में से डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर सबसे बड़ी परियोजना है। जैसे ही देश की अर्थव्यवस्था ने उच्च-वृद्धि चरण में प्रवेश किया है तो देश की अवसंरचना आवश्यकताएं भी कई गुना बढ़ गई हैं। इस आर्थिक चुनौती को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बनाए रखने के लिए रेल परिवहन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए एक बहुत बड़ी परियोजना शुरु की है। स्वर्ण चतुर्भुजों में भारतीय रेल के कुछ सबसे अधिक व्यस्त मार्ग आते हैं और इसके दो विकर्णों के साथ इन चतुर्भुजों पर भारतीय रेल के मालभाड़ा यातायात की 55% राजस्व आय आती है। पूर्वी कोरीडोर पर हावड़ा-दिल्ली की वर्तमान लाइन और पश्चिमी कोरीडोर की मुंबई-दिल्ली लाइन बहुत ही व्यस्त लाइन हैं जिनकी क्षमता का 115% से 150% तक उपयोग किया जा रहा है।

फ्रेट कोरीडोर की कुल लंबाई 10,122 कि.मी. है किंतु प्रारंभिक दौर में दो डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर का निर्माण होना है जो पूर्वी कोरीडोर पर लुधियाना से दानकुनी बरास्ता मुगलसराय तक 1839 कि.मी. लंबा है और पश्चिमी कोरीडोर पर दादरी से जेएनपीटी तक 1534 कि.मी. लंबा है जो अनुमोदन प्रदान किया गया है। डीएफसी एक बहुत बड़ी परियोजना है और व्यवसाय योजना के अनुसार इसकी कुल लागत 77630 करोड़ रु. है। पूर्वी और पश्चिमी कोरीडोर की अतिरिक्त क्षमता बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अवसंरचना निर्माण के कारण कोयले के अधिक संचलन की मांग को पूरा करेगी।

चालू वर्ष में शुरु की गई मुख्य परियोजना गतिविधियों में से कुछ का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। डीएफसीसी की व्यवसाय योजना ने डीएफसीसी के विजन, मिशन, उद्देश्यों और समर्थित रणनीतियों के आयोजन के फ्रेमवर्क को तैयार कर अनुमोदित किया है। छूट करार जो भारतीय रेल और डीएफसीसी के बीच संबंध को परिभाषित करेगा, को भी अनुमोदित किया गया है। छूट करार में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए राजस्व प्रवाह के सिद्धांत निहित हैं जो कंपनी के परिचालन और वित्तीय प्रबंधन के आधार होंगे।

डीएफसी परियोजना को रेल मंत्रालय की विशेष परियोजना के रूप में घोषित किया गया है और रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008 के अनुसार भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। केंद्रीय सरकार (रेल मंत्रालय) की ओर से डीएफसीसीआईएल द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी जो राज्य सरकार के राजस्व अधिकारी होते हैं, के माध्यम से भूमि अधिगृहीत की जा रही है। पूर्वी और पश्चिमी कोरीडोर में डीएफसी संरक्षण 9 राज्यों के 61 जिलों में से गुजरता है जिसमें 10840 हैक्टेयर्स भूमि आती है (पूर्वी कोरीडोर पर 4349 हैक्टेयर्स और पश्चिमी कोरीडोर पर 6494 हैक्टेयर्स है)। फ्रेट कोरीडोर के लिए भूमि अधिगृहीत करते समय पर्यावरणीय मुद्दे जैसे ठाणे वनभूमि, ठाणे में ही संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क से गुजरता मार्ग और गुजरात में बालाजी-अंबाजी वन्य जीव अभ्यारण से गुजरने वाले रास्ते की क्लीयरेंस जैसी मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

बहुत अधिक आबादी वाले क्षेत्र के मामले में डिटूर मार्ग प्रस्तावित है ताकि कम से कम आबादी को स्थानांतरित करना पड़े। भूमि

के लिए क्षतिपूर्ति रेल संशोधन अधिनियम, 2008 में प्रतिस्थापित समानता और न्याय तथा राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति 2007 के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। इस उद्देश्य के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पात्रता मैट्रिक्स में दिए गए नए लाभ की क्षतिपूर्ति में शामिल हैं जैसे अनुग्रह राशि का भुगतान, सीमांत किसानों को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति आदि शामिल है। मार्च, 2011 तक लगभग 6666 हैक्टेयर (2541 हैक्टेयर पूर्वी कोरीडोर पर तथा 4125 हैक्टेयर पश्चिमी कोरीडोर) भूमि फ्रेट कोरीडोर के निर्माण के लिए अधिसूचित की गई है। इसमें से 4252 हैक्टेयर (1286 हैक्टेयर पूर्वी कोरीडोर तथा 2946 हैक्टेयर पश्चिमी कोरीडोर) भूमि के लिए क्षतिपूर्ति का आबंटन घोषित कर दिया गया है जो कुल अपेक्षित भूमि का लगभग 40% है। अगस्त, 2011 तक 5004 हैक्टेयर भूमि अधिगृहीत की जा चुकी है जो डीएफसी की कुल आवश्यक भूमि का 50% है। जून, 2012 तक संपूर्ण डीएफसी के लिए भूमि अधिगृहीत कर लिए जाने की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी कोरीडोर पर 303 किमी के संरक्षण को डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निर्माण के कारण पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरणी प्रभाव को कम करने के लिए बदलने की आवश्यकता पड़ी।

मैं परियोजना की निधिकरण की प्रगति पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। पश्चिमी डेडीकेटेड कोरीडोर जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा दिए गए धन से बनाया जाएगा। लुधियाना से मुगलसराय के बीच पूर्वी डेडीकेटेड कोरीडोर विश्व बैंक द्वारा दिए गए धन से बनाया जाएगा। प्रगति निम्नानुसार है:-

(1) चरण-1 (वडोदरा-रेवाडी) 920 कि.मी. जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)

इंजीनियरिंग सर्विस कंसल्टेंसी (चरण-1) के लिए दो बिलियन छह सौ छह मिलियन जापानी येन का ऋण करार, आईडी-पी 205 ओर चरण-1 के निर्माण के लिए 90 बिलियन दो सौ बासठ मिलियन जापानी येन का ऋण करार, आईडी-पी 209, के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के साथ दिनांक 31.03.2010 को हस्ताक्षर कर दिया गया था और अंतिम निष्पादन के लिए गतिविधियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। निर्माण ठेके मार्च, 2012 तक आबंटित कर दिए जाने की संभावना है।

(2) चरण-2 (वडोदरा-जेएनपीटी और रेवाडी-दादरी) 564 कि.मी. जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)

इंजीनियरिंग सर्विस कंसल्टेंसी (चरण-2) के लिए एक बिलियन छह सौ सोलह मिलियन जापानी येन के ऋण करार आई डी-पी 212 पर जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के साथ हस्ताक्षर कर दिए गए थे। चरण-2 के निर्माण के लिए ऋण करार पर मार्च, 2012 तक हस्ताक्षर होने की संभावना है।

(3) ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय-कानपुर-खुर्जा-लुधियाना सेक्शन (1131 कि.मी.) के लिए निधिकरण-

विश्व बैंक मुगलसराय-लुधियाना ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निधिकरण के लिए सैधांतिक तौर पर सहमत हो गया है। विश्व बैंक ने ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के भाऊपुर-खुर्जा सेक्शन के चरण 1 परियोजना के लिए 975 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण अनुमोदित कर दिया है।

डीएफसी के तीव्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता, इसका संगठनात्मक निर्माण है। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2015 तक 932 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। डीएफसी इसे बाजार से भर्ती कर पूरा करेगी और रेल मंत्रालय ने शुरुआत से ही प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को उपलब्ध कराकर इस कार्य में डीएफसी की सहायता की है।

पूर्वी डीएफसी पर सोननगर-दानकुनी सेक्शन जो 525 किमी लंबा है को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) से बनाने का निर्णय लिया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा वित्तीय प्रतिमानों के विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है जो सार्वजनिक निजी भागीदारी करार के आधार को मूर्त रूप देंगे। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

परियोजना के सामने 25 टन/32.5 टन एक्सल लोड वाले नए रोलिंग स्टॉफ का विकास, उच्च अश्व शक्ति इंजनों और डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर बहुआदर्श लोजिस्टिक पार्कों के विकास जैसी बहुत सी चुनौतियां आई हैं। फ्रेट कोरीडोर की पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए उच्चतर एक्सल लोड वाले वैगनों का समानांतर विकास एक बहुत महत्वपूर्ण निवेश है ताकि डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर भारी लदान ढोया जा सके। भारी लदान के संचालन के लिए रेलवे भी उच्च अश्व शक्ति इंजनों का विकास कर रही है जो डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर गाड़ियों की अधिकतम गति को 75 कि.मी.प्र.घ. से बढ़ाकर 100 कि.मी.प्र.घ. तक बढ़ाने में निर्णायक होंगे। इसके अतिरिक्त लोजिस्टिक पार्कों का विकास भी एक मूलभूत अवसंरचना है जहां अन्य संबद्ध सेवाओं के साथ बहुआदर्श यातायात व्यवस्थाओं का नियंत्रण आवश्यक होगा।

चुनौती का दूसरा क्षेत्र, फ्रेट कोरीडोर के साथ-साथ फीडर मार्गों का विकास करना है। पूर्वी और पश्चिमी कोरीडोर पर प्रस्तावित फीडर मार्ग की कुल लंबाई लगभग 4500 किमी है। इन मार्गों का विकास 25 टन एक्सल लोड चलाने के लिए किया जाना है और इन्हें ट्रेक्शन की एकरूपता के लिए विद्युतीकृत किया जाना है। ये कार्य बंदरगाहों से पृष्ठ प्रदेश और कोयला संचालन के लिए खदानों से पावर हाउसों तक यातायात के बाधाहित परिचालन के लिए आवश्यक होंगे।

कार्पोरेट वातावरण में तेजी से हो रहे परिवर्तन के कारण निगम निरंतर विकास के लिए रणनीतिक औजार के रूप में सीएसआर अपना रहा है। निगम ने लंबी अवधि के लिए एक कार्पोरेट सामाजिक योजना बनाई है जिसमें बजट आबंधन, परिभाषित जिम्मेदारियां और अधिकार तथा नापने योग्य परिणाम जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल की जाएंगी। हम इस परियोजना को एक मित्वययी, सामाजिक एवं पर्यावरणीय हितैषी ढंग से चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

रेल मंत्रालय ने डीएफसीसीआईएल को भविष्य के डेडीकेटेड हेवी हाल फ्रेट कोरीडोर के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग सह यातायात सर्वेक्षण (पीईटीएस), पूर्व तटीय कोरीडोर (खड़गपुर-विजयवाड़ा, लंबाई लगभग 1100 कि.मी.), उत्तर-दक्षिण कोरीडोर (दिल्ली-चैने, लंबाई लगभग 2173 कि.मी.), दक्षिणी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (चैने-गोवा, लंबाई लगभग 890 कि.मी.), और पूर्व-पश्चिम कोरीडोर (कोलाकाता-नागपुर-मुंबई, लंबाई लगभग 2000 कि.मी.) को कार्य सौंपा है जिसे मै. राइट्स द्वारा किया जाएगा। इस दिशा में कार्य आरंभ कर दिया गया है।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कार्पोरेट संचालन के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए मई, 2010 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट में "कार्पोरेट संचालन रिपोर्ट" तथा "प्रबंधन के विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट" सम्मिलित की गई है। निगम व्यवसायिक सिद्धांतों एवं मूल्यों का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। निगम ने रेल मंत्रालय और डीएफसीसीआईएल के बीच वर्ष 2010-11 के लिए हुए समझौता ज्ञापन में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त किया है। वर्ष 2009-10 के लिए समझौता ज्ञापन में दिए गए लक्ष्यों के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निगम को श्रेष्ठ निगम की उपाधि प्रदान की गई है।

आभार

कंपनी को सहयोग तथा सहायता प्रदान करने के लिए मैं रेल मंत्रालय, क्षेत्रीय रेलों और भारत सरकार के अधीन अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों और उसके विभागों को धन्यवाद देता हूँ।

इसके अतिरिक्त मैं कंपनी के हितधारकों को उनके कंपनी को दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भविष्य में भी उनसे इस प्रकार के सहयोग की आशा करता हूँ। मैं अपने बोर्ड के सहयोगियों का भी उनके बहुमूल्य सुझावों और निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ।

मैं अपने बैंकों, व्यापारिक संबंधियों को, डीएफसीसीआईएल को दिए गए उनके सहयोग और सहायता के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं कंपनी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके समर्पित, संगठित और सच्चे प्रयासों के लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी के समर्पित प्रयासों से कंपनी के उद्देश्यों को, ईमानदारी, गति एवं सफलता के साथ प्राप्त करना संभव हो पाएगा।

ह/—

दिनांक : 17.09.2011

विनय मित्रल

स्थान : नई दिल्ली

अध्यक्ष

सूचना

एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों के संपादन के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की पांचवीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, दिनांक 17 सितंबर, 2011 को दोपहर 12.30 बजे बोर्ड रूम, 5वां तल, प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110001 में आयोजित होगी।

साधारण कार्य

1. 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित संतुलन पत्र और उसके साथ संलग्न अनुसूचियों के साथ निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करना और स्वीकार करना।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.09.2011

बोर्ड के आदेश से

ह/-
(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव

नोट:

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार कोई सदस्य अपने एवज में भाग लेने और मत देने के लिए एक परोक्षी नियुक्त करने के लिए हकदार है और परोक्षी के लिए कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। परोक्षी नियुक्त करने का प्रपत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आरंभ होने से 48 घंटे पहले जमा करा दिया जाना चाहिए।
2. परोक्षी प्रपत्र इसके साथ संलग्न है।

परोक्षी प्रपत्र

मैं निवासी.....
..... डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का सदस्य होने के नाते
एतद द्वारा श्री को या उनके उपस्थित न होने पर श्री
को शनिवार, 17 सितंबर, 2011 को दोपहर 12.30 बजे बोर्ड रूम, 5वां तल, प्रगति मैदान, मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग कांप्लेक्स, नई
दिल्ली-110001 में होने वाली कंपनी की 5वीं वार्षिक आम बैठक में और या उसके किसी स्थान पर मेरी ओर से भाग लेने और
मेरा मत देने के लिए परोक्ष प्रतिनिध (प्रोक्सी) नियुक्त करता हूं।

दिनांक: 2011 को हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

खाता पन्ना:

शेयर धारण संख्या:

नाम:

पता:

एक रुपए
की राजस्व
टिकट

नोट:

कारगर सिद्ध होने के लिए परोक्षी प्रपत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आरंभ होने से 48 घंटे पहले प्राप्त होनी चाहिए।
परोक्षी के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

निदेशकों की रिपोर्ट

देवियों/सज्जनों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा सहित कंपनी की पांचवी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

1. वार्षिक लेखा 2010-11 का सार
वर्ष के दौरान कॉर्पोरेशन ने निम्नलिखित खर्च किए हैं:-

(क) परियोजना निष्पादन पर व्यय

31 मार्च, 2011 तक परियोजना निष्पादन पर 360.85 करोड़ रुपए का संचयी व्यय किया गया। वर्ष 2010-11 के दौरान परियोजना निष्पादन पर 221.65 करोड़ रुपए का सकल व्यय किया गया जिसमें 177.60 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष व्यय, 40.94 करोड़ रुपए का उपरि व्यय तथा ब्याज आय पर 3.11 करोड़ रुपए का कर सम्मिलित है।

वर्ष के दौरान कॉर्पोरेशन को 26.60 करोड़ रुपए की सकल आय हुई जिसमें ब्याज आय का 17.31 करोड़ रुपए, (8.74 करोड़ रुपए की संचलन आय पर ब्याज सहित) दक्षता प्रबंधन प्रभार एवं उप पट्टा पर किराया वसूली 7.57 करोड़ रुपए तथा 1.72 करोड़ रुपए की अन्य आय सम्मिलित है। इस प्रकार, वर्ष 2010-11 के दौरान 201.28 करोड़ रुपए का शुद्ध व्यय हुआ।

(ख) स्थायी परिसंपत्तियों में निवेश

31 मार्च, 2011 तक स्थायी परिसंपत्तियों में 18.64 करोड़ रुपए निवेश किए गए जिसमें 3.34 करोड़ रुपए के कंप्यूटर, कंप्यूटर साफ्टवेयर तथा पेरीफलस, 1.60 करोड़ रुपए का फर्नीचर एवं फिक्सचर, 4.15 करोड़ रुपए का कार्यालय उपस्कर तथा 9.55 करोड़ रुपए लीज होल्ड परिसर सुधार हेतु सम्मिलित है।

2. परियोजना की प्रगती

क. भूमि अधिग्रहण

समीक्षा के अंतर्गत वर्ष के दौरान दोनों कोरीडोर के लिए 3353 कि.मी. क्षेत्र में फेली 10843 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण को उच्च प्राथमिकता दी गई, जोकि परियोजना की सफलता के लिए आवश्यक है। ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर यह 1835 कि.मी. में लगभग 4349 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला है (सोन नगर से दनकुनी को छोड़कर) तथा वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर यह 1518 कि.मी. में 6494 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला है। 2458 कि.मी. से ज्यादा क्षेत्र में फेली 9145 हैक्टेयर भूमि के लिए भारतीय रेल संशोधन अधिनियम (2008) की धारा 20 ए (भूमि को अधिग्रहण करने का इरादा) के तहत भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी है। 2043 कि.मी. से ज्यादा क्षेत्र में फेली लगभग 6760 हैक्टेयर भूमि के लिए भारतीय रेल संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 20 ई (केंद्रीय सरकार के साथ निहित भूमि) के तहत अधिसूचना जारी की जा चुकी है। भारतीय रेल

संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 20 एफ (मुआवजा राशि की घोषणा) के तहत 1275 कि.मी. से ज्यादा क्षेत्र में फैली लगभग 3698 हेक्टेयर भूमि के लिए अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

ख. धन की व्यवस्था (फंडिंग)

(1) चरण 1 (वड़ोदरा-रेवाड़ी) 920 कि.मी. (जायका)

इंजीनियरिंग सर्विस कंसल्टेंसी (चरण-1) के लिए दो बिलियन छह सौ छह मिलियन जापानी येन का ऋण करार आई डी-पी 205 और चरण-1 के निर्माण के लिए 90 बिलियन दो सौ बासठ मिलियन जापानी येन का ऋण करार आई डी-पी 209 के लिए जायका के साथ हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

(2) चरण-2 (वड़ोदरा- जेएनपीटी और रेवाड़ी-दादरी) 564 कि.मी. (जायका)

इंजीनियरिंग सर्विस कंसल्टेंसी (चरण-2) के लिए एक बिलियन छह सौ सोलह मिलियन जापानी येन के ऋण करार आई डी-पी 212 पर जायका के साथ हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। चरण-2 के निर्माण के लिए ऋण करार पर हस्ताक्षर, मार्च 2012 तक संभावित हैं।

(3) ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के मुगलसराय-कानपुर-खुर्जा-लुधियाना सेक्शन (1131 कि.मी.) के लिए फंडिंग-

विश्व बैंक मुगलसराय-लुधियाना ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर की फंडिंग के लिए सैधांतिक तौर पर सहमत हो गया है। विश्व बैंक ने ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के भाऊपुर-खुर्जा सेक्शन के चरण -1 परियोजना के लिए 975 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण अनुमोदन कर दिया है।

ग. मुख्य ठेके

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के निम्नलिखित प्रमुख ठेके प्रगति पर थे:-

वेस्टर्न कोरीडोर

क. निर्माण/परामर्श कार्य के ठेके

1. महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के वसई-भरुच सेक्शन पर वैतरना एवं उतरन के बीच (लगभग 200 कि.मी.) वेस्टर्न फ्रेट कोरीडोर के महत्वपूर्ण तथा प्रमुख पुलों (54) के डिजाइन एवं निर्माण का ठेका एकमुश्त आधार पर दिया गया है (निविदा सं.एच क्यू/ई एन/डब्ल्यूसी/ब्रिज/डी एंड बी/1)। उपरोक्त निविदा के तहत कुल 54 पुलों में से 20 पुलों के डिजाइन का अनुमोदन हो गया है और 16 पुलों पर वास्तविक कार्य प्रगति पर है।
2. भारत के महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के वसई-भरुच सेक्शन पर वैतरना एवं उतरन के बीच (लगभग 200 कि.मी.) वेस्टर्न फ्रेट कोरीडोर के महत्वपूर्ण तथा प्रमुख 54 पुलों के डिजाइन एवं निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की नियुक्ति (निविदा दस्तावेज सं.एच क्यू/डब्ल्यूसी/ब्रिज/पी एम सी/1) दिनांक 01. 10. 2008)।

- (1) रेवाडी वडोदरा सेक्शन के बीच डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के चरण 1 के निर्माण की परियोजना के लिए इंजीनियरिंग परामर्श सेवा का ठेका और दादरी रेवाडी सेक्शन और वडोदरा-जेएनपीटी सेक्शन के बीच चरण-2 के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के ठेके का आबंटन कर दिया गया है।
- (2) कालोल ओर पालनपुर के बीच समानांतर संरक्षण और सूरत, धानू रोड, वसई-जूहीचंद्रा ओर पनवेल पर डिटूर संरक्षण के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग व्यवहार्यता सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

ख. प्रारंभिक निर्माण कार्य ठेका

1. वैतरना एवं उतरन के बीच डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन परियोजना के रेलवे पुलों का डिजाइन।
2. रेवाडी-जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बीच 50,000 से अधिक टी.यू.वी. वाले समपार फाटकों पर प्रस्तावित सड़क ऊपरि पुल (आर.ओ.बी.) निर्माण हेतु जी.ए.डी. तैयार कर लिया गया है।
3. रेवाडी-वडोदरा के बीच 922 कि.मी. लंबे (140 कि.मी. सेक्शन को छोड़कर) चरण-1 के संरक्षण के लिए सामान्य इंजीनियरिंग परामर्श ठेको को अंतिम रूप दे दिया गया है। रेवाडी-वडोदरा के बीच चरण-1 के 922 कि.मी. लंबाई में से 625 कि.मी. लंबाई के लिए सिविल एवं ट्रेक निर्माण कार्य के लिए पूर्व अर्हता आमंत्रण जारी कर दिए गए हैं।





ईस्टर्न कोरीडोर

(क) निर्माण कार्य के ठेके

1. बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में ईस्टर्न कोरीडोर के मुगलसराय-सोननगर सेक्शन पर चेनेज कि.मी. 14.108 (न्यू खरवंदिया के नजदीक) से चेनेज कि.मी. 119.437 (न्यू गंज ख्वाजा के नजदीक) (लगभग 105 कि.मी.) तक डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए ब्लैंकेटिंग, प्रमुख पुलों, सप्लाइ तथा गिट्टी बिछाने एवं अन्य संबंधित ढांचागत कार्यों सहित बनावट का डिजाइन एवं निर्माण।

न्यू खरवंदिया और दुर्गावती स्टेशनों के बीच भौतिक कार्य पूरी गति पर है। वित्तीय वर्ष के अंत तक मिट्टी का कार्य 15 लाख क्यू.मी. अर्थात् 60% तक पूरा कर लिया गया है। कुल 127 छोटे पुलों में से 61 की नींव रख दी गई है। सीटू पुलों के 67 और 7 नं. के बाक्सों की ढलाई पूरी कर दी गई है। मुख्य पुल के खंभों के लिए खडंजे लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

कार्य की प्रगति को दर्शाने के लिए कुछ फोटो नीचे दिए गए हैं:



(ख) परामर्श कार्य के का ठेका

1. बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में ईस्टर्न कोरीडोर के मुगलसराय-सोननगर सेक्शन पर चनेज कि.मी. 14.108 (न्यू खरवंदिया के नजदीक) से चनेज कि.मी. 119.437 (न्यू गंज ख्वाजा के नजदीक) (लगभग 105 कि.मी.) तक डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए ब्लैकटिंग, प्रमुख पुलों, छोटे पुलों, सड़क निचला पुलों, सड़क ऊपर पुलों, गिट्टी सप्लाई तथा अन्य संबंधित ढांचागत कार्यों सहित संरचना के सरल निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता सर्विस।
2. ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर मुगलसराय-खुर्जा सेक्शन का (लगभग 726 कि.मी.) विस्तृत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन।
 - चरण-1 भाऊपुर-खुर्जा सेक्शन के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है।
 - चरण-2 मुगलसराय-भाऊपुर सेक्शन के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है।
3. ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर मुगलसराय-खुर्जा सेक्शन का (लगभग 726 कि.मी.) विस्तृत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन।
 - चरण-1 भाऊपुर-खुर्जा सेक्शन के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है।
4. ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के खुर्जा-भाऊपुर सेक्शन के लिए सिविल इंजीनियरिंग प्रूफ परामर्श के लिए परामर्श सेवा।
 - कार्य पूरा
5. ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के भाऊपुर-खुर्जा सेक्शन के लिए सिगनलिंग और दूर संचार प्रणालियों सहित दोहरी लाइन विद्युतीकृत रेलवे ट्रैक के कार्य के लिए सामान्य परामर्श सेवाएं।
 - सी.एस.टी. कांट्रैक्ट के लिए पूर्व अर्हताएं 14.07.2010 को आमंत्रित की गई थी और मूल्यांकन रिपोर्ट विश्व बैंक के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दी गई है। सी.एस.टी. ठेके का बिड दस्तावेज प्रारूप विश्व बैंक की सहमति से अनुमोदन हेतु अंतिम दौर में है।
6. ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के खुर्जा-भाऊपुर सेक्शन के लिए डिजाइन पुनः समीक्षा परामर्श सेवाएं।
 - खुर्जा-भाऊपुर सेक्शन के प्रथम डिजाइन बिल्ड अप एकमुश्त कांट्रैक्ट के लिए डिजाइन विनिर्देशन की समीक्षा पूरी कर ली गई है। कार्य निष्पादन विनिर्देशन की समीक्षा अंतिम चरण में है।
7. खंड के प्रस्तावित संरक्षण का विस्तृत इंजीनियरिंग निर्माण सर्वे, रेलवे अधिनियम 2008 (संशोधित) के अनुसार भूमि योजना तथा भूमि अर्जन का प्रस्ताव तैयार करना तथा ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर दानकुनी स्थित कि.मी. 14.81 से धनबाद स्थित कि.मी. 270.88 (अनुमानित रुट लंबाई 256 कि.मी.) पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निर्माण के लिए व्यवहार्यता की पहचान तथा मात्रा की अनुसूची तैयार करना।
 - सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। भूमि योजनाओं की तैयारी और भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

8. खंड के प्रस्तावित संरक्षण का विस्तृत इंजीनियरिंग निर्माण सर्वे, रेलवे अधिनियम 2008 (संशोधित) के अनुसार भूमि योजना तथा भूमि अर्जन का प्रस्ताव तैयार करना तथा ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर धनबाद स्थित कि.मी. सं. 270.88 से सोननगर स्थित कि.मी. सं. 549.04 (अनुमानित रुट लंबाई 278 कि.मी.) पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निर्माण के लिए व्यवहार्यता की पहचान तथा मात्रा की अनुसूची तैयार करना ।

– गया डिटूर के साथ-साथ समानांतर भाग का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। कोडारमा डिटूर का सर्वेक्षण कार्य और भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

ग. निविदाएं:

1. ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के भाऊपुर-खुर्जा सेक्शन के लिए सिविल, स्ट्रक्चर और दोहरी लाइन के लिए ट्रेक निर्माण के डिजाइन और निर्माण का कार्य जिसमें रेलवे तटबंध/कटिंग, मिट्टी बिछाने का कार्य, ट्रेक वर्क्स, पुलों डिजाइन-बिल्ड एकमुश्त आधार पर जांच शुरू करना ।

उपरोक्त कार्य के लिए पूर्व अर्हताए वर्ष के दौरान अमंत्रित की गई थी। बोली तैयारी और प्रक्रिया प्रगति पर है।

3. पूंजागत ढांचा

31 मार्च, 2011 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 4000,00,00,000 (चार हजार करोड़ रुपए) थी जो कि 4,00,00,000 (चार करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित है और प्रत्येक शेयर की कीमत 1000/-रु. है।

दिनांक 31.03.2011 को कंपनी की प्रदत्त पूंजी 559,13,00,000 (पांच सौ उनसठ करोड़ तेरह लाख रुपए) थी जो की 55,91,300 (पचपन लाख इक्यानवे हजार तीन सौ) इक्विटी शेयर में विभाजित है और प्रत्येक शेयर की कीमत 1000/- रु. है और शेयर आवेदन निधि 108 करोड़ रुपए है। रेल मंत्रालय द्वारा इक्विटी में योगदान के कारण कंपनी की प्रदत्त पूंजी में वृद्धि हुई है।

4. अनुपालन

(क) राजभाषा

राजभाषा नियमों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य राजभाषा अधिकारी के अंतर्गत राजभाषा विभाग का गठन किया गया है जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कामकाज के हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है और बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं। डीएफसीसीआईएल, कार्पोरेट आफिस राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित कार्यालय है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती है। राजभाषा का प्रयोग प्रसार बढ़ाने हेतु कई कदम उठाए गए हैं अर्थात् सभी लेखन सामग्री, सामान्य परिपत्र, भूमि अधिग्रहण और राजपत्र अधिसूचनाओं का मुद्रण द्विभाषी रूप में किया जा रहा है। सभी कंप्यूटरों पर हिंदी साफ्टवेयर उपलब्ध है। डीएफसीसी की वेबसाइट द्विभाषी है।

डीएफसीसीआईएल में दिनांक 14. 09 .2010 से 28. 09. 2010 तक राजभाषा पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं और कार्यशालाओं के माध्यम से राजभाषा का प्रचार प्रसार किया जाता है।

ख. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को व्यवहारिक दृष्टि से शासन प्राणाली से सूचना प्रदान करने का प्रयास है जिसके तहत वे सार्वजनिक प्राधिकार के नियंत्रण के अंतर्गत नियम सूचना प्राप्त कर सकते हैं ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को प्रोत्साहन मिल सके।

कंपनी ने एक केंद्रीय जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की है जिसका नाम कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी को 130 (लगभग) आर टी आई आवेदन प्राप्त हुए और सभी मामलों का निपटान निर्धारित समय में किया गया।

ग. एम सी ए 21 ई—फाइलिंग

कंपनी नियमों, 2006 (इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग एंड आथेंटिकेशन आफ डोक्यूमेंट्स) की शर्तों के अनुसार कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी संवैधानिक प्रपत्र और विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भरी हैं।

घ. समझौता ज्ञापन

समीक्षात्मक अवधि के दौरान सार्वजनिक उदयम विभाग द्वारा जारी समझौता के ज्ञापन दिशा निर्देशों के अनुसार रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन पर परिवहन एवं पर्यटन संघ के कार्य बल के साथ चर्चा की गई थी।

रेल मंत्रालय तथा डीएफसीसीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन (2011–12) के मद्देनजर कंपनी को कुछ निश्चित लक्ष्य हासिल करने होंगे अर्थात् परियोजना संबंधी प्राचल, सक्रिय प्राचल, निगमित सामाजिक जिम्मेदारी प्राचल, मानव संसाधन प्रबंधन, निरंतर विकास, सेक्टर विनिर्दिष्ट तथा उदयम विनिर्दिष्ट परिवर्तन।

सार्वजनिक उदयम विभाग द्वारा वर्ष 2009–10 के लिए कंपनी को एम ओ यू के लिए उत्कृष्ट श्रेणी प्रदान की गई है।

ड. सतर्कता

समीक्षात्मक अवधि के दौरान कोई पूर्णकालिक समर्पित सतर्कता ईकाई नहीं थी। महाप्रबंधक/प्रशासन दिनांक 20. 08. 2010 तक मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्यभार देख रहे थे और एक बहु अनुशासनिक टीम का गठन सतर्कता कार्य के अनुपालन और शिकायतों की जांच के लिए किया गया। इसके बाद कार्यकारी निदेशक/सतर्कता

(लेखा), रेलवे बोर्ड, अपने कार्य के अतिरिक्त डीएफसीसीआईएल के अंशाकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी का पदभार दिनांक 08. 09. 2010 से संभाला। सतर्कता विभाग रोधात्मक और दंडात्मक दोनों तरह की कार्रवाई करता है।

रेल मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 2010/ई (ओ) 11/39/6 दिनांक 22. 3. 2011 के एवं शहरी विकास मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. ए 22012/1/2005/एडमि.1 दिनांक 11. 4. 2011 के संदर्भ में एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी ने दिनांक 11. 4. 2011 को डीएफसीसीआईएल, कापॉरिट आफिस में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण किया है।

सतर्कता यूनिट सतर्कता जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करती है। 25 अक्टूबर 2010 से 01 नवंबर 2010 तक कंपनी ने सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया। सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

5. सूचना प्रौद्योगिकी तथा विकास

डीएफसीसीआईएल ने इस परियोजना पर एक ऐसी इंटरप्राइज वाइड इंटीग्रेटेड आई टी सिस्टम के सृजन और उसे लागू करने का साहसी कदम उठाया है जिससे वह अपने संगठनात्मक व्यापार कार्यों को करने में समर्थ होगी और प्रत्येक कर्मचारी को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएगी जिससे वे अपनी नियमित कार्यालय गतिविधियों को अधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर सकें। प्रस्तावित आई टी प्रणाली डीएफसीसीआईएल के महत्वपूर्ण आर्टीफैक्ट्स (योजनाएं, ड्राइंग, नोट्स, दस्तावेज, रिपोर्ट आदि) को एक सुरक्षित और प्रबंधकीय वातावरण में लंबे समय तक अंकुरण आरूप में सुरक्षित रखने में मदद करेगी। डीएफसीसीआईएल एक ऐसे नए वातावरण में काम करेगी जहां इसके कर्मचारियों को एक माउस के क्लिक पर किसी भी व्यवसाय से संबंधित सूचना मिल सके। प्रस्तावित वातावरण में डीएफसीसीआईएल के मुख्य परियोजना प्रबंधकों के कार्यालय हमेशा प्रधान कार्यालय से जुड़े रहेगे और कभी भी इससे अलग नहीं होंगे।

नीचे दी गई तालिका डीएफसीसीआईएल की इंटरप्राइज वाइड इंटीग्रेटेड आई टी सिस्टम के प्रत्येक हितधारक/प्रयोगकर्ता के लाभों को दर्शाती है:

प्रणाली प्रयोगकर्ता/हितधारक	लाभ
विभागीय प्रयोगकर्ता	तीव्र और संरचनाबद्ध सूचना की उपलब्धता सही परिभाषित वर्कफ्लो भूमिका और जिम्मेदारियों की स्पष्टता उदयम संसाधनों तक तीव्र पहुंच स्पष्ट और कागज रहित कार्य वातावरण
कर्मचारी	वेतन, आयकर, पेंशन, ऋण और अन्य लाभों पर आनलाइन सूचना मानव संसाधन नीतियों, सरकारी सूचनाओं पर आनलाइन सूचना सुरक्षित ईमेल सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ उपलब्ध सेवाएं
लेखा परीक्षण अधिकारी	राजस्व एवं खर्चों की शीघ्र उपलब्ध सूचनाएं
उच्च प्रबंधन	निर्णय संबंधी प्रणाली आंकड़ों का एकीकृत स्वरूप
मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय	कुशल परियोजना और कांटेक्ट प्रबंधन इंटरप्राइज संसाधनों तक तीव्र पहुंच वित्तीय लेनदेन पर उचित कंट्रोल और निगरानी प्रबंधकीय रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टों की आसानी से उपलब्धता
परियाजना परामर्शदाता	ड्राइंग और योजनाओं की आनलाइन पहुंच
ठेकेदार	पारदर्शी संविदा प्रबंधन बिलों और भुगतानों का समय से निपटान परियोजना से संबंधित स्थिति की सही समय पर उपलब्धता
रेल मंत्रालय/बाह्य फंडिंग एजेंसियां	इनके द्वारा उपलब्ध फंडस के उपयोग और निष्पादन पर विस्तृत सूचना

6. औद्योगिक संबंध

समीक्षावधि के दौरान औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण एवं सद्भावनापूर्ण रहे। 30 अक्टूबर, 2010 को डीएफसीसीआईएल का स्थापना दिवस सादगी से मनाया गया। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों, वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों तथा डीएफसीसीआईएल के कर्मचारी उपस्थित थे।

विश्वनीय सूचनाओं के प्रभावी विस्तार के लिए डीएफसीसीआईएल ने दिनांक 14.02.2011 को डीएफसीसी न्यूज नाम से अपना त्रैमासिक समाचार पत्र का शुरुआती अंक प्रकाशित किया। इसने हितधारकों और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के बीच सकारात्मक बोध कराने में मदद की।

7. निदेशक मंडल

समीक्षावधि के दौरान नियुक्तियों एवं पदावधि समाप्ति के कारण डीएफसीसीआईएल के बोर्ड के संगठन में कुछ परिवर्तन हुआ जो निम्नानुसार है:

1. श्री ए के दत्ता, आई आर एस ई ई (डी आई टी एस 30. 10. 1978) ने दि: 01. 04. 2010 को डीएफसीसीआईएल के निदेशक/अवसंरचना का कार्यभार ग्रहण किया।
2. श्री डी टी जोसेफ, पूर्व सचिव, भारत सरकार तथा श्री एम दामोदरन, पूर्व अध्यक्ष, सेबी को कंपनी के बोर्ड में दिनांक 14. 05. 2010 से तीन साल की अवधि या अगले आदेश तक इनमें से जो पहले हो के आधार पर गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकों के रूप में नियुक्त किया है।
3. श्री विवेक सहाय, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को श्री एस एस खुराना के स्थान पर डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में दिनांक 02. 06. 2010 से अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
4. श्री आर एन बरतरया, सलाहकार (अवसंरचना)/रेलवे बोर्ड को श्री प्रदीप भटनागर, पूर्व सलाहकार (अवसंरचना), जो कि स्थानांतरिक हो चुके हैं, के स्थान पर डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में दिनांक 12. 07. 2010 से अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किया है।
5. रेलवे बोर्ड के कार्यालय आदेश सं. 2007/ई (ओ) 11/40/5 दि: 13. 09. 2010 द्वारा श्री एस. के. मलिक, अतिरिक्त सदस्य यांत्रिक/सी.ई., रेलवे बोर्ड को 60 दिनों या अगले आदेश तक उनके अपने कार्यभार के अलावा डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार अस्थायी तौर पर सौंपा गया। जिसे 12. 11. 2010 से बढ़ाकर 30. 11. 2010 या अगले आदेश तक या इनमें से जो पहले हो के आधार तक बढ़ा दिया गया।
6. प्रो. श्री भास्कर गुप्ता, टेलीकाम इंजीनियरिंग विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय को कंपनी के बोर्ड में दिनांक 23. 11. 2010 से तीन साल कल की अवधि या अगले आदेश तक इनमें से जो पहले हो के आधार पर गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
7. रेलवे बोर्ड के कार्यालय आदेश सं. 2007/ई(ओ) 11/40/5 दि: 30. 11. 2010 द्वारा श्री बी एन राजशेखर, सलाहकार (योजना), रेलवे बोर्ड को उनके अपने कार्यभार के अलावा दिनांक 01. 12. 2010 से अगले आदेश तक डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया।

8. श्री ए के दत्ता, निदेशक (अवसंरचना) ने अपने कार्य के अलावा दिनांक 22. 03. 2011 से 10. 05. 2011 तक डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।

वित्त वर्ष 2010-11 के समापन के बाद निम्नलिखित निदेशकों ने बोर्ड का कार्यभार संभाला।

1. डीएफसीसीआईएल के कार्यालय आदेश सं. एच.क्यू./एच.आर./पी फाइल/293 दिनांक 05. 04. 2011 द्वारा श्री अंशुमान शर्मा, पूर्व आई आर एस ई, महाप्रबंधक, इरकान ने दिनांक 05. 04. 2011 (पूर्वाहन) को निदेशक/परियोजना नियोजन, डीएफसीसीआईएल के रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी अधिवार्षिता की तिथि तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो पहले हो, दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री बी. बी. सरन के मामले में WP (C) 6080 /2010 परिणाम आने के आधार पर कार्यभार ग्रहण किया है।
2. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2007/इंफ्रा/6/4/पार्ट-1 दिनांक 08. 04. 2011 द्वारा भारत के राष्ट्रपति ने श्री रंजन जैन, सलाहकार (अवसंरचना) /रेलवे बोर्ड को श्री आर एन बरतरया, पूर्व सलाहकार (अवसंरचना)/रेलवे बोर्ड जिनका स्थानांतरण हो गया है, के स्थान पर डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
3. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2010/ई(ओ) 11/40/25 दि: 09. 05. 2011 द्वारा भारत के राष्ट्रपति ने श्री आर. के. गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) उत्तर रेलवे को डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्त पर नियुक्त किया है। इन्हें तुरंत विलयन के नियम से छूट दी गई है। इन्हें अभी दो वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है जिसे कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा के बाद वर्ष दर वर्ष के आधार पर पांच वर्ष की कुल अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। इन्होंने दिनांक 10. 05. 2011 (पूर्वाहन) को प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया।
4. रेलवे बोर्ड के दि: 08. 07. 2011 के पत्र सं 2009/इंफ्रा/6/2 के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति ने श्री विनय मित्तल, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तत्काल प्रभाव से डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों का कार्यभार समाप्त हो गया है :-

1. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2007/ई(ओ) 11/40/5 के अनुसरण में श्री वी.के. कौल, प्रबंध निदेशक, डीएफसीसीआईएल का दि: 06. 10. 2010 से प्रबंध निदेशक/डीएफसीसीआईएल का कार्यभार समाप्त हो गया।
2. श्री बी. बी. सरन, निदेशक (परियोजना नियोजन) का कार्यभार अधिवार्षिता के कारण दिनांक 31. 01. 2011 से समाप्त हो गया है।

वित्त वर्ष 2010-11 के समापन के बाद निम्नलिखित निदेशकों का कार्यभार समाप्त हो गया है :-

- (क) रेलवे बोर्ड के दि: 08. 04. 2011 के पत्र सं. 2007/इंफ्रा/6/4/पार्ट-1 दवारा श्री आर एन बेरतरया, पूर्व सलाहकार (अवसंरचना) का दिनांक 08. 04. 2011 से पदभार समाप्त हो गया है।

क्र.स.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री विनय मित्तल	अंशकालिक अध्यक्ष (सरकारी)	08. 07. 2011
2.	श्री आर. के. गुप्ता	प्रबंध निदेशक	10. 05. 2011
3.	श्री आर. के. सिन्हा	निदेशक (वित्त)	17. 09. 2007
4.	श्री पी. एन. शुक्ला	निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	15. 10. 2007
5.	श्री ए. के. दत्ता	निदेशक (अवसंरचना)	01. 04. 2010
6.	श्री अंशुमान शर्मा	निदेशक (परियोजना नियोजन)	05. 04. 2011
7.	श्री रंजन जैन	अंशकालिक निदेशक (सरकारी)	08. 04. 2011
8.	श्री गजेंद्र हल्दिया	अंशकालिक निदेशक (सरकारी)	02. 05. 2008
9.	श्री डी. टी. जोसेफ	अंशकालिक निदेशक (गैर सरकारी)	14. 05. 2010
10.	श्री भास्कर गुप्ता	अंशकालिक निदेशक (गैर सरकारी)	23. 11. 2010

8. लेखा परीक्षक

वित्त वर्ष 2010-11 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स जैन चोपड़ा एण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया था।

9. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

लेखा की टिप्पणी के साथ मैसर्स जैन चोपड़ा एण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दवारा प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षक की रिपोर्ट स्वतः स्पष्ट है।

10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी
31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए प्रबंधन टिप्पणी के साथ कंपनी के लेखा पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी जोकि वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
11. ऊर्जा का संरक्षण प्रौद्योगिकी, विलयन और विदेशी मुद्रा का अर्जन और निर्गम
ऊर्जा संरक्षण तथा प्रौद्योगिकी विलयन करने के संबंध में कंपनी नियम, 1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटन) के साथ कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (ई) के अनुसरण के अपेक्षित विवरण के प्रकटन को शून्य माना जाए।
यद्यपि समीक्षावधि के दौरान विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं निर्गम निम्न प्रकार रहा:—
- | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|
| विदेशी मुद्रा का अर्जन | — | शून्य |
| विदेशी मुद्रा का निर्गम | — | 60,85,380 /— रु जिसमें से |
| आई टी के लिए अंशदान शुल्क | — | 18,02,486 /—रु |
| दौरा एवं यात्रा व्यय | — | 02,19,938 /—रु |
| परियोजना परामर्श सेवाएं | — | 40,62,956 /—रु |
12. कर्मचारियों / निदेशकों की परिलब्धियों का विवरण
समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अनुसार सूचना प्रकट करना अपेक्षित नहीं है क्योंकि कोई भी कर्मचारी और निदेशक निर्धारित सीमा से अधिक परिलब्धियां प्राप्त नहीं कर रहा था।
वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान प्रबंधकीय परिलब्धियों की कुल लगत 89,32,196 /—रु. है जिसमें से परिलब्धियों का कुल मूल्य 64,76,254 /—रु. और लाभों का मूल्य 24,55,942 /—रु. है।
13. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन
कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत यथा अपेक्षित निदेशक पुष्टि करते हैं कि:
- (क) वार्षिक लेखा तैयार करने में, लागू लेखंकन मानको का अनुसरण किया गया है और तात्विक विसंगतियों के लिए समुचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।
- (ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत लागू किया है और निर्णय लिए हैं तथा आकलन किए हैं जो उपयुक्त और विवेकपूर्ण हैं और जो उस अवधि के लिए कंपनी के मामलों की सही स्थिति दर्शाते हैं।
- (ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखेबाजी तथा अन्य अनयमितताओं को रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के अनुक्षण के लिए निदेशकों ने समुचित और पर्याप्त सावधानी बरती है
- (घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखा एक कार्यरत कंपनी के आधार पर तैयार किया है।

14. कार्पोरेट संचालन

सार्वजनिक उदयम विभाग द्वारा कार्पोरेट संचालन के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र इस निदेशकों की रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण भाग है।

अनुबंध "क" वा प्रस्तुत एक "कार्पोरेट संचालन रिपोर्ट" कार्पोरेट संचालन पर कंपनी का दर्शन, उपस्थिति के साथ-साथ निदेशक मंडल का गठन, निदेशकों की परिलब्धियां आदि और अन्य समकक्ष प्रकटीकरण को दर्शाती है।

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त कार्पोरेट संचालन का अनुपालन प्रमाण पत्र अनुबंध "ख" पर प्रस्तुत है।

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट अनुबंध "ग" पर प्रस्तुत है।

15. आभार

निदेशक, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों, क्षेत्रीय रेलों, सांविधिक अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों के प्रति उनके सतत सहयोग और संरक्षण के लिए आभार प्रकट करते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों और बैंकों द्वारा कंपनी की निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए बोर्ड धन्यवाद के साथ उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है।

निदेशक बोर्ड डीएफसीसीआईएल के कर्मचारियों तथा अन्य के प्रति कंपनी को समय समय पर निरंतर सहयोग, सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी और से

सीन: नई दिल्ली

दिनांक: 01. 09. 2011

ह./—

(विनय मित्तल)

अध्यक्ष

कार्पोरेट संचालन रिपोर्ट

1. कार्पोरेट संचालन पर कंपनी के दर्शन पर एक संक्षिप्त विवरण

कंपनी अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को उच्च श्रेणी की पारदर्शिता, जवाबदेही तथा परिचालन और अपने सभी व्यवहारों के सभी क्षेत्रों में समानता के माध्यम से प्राप्त करने में विश्वास रखती है। कार्पोरेट संचालन सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन प्रणालियों, कानूनों, नियमों विनियमों का अनुपालन और कंपनी को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानकों के अनुसरण का अनुप्रयोग है।

गति, ईमानदारी तथा सफलता में विश्वास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसको प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व, जवाबदेही, कर्तव्यपालन, पारदर्शिता तथा उचित प्रकटन मुख्य माध्यम है।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संघटन

कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 80 के संबंध में, भारत के राष्ट्रपति ने लिखित में निर्धारित किया है कि डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल में कुल 12 निदेशक होंगे। भारत के राष्ट्रपति ने दि: 14. 05. 2010 के पत्र सं. 2008/इंफ्रा/6/1 दवारा डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल का संघटन निम्न प्रकार अनुमोदित किया है:—

- अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड (सी आर बी)
- प्रबंध निदेशक सहित 5 पूर्णकालिक क्रियाशील निदेशक
- रेल मंत्रालय द्वारा नामित एक
- योजना आयोग द्वारा नामित एक
- आवश्यकता के अनुसार वित्तीय संस्था से एक निदेशक सहित 4 स्वतंत्र गैर सरकारी निदेशक

2.2 बोर्ड की संख्या

रिपोर्ट के समय कंपनी के निदेशक मंडल की कुल मौजूद संख्या दस है जिसमें पांच पूर्णकालिक निदेशक, एक अंशकालिक अध्यक्ष, रेल मंत्रालय तथा योजना आयोग से नामित दो अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा दो स्वतंत्र अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक सम्मिलित हैं। कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 81 (1) (क) के संबंध में, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे कंपनी के निदेशकों को नियुक्त कर सकते हैं।

वित्त वर्ष 2010-11 समाप्त होने के बाद निम्न निदेशकों ने बोर्ड का कार्यभार संभाला:

- क. डीएफसीसीआईएल के कार्यालय आदेश सं. एच. क्यू. / एच. आर. / पी फाइल / 293 दिनांक 05. 04. 2011 दवारा श्री अंशुमान शर्मा, पूर्व आई आर एस ई, महाप्रबंधक, इरकान ने दिनांक 05. 04. 2011 (पूर्वाहन) को निदेशक / परियोजना नियोजन, डीएफसीसीआईएल के रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तिथि तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो पहले हो, दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री बी. बी. सरन के मामले में WP (C) 6080 / 2010 परिणाम आने के आधार पर कार्यभार ग्रहण किया है।
- ख. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2007 / इंफ्रा / 6 / 4 / पार्ट-1 दिनांक 08. 04. 2011 द्वारा भारत के राष्ट्रपति ने श्री रंजन जैन, सलाहकार (अवसंरचना) / रेलवे बोर्ड को श्री आर एन बरतरया, पूर्व सलाहकार (अवसंरचना) / रेलवे बोर्ड जिनका स्थानांतरण हो गया है, के स्थान पर डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
- ग. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2010 / ई (ओ) 11 / 40 / 25 दि: 09. 05. 2011 द्वारा भारत के राष्ट्रपति ने श्री आर. के. गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) / उत्तर रेलवे को डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्त पर नियुक्त किया है। इन्हें तुरंत विलयन के नियम से छूट दी गई है। इन्हें अभी दो वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है जिसे कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा के बाद साल दर साल के आधार पर पांच साल की कुल अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। इन्होंने दिनांक 10. 05. 2011 (पूर्वाहन) को प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया।
- घ. रेलवे बोर्ड के दि: 08. 07. 2011 के पत्र सं. 2009 / इंफ्रा / 6 / 2 के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति ने श्री विनय मित्तल, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तत्काल प्रभाव से डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

वित्त वर्ष 2010-11 के समापन के बाद निम्नलिखित निदेशकों का कार्यभार समाप्त हो गया है:

- (क) रेलवे बोर्ड के दि: 08. 04. 2011 के पत्र सं. 2007 / इंफ्रा / 6 / 4 / पार्ट-1 द्वारा श्री आर एन बरतरया, पूर्व सलाहकार (अवसंरचना) का दिनांक 08. 04. 2011 से पदभार समाप्त कर दिया गया है।
- (ख) रेलवे बोर्ड के दि: 08. 04. 2011 के पत्र सं. 2008 / इंफ्रा / 6 / 1 / पार्ट-2 द्वारा भारत के राष्ट्रपति ने श्री एम. दामोदरन का डीएफसीसीआईएल के अंशकालिक निदेशक मंडल से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
- (ग) रेलवे बोर्ड के दि: 08. 07. 2011 के पत्र सं. 2007 / इंफ्रा / 6 / 4 / पार्ट-1 द्वारा श्री विवेक सहाय, पूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड का अंशकालिक अध्यक्ष का कार्यभार दिनांक 08. 07. 2011 को समाप्त हो गया है।

इस रिपोर्ट के सौंपे जाने के समय डीएफसीसीआईएल के बोर्ड के संघटन में उनके द्वारा लिया गया निदेशक पद तथा वित्त वर्ष 2010-11 तथा गत वार्षिक आम बैठक के दौरान बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	निदेशकों की श्रेणी	निदेशकों के नाम/नियुक्ति की तारीख	डीएफसीसीआईएल सहित सरकारी कंपनी में निदेशक/अध्यक्ष के रूप में कुल पद, निजी कंपनियों को छोड़कर	डीएफसीसीआईएल सहित सरकारी कंपनी में समिति की सदस्यता/अध्यक्षता के रूप में कुल पद, निजी कंपनियों को छोड़कर	2010-11 में (अपने कार्यकाल के दौरान) आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
1. अध्यक्ष (अंशकालिक अधिकारिक)							
1.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड 30. 06. 2011 तक कार्यभार संभाला	श्री विवेक सहाय 02. 06. 2010 से कार्यभार संभाला	अध्यक्ष 3	कोई नहीं	5	5	हां
2.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	श्री विनय मित्तल 08. 07. 2011 से कार्यभार संभाला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2. पूर्णकालिक निदेशक							
1.	प्रबंध निदेशक (06. 10. 2010 तक कार्यभार संभाला)	श्री वी.के. कौल 15. 09. 2007 से कार्यभार संभाला	1	कोई नहीं	4	3	नहीं
1(क)	प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार देखा (30. 11. 2010 तक कार्यभार संभाला)	श्री एस.के. मलिक 13. 09. 2010 से कार्यभार संभाला	1	कोई नहीं	1	1	हां
1(ख)	प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार देखा (14. 03. 2011 तक कार्यभार संभाला)	श्री बी.एन. राजशेखर 01. 12. 2010 से कार्यभार संभाला	1	कोई नहीं	2	2	लागू नहीं
1(ग)	प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार देखा (10. 05. 2011 तक कार्यभार संभाला)	श्री ए.के. दत्ता 22. 03. 2011 से कार्यभार संभाला	1	कोई नहीं	1	1	लागू नहीं
1(घ)	प्रबंध निदेशक	श्री आर.के. गुप्ता 10. 05. 2011 से कार्यभार संभाला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	निदेशक (वित्त)	श्री आर.के. सिन्हा 17. 09. 2007 से कार्यभार संभाला	1	कोई नहीं	6	6	हां
3.	निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	श्री पि.एन. शुक्ला 15. 10. 2009 से कार्यभार संभाला	1	कोई नहीं	6	6	हां

4.	निदेशक (परियोजना नियोजन)	श्री बी.बी. सरन 19. 06. 2008 से 31. 01. 2011 तक कार्यभार संभाला	1	कोई नहीं	5	5	हां
4 (क)	निदेशक (परियोजना नियोजन)	श्री अंशुमान शर्मा 05. 04. 2011 से कार्यभार संभाला	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
5.	निदेशक (अवसंरचना)	श्री ए.के. दत्ता 01. 04. 2010 से कार्यभार संभाला	1	कोई नहीं	6	5	नहीं
3. निदेशक (अंशकालिक अधिकारिक)							
1.	सलाहकार (यातायात) /रेलवे बोर्ड 12. 07. 2010 तक	श्री प्रदीप भटनागर (28. 02. 2008 से कार्यभार संभाला)	1	अध्यक्ष के रूप में-1	3	3	लागू नहीं
2.	सलाहकार (इंफ्रा) /रेलवे बोर्ड (08. 04. 2011 तक कार्यभार संभाला)	श्री आर.एन. बरतरया (12. 07. 2010 से कार्यभार संभाला)	1	अध्यक्ष के रूप में-1	3	3	हां
3.	सलाहकार (इंफ्रा) /रेलवे बोर्ड	श्री रंजन कुमार जैन (08. 04. 2011 से कार्यभार संभाला)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	योजना आयोग के उपसभापति के सलाहकार	श्री गजेंद्र हल्दिया (02. 05. 2008 से कार्यभार संभाला)	1	कोई नहीं	6	6	हां
4. स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर सरकारी)							
1.	अंशकालिक गैर सरकारी	श्री डी.टी. जोसेफ (14. 05. 2010 से कार्यभार संभाला)	7	लेखा परीक्षा समिति (सदस्य)-3 लेखा परीक्षा समिति (अध्यक्ष)-2 स्टेकहोल्डर शिकायत (सदस्य)-1	5	4	नहीं
2.	अंशकालिक गैर सरकारी	श्री एम. दामोदरन (14. 05. 2010 से 08. 04. 2011 तक कार्यभार संभाला)	7	लेखा परीक्षा समिति (सदस्य)-3 लेखा परीक्षा समिति (अध्यक्ष)-2 स्टेकहोल्डर शिकायत (सदस्य)-1	5	3	नहीं
3.	अंशकालिक गैर सरकारी	प्रो. भास्कर गुप्ता (23. 11. 2010 से कार्यभार संभाला)	1	लागू नहीं	2	2	लागू नहीं

नोट:-

1. निदेशकों द्वारा निदेशक का पद तथा कमेटियों में सदस्यता उन सीमाओं के भीतर है जो कंपनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित की गई है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 275 के उद्देश्य के लिए निदेशक का पद एक निजी कंपनी में जो न तो एक सहायक कंपनी है और न ही सार्वजनिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, से अलग है।
2. "अंशकालिक अधिकारी" उन निदेशकों के विषय में कहा गया है जिन्हें सरकार ने डीएफसीसीआईएल के बोर्ड में मनोनीत किया है और जो रेल मंत्रालय तथा योजना आयोग के अधिकारी हैं।
3. "गैर सरकारी अंशकालिक" निदेशक शब्द का अर्थ है स्वतंत्र निदेशक।
4. समितियां जिन पर एक निदेशक सेवा कर सकता है, की सीमा पर विचार के उद्देश्य के लिए सभी सार्वजनिक कंपनियां चाहे वे सूचीबद्ध हों या न हों, में शामिल किया गया है।
5. अध्यक्ष/सदस्यता के लिए सीमा की पहचान के उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षा समिति और हितधारक शिकायत समिति केवल ली गई है।
6. "लागू नहीं" का अर्थ है कि या तो इन निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के बाद निदेशक का पद संभाला हो या संबंधित प्राचल में इनके कार्यालय के दौरान कमी न आई हो।

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान, निदेशक मंडल व्यापार हेतु 6 बार मिले जोकि कंपनी अधिनियम, 1956 के पारवधानों के अनुरूप है और बोर्ड बैठकों से संबंधित डीपीई दिशा-निर्देश पढ़े गए। निदेशक की अनुपस्थिति से संबंधित सभी मामलों में कंपनी अधिनियम, 1956 के खंड (जी) की उप धारा (1) की धारा 283 के अंतर्गत अनुपस्थिति की छुट्टी दी गई। डीएफसीसीआईएल के

क्रमांक	तिमाही	तारीख
1.	जून, 2010 को समाप्त तिमाही के लिए	12. 05. 2010, 25. 06. 2010
2.	सितंबर, 2010 को समाप्त तिमाही के लिए	02. 07. 2010, 29. 09. 2010
3.	दिसंबर, 2010 को समाप्त तिमाही के लिए	16. 12. 2010
4.	मार्च, 2011 को समाप्त तिमाही के लिए	26. 02. 2011

निदेशक मंडल की बैठकें निम्न तिथियों को आयोजित हुई:-

वित्त वर्ष 2010-11 के बाद नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण:-

(1) श्री अंशुमान शर्मा, निदेशक (परियोजना नियोजन), डीएफसीसीआईएल, दिनांक 05. 04. 2011 से

श्री अंशुमान शर्मा भारतीय रेल इंजीनियर्स सेवा के 1984 बैच के अधिकारी हैं। इन्होंने रुड़की विश्वविद्यालय (अब आई आई टी रुड़की) से सिविल इंजिनियरिंग में स्नातक और स्ट्रक्चर्स में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। ये पुल अभिकल्प और कार्यान्वयन विशेषज्ञ हैं और इन्हें रेल निर्माण परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन का 16 वर्षों का अनुभव है। ये 7 वर्षों तक भारतीय रेल के सिकंदराबाद और गुंटकल मंडलों की विभिन्न गतिविधियों के सिविल इंजी. के अनुरक्षण और समन्वय के प्रभारी रहे। इन्होंने पुल निर्माण तकनीकों पर विभिन्न तकनीकी दस्तावेज प्रकाशित किए हैं।

इन्होंने सलजबर्ग, आस्ट्रिया में व्हील/रेल सिस्टम आप्टीमाइजिंग पर और बीजिंग में चाइना रेल वर्ड समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लिया है। ये तीसरे गोदावरी ब्रिज कनसिस्टिंग आफ 28 स्पैन आफ 100 मी बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज के डिजाइन और कार्यान्वयन से जुड़े थे। ये जम्मू और कश्मीर रेल लिंक परियोजना के निर्माण के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे जिसमें पीर पंजाल रेंज के पार 11 किमी लंबी सुरंग का निर्माण भी शामिल था। इन्होंने इरकान द्वारा कार्यान्वित डीएमआरसी की विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्यवेक्षी बोर्ड मेंबर के रूप में कार्य किया। इन्हें 100 कि.मी. लंबी निर्माण परियोजना जिसमें 700 मी. से अधिक लंबे दो महत्वपूर्ण पुलों का 8 माह के रिकार्ड समय में कार्यान्वयन पूरा करने पर 1995 में रेल मंत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

2) श्री रंजन कुमार जैन, अंशकालिक सरकारी निदेशक, डीएफसीसीआईएल, दिनांक 08. 04. 2011 से

श्री आर. के. जैन भारतीय रेल यातायात सेवा के 1978 बैच के अधिकारी हैं। इन्होंने 28. 03. 2011 को सलाहकार, अवसंरचना, रेलवे बोर्ड के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इन्होंने रुड़की (आई आई टी रुड़की) से इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटेशन में स्नातक किया है। श्री आर. के. जैन रेल मंत्रालय में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी हैं। इनके वर्तमान कार्यों में भारतीय रेल पर अवसंरचना निर्माण के लिए लंबी अवधि की योजना, पीपीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समन्वय, अंतर्राष्ट्रीय रेल सहयोग और रेलवे के लिए लंबी दूरी के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के विकास (एलआरडीएसएस) जैसे कार्य शामिल हैं। ये भारतीय रेल का इंटरनेशनल हैवी हाल एसोसिएशन, यूएसए पर भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

इसके अतिरिक्त भारतीय रेल और कुछ विदेशी रेलों जर्मनी, फ्रांस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रिया, रशिया, इटली और कोरियन रेलवे के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार गठित स्टीयरिंग कमेटी के भी सदस्य हैं।

भारतीय रेल पर इनके 32 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में इन्होंने मंडल और क्षेत्रीय स्तर पर कार्य किया है। सलाहकार अवसंरचना के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इन्होंने कार्यकारी निदेशक (पर्सपैक्टिव प्लानिंग)/रेलवे बोर्ड, निदेशक (परिचालन), रेल विकास निगम लि., मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, फोएस, निदेशक योजना, रेलवे बोर्ड के रूप में कार्य किया है।

3) श्री आर. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक, डीएफसीसीआईएल, दिनांक 10. 05. 2011 से

श्री आर. के. गुप्ता भारतीय रेल इंजीनियर्स सेवा के 1977 बैच के अधिकारी हैं। इन्होंने रुड़की विश्वविद्यालय (अब आई आई टी रुड़की) से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। इन्होंने लोक प्रशासन में मास्टर डिप्लोमा प्राप्त किया है। इन्होंने भारतीय रेल पर विभिन्न पदों पर काम किया है। इन्होंने उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक, मंडल रेल प्रबंधक और प्रमुख मुख्य इंजीनियर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। मई, 2011 में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लि. में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जम्मू और काश्मीर राज्य की नई लाइन रेल परियोजना के प्रमुख थे। यह परियोजना लोजिस्टिक और टेरन के मामले में विश्व की सबसे मुश्किल परियोजनाओं में से एक है और अधिकांश संरक्षण सुरंगों और बहुत ऊंचे तथा लंबे पुलों से होकर गुजरता है। श्री गुप्ता

विभिन्न विशेषज्ञ समूहों से जुड़े रहे हैं जिनमें भारतीय रेल पर परियोजना प्रबंधन में सुधार पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित विशेषज्ञ समूह और युनाइटेड किंगडम द्वारा प्रायोजित "स्ट्रैटिजीज फोर ब्रिज रिहैबिलिटेशन" परियोजना शामिल है। श्री गुप्ता ने भारतीय रेल पर "मैकेनाइजेशन आफ ट्रेक मेंटेनेंस" पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने भारत और विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इस संबंध में इन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की हैं।

4) श्री विनय मित्तल, अंशकालिक अध्यक्ष, डीएफसीसीआईएल, दिनांक 08.07.2011 से

श्री विनय मित्तल भारतीय रेल यातायात सेवा के 1975 बैच के अधिकारी हैं। अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड का कार्यभार संभालने से पूर्व इन्होंने महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे और इससे पूर्व महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे के रूप में कार्य किया है। इन्होंने अपर महाप्रबंधक, मध्य रेलवे के रूप में भी कार्य किया है। रेलवे में अपने अति विशिष्ट कार्यकाल में इन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों जैसे: मंडल रेल प्रबंधक, बिलासपुर, मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक, मुख्य भाडा यातायात प्रबंधक, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, मुख्य परिचालन प्रबंधक, मध्य रेलवे और कार्यकारी निदेशक, रेल यातायात (संचलन), रेलवे बोर्ड पर कार्य किया है। इन्होंने मुख्य परिचालन प्रबंधक, मध्य रेलवे के कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक मालभाड़ा लदान हासिल किया। इन्हें उपनगरी और गैर उपनगरीय गाड़ियों के समय पालन निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार के लिए भी श्रेय मिला है। ये वैगन/बोगी डिजाइन और भाडा परिचालन के संबंध में 2005-06 में यूएसए और चीन की यात्रा पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे।

3. लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का संयोजन

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति 14.03.2008 को गठित की गई थी और समय पर पुनर्गठित की जाती रही है। समीक्षावधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अंतर्गत लेखा परीक्षा समिति डीपीई दिशा-निर्देशों को पढने के साथ पुनर्गठित की गई थी।

दिनांक 25.06.2010 को समिति पुनर्गठित की गई जिसके श्री डी. टी. जोसेफ, श्री एम. दामोदरन और श्री प्रदीप भटनागर सदस्य थे।

श्री प्रदीप भटनागर, सलाहकार/यातायात/रेलवे बोर्ड के स्थान पर श्री आर एन बरतरया, सलाहकार, इंफ्रा/रेलवे बोर्ड को डीएफसीसीआईएल का अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया गया। दिनांक 07.09.2010 के परिपत्र द्वारा पास संकल्प के माध्यम से लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था। दिनांक 29.09.2010 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में संकल्प की पुष्टि की गई।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2007/इंफ्रा/6/4/पार्ट-1 दिनांक 08.04.2011 द्वारा श्री रंजन जैन, सलाहकार (अवसंरचना)/रेलवे बोर्ड को श्री आर एन बरतरया, सलाहकार (अवसंरचना)/रेलवे बोर्ड जिनका स्थानांतरण हो गया है, के स्थान पर डीएफसीसीआईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित करते हुए और रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2008/इंफ्रा/6/1/पार्ट-2 दिनांक 08.04.2011 द्वारा श्री एम दामोदरन का डीएफसीसीआईएल के अंशकालिक निदेशक मंडल के इस्तीफा स्वीकार करते हुए दिनांक 23.04.2011 के परिपत्र

द्वारा पास संकल्प के माध्यम से लेखा परीक्षा समिति का पुर्नगठन किया गया था। दिनांक 27.04.2011 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में संकल्प की पुष्टि की गई।

वर्तमान में लेखा परीक्षा समिति की संरचना निम्न है :-

क्र. सं	सदस्य	पद	समिति की सदस्यता ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री डी. टी. जोसेफ	अध्यक्ष	25.06.2010
2.	श्री रंजन कुमार जैन	अध्यक्ष	23.04.2011
3.	श्री भास्कर गुप्ता	सदस्य	23.04.2011

बोर्ड के विचारार्थ विषय के अनुरूप समिति कार्य करेगी (14.03.2008) जो है :-

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में आवधिक रूप से लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श;
- लेखा परीक्षकों के अवलोकन सहित लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र के बारे में विचार-विमर्श तथा निर्णय;
- बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व अर्द्ध वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वित्तीय प्रबंधन से संबंधित किसी भी मामले में जांच पड़ताल।
- आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना तथा देय मेहनताना सहित नियुक्ति की शर्तों को तय करना।
- निदेशक मंडल द्वारा किसी अन्य मामले को लेखा परीक्षा समिति की जानकारी में लाना।

दिनांक 25.06.2010 को पुर्नगठित लेखा परीक्षा समिति के लिए विचारार्थ अतिरिक्त विषय

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण तथा इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।
2. लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण के बारे में बोर्ड को सिफारिशें।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
4. अनुमोदन हेतु बोर्ड के प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा।
5. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खंड (2एए) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले निदेशक की जिम्मेदारी के विवरण के अपेक्षित मुद्दे;
 - यदि अकाउंटिंग तथा कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन है तो इसके लिए कारण दें;

- प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर प्राक्कलन सहित प्रमुख अकाउंटिंग प्रविष्टियां;
 - लेखा परीक्षा जांच परिणाम में पाए गए वित्तीय विवरणों का उचित समायोजन;
 - वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
 - किसी संबंधित पार्टी के लेन-देन का प्रकटन; तथा
 - लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में शर्तें।
6. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा।
 7. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालि की पर्याप्त समीक्षा।
 8. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के शीर्ष अधिकारियों की स्टाफिंग तथा वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की पर्याप्त समीक्षा, यदि कोई हो तो।
 9. किसी विशेष जांच पड़ताल के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों तथा/या लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा उसका अनुपालन।
 10. ऐसे मामलों की जहां धोखाधड़ी या अनियमितता या सामग्री के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता की संभावना की आंतरिक जांच आंतरिक लेखापरीक्षकों/एजेंसी द्वारा की जाएगी तथा निष्कर्ष की समीक्षा और मामले के बारे में बोर्ड को सूचित करना।
 11. लेखा परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षा के साथ विचार-विमर्श तथा साथ ही साथ किसी संबंधित क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा उपरांत विचार-विमर्श।
 12. जमाकर्ता, ऋणपत्र धारकों, अंशधारकों (घोषित लाभांश के गैर भुगतान के मामले में) तथा क्रेडिटर्स को भुगतान में वास्तविक चूककर्ताओं के लिए कारण का पता लगाना।
 13. व्हीसल ब्लोअर मकेनिज्म की कार्यप्रणाली की समीक्षा।
 14. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा टिप्पणी पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
 15. संसद की सार्वजनिक उपक्रम (सीओपीयू) की समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
 16. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा निदेशक मंडल के बीच संवाद का मार्ग प्रशस्त करना।
 17. कंपनी में पार्टी से संबंधित सभी लेन-देन की समीक्षा। इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो पार्टी संबंधी लेन देन की समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगी।
- व्याख्या :- “संबंधित पार्टी लेन-देन” कथन का वही अर्थ है जोकि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में निहित है।
18. लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखापरीक्षा के साथ समीक्षा ताकि कवरेज की पूर्णता, अत्यधिक प्रयासों की कमी तथा सभी लेखापरीक्षा स्रोतों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना।

19. स्वतंत्र लेखापरीक्षक तथा प्रबंधन के साथ निम्न पर विचार एवं समीक्षा:
 - कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता, और
 - प्रबंधन के प्रत्युत्तर के साथ स्वतंत्र लेखापरीक्षक तथा आंतरिक लेखापरीक्षक की जांच पड़ताल तथा सिफारिशों से संबंध।
20. निम्न का प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ विचार विमर्श तथा समीक्षा।
 - पूर्व लेखा परीक्षा की सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान के वास्तविक निष्कर्ष
 - लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आई कोई दिक्कत तथा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर कोई प्रतिबंध या अपेक्षित सूचना की प्राप्ति।
21. कोई अन्य कार्य करना जैसा कि लेखापरीक्षा के विचारार्थ विषय में उल्लिखित है।

समीक्षावधि के दौरान समिति में निम्न तिथियों को 2 बार बैठक की – 27.12.2010, 11.02.2011 वर्ष 2010-11 के दौरान समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें**	बैठकों में उपस्थिति ***
श्री एम. दामोदरन	अध्यक्ष	2	1
श्री डी. टी. जोसेफ	सदस्य	2	2
श्री आर. एन. बरतरया	सदस्य	2	2

***आयोजित बैठकें" दर्शाती है कि समिति के सदस्यों की अवधि के दौरान बैठकों की संख्या।

***बैठकों में उपस्थिति" दर्शाती है कि अपने कार्यकाल के दौरान सदस्यों द्वारा बैठकों में उपस्थिति।

4. परिलब्धियां समिति

- 1) निगमित शासन पर डीपीई दिशा निर्देश के अध्याय 5 के संदर्भ में, बोर्ड की परिलब्धियां समिति में श्री डी. टी. जोसेफ, श्री एम दामोदरन तथा कंपनी के अंशकालिक निदेशक श्री गजेन्द्र हल्दिया सम्मिलित हैं, के सदस्य दिनांक 25.06.2010 को नियुक्त किए गए थे।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2008/इंफ्रा/6/1/पार्ट- II दिनांक 08.04.2011 द्वारा श्री एम दामोदरन का डीएफसीसीआईएल के अंशकालिक निदेशक मंडल से इस्तीफा स्वीकार करते हुए दिनांक 23.04.2011 के परिपत्र द्वारा पास संकल्प के माध्यम से डीपीई के दिशानिर्देशों सहित परिलब्धियां समिति का पुर्नगठन किया था और दिनांक 27.04.2011 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में संकल्प की पुष्टि की गई।

रिपोर्ट तैयार करते समय, बोर्ड की परिलब्धियां समिति में श्री डी. टी. जोसेफ, श्री भास्कर गुप्ता और श्री गजेन्द्र हल्दिया, कंपनी के अंशकालिक निदेशक, जो इसके सदस्य हैं, को शामिल किया गया। परिलब्धियां समिति निर्धारित सीमा के अंदर वार्षिक बोनस/चल वेतन पूल तथा नीति का निर्णय करेगी ताकि इसे कार्यपालकों तथा गैर यूनियनाइज्ड पर्यवेक्षकों में वितरित किया जा सके। समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक करेंगे।

- 2) निदेशकों की परिलब्धियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत डीएफसीसीआईएल पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार नियुक्त क्रियाशील निदेशक सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के औद्योगिक महंगाई भत्ते (आई डी ए) नमूने के अंतर्गत तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन व शर्तों के अनुरूप मेहनताना नहीं लेते हैं। आई डी ए वेतनमान (2007) और भत्तों का बास्केट डीएफसीसीआईएल में कार्यान्वित है।

कंपनी बोर्ड के अंशकालिक सरकारी (सरकार द्वारा नामित) निदेशक कंपनी से कोई मेहनताना नहीं लेते हैं। वे सरकार से केवल सरकारी अधिकारी के रूप में मेहनताना लेते हैं। अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए फीस लेते हैं।

पूर्वकालिक निदेशकों की परिलब्धियां पैकेज का प्रकटीकरण :-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	वेतन एवं भत्ते (रूपये में)	अन्य लाभ एवं पर्स (रूपये में)	निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन (रूपये में)	सेवानिवृत्ति लाभ	बोनस/ कमिशन/ अनुग्रह राशि	कुल (रूपये में)
1	श्री वी. के. कौल प्रबंध निदेशक	12,11,813	5,31,830	0.00	0.00	00.00	17,43,643
2	श्री आर. के. सिन्हा निदेशक (वित्त)	20,11,334	5,97,790	0.00	0.00	00.00	26,09,124
3	श्री बी. बी. सरन, निदेशक (पीपी)	17,20,716	4,98,214	0.00	0.00	00.00	22,18,930
4	श्री पी. एन. शुक्ला निदेशक(परिचालन एवं व्यवसाय विकास)	20,79,093	7,14,463	0.00	0.00	00.00	27,93,556
5	श्री ए. के. दत्ता निदेशक (अवसंरचना)	19,09,240	1,13,645	0.00	0.00	00.00	20,22,885

वार्षिक आम बैठक

कंपनी की वार्षिक आम बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई ऐसी बैठकों का विवरण नीचे है :-

वार्षिक आम बैठक	वर्ष	स्थान	तारीख	समय
द्वितीय	2007.2008	सभाकक्ष नं. 1, द्वितीय तल, रेल भवन, रायसीना रोड नई दिल्ली – 110001	21.07.2008	3.00 बजे सांय
तृतीय	2008.2009	बोर्ड रूम, कॉर्पोरेट, 5वां तल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110001	15.09.2009	3.30 बजे सांय
चतुर्थ	2009.2010	सभाकक्ष नं. 1, द्वितीय तल, रेल भवन, रायसीना रोड नई दिल्ली – 110001	29.09.2010	5.00 बजे सांय

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पास किए गए विशेष संकल्पों का विवरण

वार्षिक आम बैठक	वर्ष	स्थान	तारीख	समय
द्वितीय	2007.2008	द्वितीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 31 और संबंधित प्राधिकारी से अनुमोदन के अनुसरण में, यदि कोई है, कंपनी के संघ के अनुच्छेद पर एक विशेष संकल्प के माध्यम से सदस्यों की सहमति प्रदान की जाती है।	21.07.2008	3.00 बजे सांय
तृतीय	2008.2009	कोई नहीं	15.09.2009	3.30 बजे सांय
चतुर्थ	2009.2010	अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(घ) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में पैसा उधार लेने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी को सहमति प्रदान की जाती है।	29.09.2010	5.00 बजे सांय

5. प्रकटन

- क. कंपनी को भौतिक रूप से किसी पार्टी लेन-देन में विशेष रूचि नहीं है।
- ख. नियमों के तहत गैर अनुपालन के मद्देनजर किसी सांविधिक प्राधिकार द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है।
- ग. कंपनी ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है। दिशा-निर्देशों के अनुरूप डीएफसीसीआईएल ने अपने बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के लिए व्यापार आचार संहिता एवं नीतिशास्त्र विकसित किया है और वर्ष 2010-11 के लिए निदेशक रिपोर्ट में निगमित शासन तथा प्रबंध विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट भी सम्मिलित की है।
- घ. परियोजना निष्पादन डीएफसीसीआईएल को सौंपने के उद्देश्य से व्यय की सभी मदों को डीएफसीसीआईएल के लेखों में नामे किया गया है और वे परियोजना निष्पादन से संबंधित हैं।
- ङ. निदेशक मंडल के लिए कोई व्यक्तिगत व्यय नहीं किया गया।
- च. प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय का कुल व्यय जो वर्ष 2009-10 में 20.69 प्रतिशत था, वर्ष 2010-11 में घटकर 8.93 प्रतिशत हो गया है।

6. संचार के साधन

कंपनी अपने अंशधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक और वेबसाइट के माध्यम से अपनी बात पहुंचाती है। लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम तथा वार्षिक रिपोर्ट डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट www.dfccil.org

पर प्रदर्शित है। निविदाएं/ई ओ आई, जारी किए गए निविदा/टेकों का विवरण, प्रैस विज्ञप्ति, कंपनी का मिशन एवं उद्देश्य कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी अपना त्रैमासिक न्यूजलैटर भी प्रकाशित करती है।

7. लेखा परीक्षा अर्हता

कंपनी का यह प्रयास रहा है कि हम ईमानदारी से अपने लक्ष्यों को हासिल करें। कंपनी ने वित्तीय विवरणों को पारदर्शी ढंग से तैयार करने में सभी प्रयास किए हैं। कोई महत्वपूर्ण योग्यताएं देखने में नहीं आई है।

8. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

डीएफसीसीआईएल अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण दिलाने के लिए चिंतित है। इस संबंध में, निदेशकों द्वारा बोर्ड ज्वाइन करने पर कंपनी द्वारा कागजात/बुकलेट का सेट प्रस्तुत करने की परंपरा रही है। उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियम, समझौता ज्ञापन की प्रति तथा समझौता ज्ञापन के लक्ष्य तथा उपलब्धियां सम्मिलित हैं। यह पदधारी को कंपनी की मूल सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए समय-समय पर नामित किया जाता है।

9. व्यापार आचार संहिता एवं नीतिशास्त्र

कंपनी ने बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ स्तर प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार की है जोकि निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है। बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विधिवत अनुमोदित व्यापार आचार संहिता एवं नीतिशास्त्र 1 अप्रैल 2009 से लागू है। व्यापार आचार संहिता एवं नीतिशास्त्र के संबंध में आचार संहिता के अनुपालन की वार्षिक पुष्टि सभी बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों से प्राप्त की जाती है। वर्ष 2010-11 के दौरान प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि होती है जो कि अनुबंध "घ" पर प्रस्तुत है। आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.dfccil.org पर उपलब्ध है।

10. अनुपालन प्रमाण-पत्र

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप में निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र जो कि वार्षिक रिपोर्ट का अंश है।



आशीष कुमार गुप्ता

कंपनी सचिव

पता: ए-16, जितारनगर, परवाना रोड, दिल्ली-110051

फोन: 011-22025417, 9312210264

ई-मेल: guptaashish 75@gmail.com

सदस्य

मैं, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 101/ए

रेल भवन, रायसीना रोड

नई दिल्ली – 110001

विषय :- केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम 2010 कि लिए कार्पोरेट संचालन से संबंधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्पोरेट संचालन की स्थितियों के अनुपालन के प्रसंग में अनुपालन प्रमाणपत्र

1. यह प्रमाणपत्र डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यहां कंपनी के रूप में परिभाषित) द्वारा कार्पोरेट संचालन की नीतियों के वित्तीय वर्ष समाप्ति वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2011 में केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम 2010 के तहत निधारित दिशानिर्देशों (यहां दिशानिर्देश के रूप में परिभाषित) जो मई, 2010 से लागू है, के अनुपालन के संबंध में जारी किया गया है।
2. कार्पोरेट संचालन की नीतियों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। मेरी जांच उन प्रणालियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित है जिनका कंपनी ने कार्पोरेट संचालन के लिए अनुपालन किया है जो दिशानिर्देशों के अनुसार है। न तो यह लेखा परीक्षा का भाग है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण (फायनेंशियल स्टेटमेंट) से संबंधित कोई टिप्पणी है। मेरा कर्तव्य है कि जो भी तथ्य दर्ज किए गए हैं उनका आकलन पेशेवर ढंग से किया जाए तथा प्रत्येक अभिलेख को संपूर्णता और यथार्थता के आधार पर प्रमाणपत्र जारी किया जाए।
3. प्रमाणपत्र के जारी करने के उद्देश्य के लिए जिन सूचनाओं और स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, मेरे अनुमान के अनुसार वे सब मैंने एकत्र कर लिए हैं और आवश्यकता के अनुसार मुझे संबंधित दस्तावेज, प्रमाणपत्र तथा अभिलेख उपलब्ध कराए गए।
4. मैं, प्रमाणित करता हूँ कि पिछले वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2011 में कंपनी ने निम्न के अतिरिक्त अपनी कार्पोरेट संचालन रिपोर्ट में विभिन्न दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया है;
क. खंड सं. 3.2 जो निदेशक मंडल-नामित निदेशकों के गठन से संबंधित है।
ख. खंड सं. 3.6 जो आपदा प्रबंधन प्रणाली के एकीकरण तथा संरक्षण से संबंधित है।
5. मैं यहां पर यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह अनुपालन इस बात का आश्वासन नहीं देता कि जिस प्रकार से प्रबंधन ने कंपनी के कारोबार का संचालन किया, भविष्य में भी इस प्रकार की दक्षता तथा कार्य कुशलता के साथ कार्य करता रहेगा।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08.09.2011

ह./-
(आशीष कुमार गुप्ता)
कंपनी सचिव

प्रबंधकीय विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

औद्योगिक ढांचा एवं विकास

भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऊँचे प्रेक्षण पथ पर है और यह विश्व की एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2010-11 के दौरान इसने अपने आपको सबसे अधिक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में बनाए रखा और यह चीन के बाद दूसरी तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2010-11 के दौरान कृषि में इसकी वृद्धि परिलक्षित हुई और उद्योग एवं सेवाओं में इसने अपना स्तर बनाए रखा। 11वीं योजना के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 8.2 प्रतिशत रहने की संभावना है जो यद्यपि 9 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है तथापि 30 वर्षों में सबसे अधिक सूखे के बावजूद यह उपलब्धि प्रशंसनीय है। वर्ष 2009-10 में 6.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010-11 में अवसंरचना उद्योगों के 8 कोर (कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, बिजली, सीमेंट तथा फिनिस्ड कार्बन) के लिए सूचकांक में 37.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ आईआईपी आंकड़ों में 5.7 प्रतिशत वृद्धि हुई। यातायात सेक्टर के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि ने समस्त सकल घरेलू उत्पाद के साथ तालमेल बनाए रखा। रेलवे ने 2005-06 से जीएसपी वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि को बनाए रखा। रेल यातायात में वृद्धि से यात्री एवं मालभाड़ा दोनों की आय में देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ गति बनाने से रेल की जीडीपी में भी वृद्धि हुई। रेल का अवसंरचना विकास देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रेल एक सबसे अधिक पर्यावरण हितैषी यातायात साधन है विशेषकर ग्रीन हाउस गैर उत्सर्जन के मामले में।

देश की अर्थव्यवस्था को कायम रखने के लिए रेल की यातायात क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि की आवश्यकता को पहचानते हुए रेल मंत्रालय ने स्वर्ण चतुर्भुज और इसके विकर्णों सहित उच्च क्षमता, तीव्र गति के डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निर्माण के लिए एक लंबी अवधि की योजना बनाई है। " डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल)" विशेष प्रयोजन के लिए बनाई गई संस्था है जोकि परियोजना एवं विकास, वित्तीय संसाधनों का संघटन तथा निर्माण, अनुरक्षण एवं डेडीकेटेड फ्रेट लाईन के आपरेशन के लिए है और दो कोरीडोर पर अनुमानतः 3373 रूट कि.मी. को कवर करेगी- ईस्टर्न कोरीडोर लुधियाना से सोननगर, जिसे अब दानकुनी तक विस्तारित किया गया है और वेस्टर्न कोरीडोर जवाहर लाल नेहरू पोर्ट, मुंबई से तुगलकाबाद/दादरी तक तथा साथ में दादरी में दो कोरीडोर की इंटरलाकिंग। रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत डीएफसीसीआईएल अनुसूची-ए केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। अब तक मंत्रालय द्वारा केवल दो कोरीडोर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है तथापि चार अतिरिक्त कोरीडोर के लिए व्यवहारिकता अध्ययन का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

क्षमता

महत्वपूर्ण रूटों पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर का निर्माण रेलवे को कम से कम समय में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराने और सड़क सेक्टर से इसका मार्केट शेयर पुनः प्राप्त करने में समर्थ होगा। पूरा हो जाने के बाद ये कोरीडोर मालभाड़ा क्षेत्र के लिए जोकि डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर चलेगा तथा यात्री क्षेत्र जोकि विद्यमान रेलवे नेटवर्क पर जारी क्षमता के प्रयोग को बढ़ाएगा, दोनों की गुणवत्ता सर्विस में मात्रा सुधार के लिए समर्थ बनाएगा। रेलवे, यात्री गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए अतिरिक्त क्षमता के उपयोग के लिए योग्य होगी और जिसके साथ औसत गति भी बढ़ेगी। स्वतंत्र अवसंरचना के साथ डीएफसीसीआईएल आधुनिक अनुरक्षण प्रणालियों को लागू करने में सक्षम होगी जिसके परिणामस्वरूप परिचालन और अनुरक्षण लागत में कमी आएगी। रेल मंत्रालय के सहयोग से डीएफसीसीआईएल को भारतीय रेल की अनुभवी श्रमशक्ति उपलब्ध है जिसे इतने बड़ी अवसंरचना परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तैनात किया जा सकता है।

निर्बलता

ईस्टर्न कोरीडोर में पं. बंगाल, झारखंड, बिहार, उ.प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और वैस्टर्न कोरीडोर में उ.प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों से गुजरते हुए 3373 किमी मार्ग और भूमि राज्य सरकार का विषय होने के साथ डीएफसीसी के समक्ष राज्य सरकारों/क्षेत्रीय रेलों, केंद्रीय सरकार, एनआरआरपी 2007 के प्रावधानों द्वारा विभिन्न दिशानिर्देशों को अपनाते हुए भूमि का अधिग्रहण करना और पर्यावरणीय और सामाजिक विचारों के संबंध में फंडिंग एजेंसियों की आवश्यकता और परियोजना से प्रभावित पक्षों की आशाओं को पूरा करने जैसा चुनौतीपूर्ण कार्य है। संबंधित प्राधिकारों से अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब के कारण परियोजना को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने में बाधा आ सकती है। इसके अलावा, निधि द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसी द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है और विभिन्न प्रसंविदा पर दृढ़ बने रहने के कारण अतिरिक्त लागत/विलंब होगा। डीएफसीसीआईएल को अपनी मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय पर निर्भर रहना पड़ेगा। कर्मचारी तथा अधिकारी रेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं और वे डीएफसीसीआईएल में सीमित अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ऐसे में इसके लिए अधिक श्रम शक्ति की आवश्यकता है और इससे प्रतिनियुक्ति पर अवधि के दौरान प्राप्त किया गया बहुत साझान समाप्त हो जाएगा यदि एक बार संगठन से कर्मचारी चला जाता है।

सुअवसर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर माल भाड़ा परिचालनों के लिए एक अकेली ग्रीनफील्ड नेटवर्क होने के नाते और वर्तमान भारतीय रेल नेटवर्क के साथ सीमित इंटरफेसिंग सहित, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों और तकनीकी, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं के संबंध में नवीन परिवर्तनों और व्यापार परिचालनों को अपनाने का सुअवसर प्रदान करती है जिनको भारतीय रेल पर एकीकृत सुविधा के रूप में प्राप्त करना कठिन समझा जाता है। डीएफसीसीआईएल के पास रेलवे अवसंरचना के हर क्षेत्र में नवीनतम तकनीक उपलब्ध कराने, परिचालन और अनुरक्षण को कम लागत और परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता और उनका सेवा जीवन बढ़ाने का सुअवसर है। डीएफसीसी परियोजना से रेल यातायात की क्षमता, कुशल तकनीक और परिचालन दक्षता, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दानों रूपों में बढ़ोतरी होगी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण, डीएफसीसीआईएल के पास विश्वस्तरीय अवसंरचना बनाने का सुअवसर है जो भारत में यातायात के क्षेत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। पर्यावरण हितैषी होने के कारण प्रस्तावित डीएफसीसी वास्तविक कार्बन क्रेडिट अर्जन के लिए क्योटो प्रोटो लागत के अंतर्गत यूएनएफसीसीसी के साथ सीडीएम परियोजनाओं के रूप में डीएफसीसीआईएल ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी को पंजीकृत करा सकती है।

आशंका

समयोपयोग कार्यक्रम होने, भूमि समय पर उपलब्ध न होने के कारण डीएफसीसी जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में रुकावट है जिसके परिणामस्वरूप लगत और समय में वृद्धि हो जाती है। बहु/द्विपक्षीय लेंडिंग एजेंसियों से परियोजना के विकास के लिए मिलने वाले ऋण में देरी भी परियोजना को कार्यान्वित करने में एक गंभीर समस्या है। निधि विलंब से उपलब्ध होने का प्रभाव परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर भी है। इसमें कई हिस्सेदार सम्मिलित हैं—रेल मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार, जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी, विश्व बैंक और प्रत्येक को अपना दायित्व निभाना होगा ताकि डीएफसीसी का निर्माण समय पर तथा अनुमानित समापन लागत के अंदर सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा रेलवे द्वारा डीएफसीसीआईएल में अल्पावधि के लिए कर्मचारियों की तैनाती, निरंतरता के लिए चुनौती बन सकती है। अंत में, इस

आकार और पैमाने की परियोजनाओं में निर्माण के दौरान विनिर्देशों और मानको या डिजाइन पैरामीटर्स या संरेखण या मंत्रालय द्वारा जारी होने वाले अनुदेशों में परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहती है जिससे परियोजना के लिए बाधा उत्पन्न हो सकती है।

रणनीतियां

परियोजना का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए डीएफसीसीआईएल अपनी मानव संसाधन योजना को क्रियान्वित करेगी और समयबद्ध ढंग से कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध कराएगी। प्रतिभा को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के विभिन्न तरीके अपनाकर, प्रशिक्षण वितरण तरीके, संगठनात्मक संस्कृति और मूल्यों को प्राप्त करने की दिशा में रोड मैप, कार्य निष्पादन मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति, संगठन से कर्मचारियों के विच्छेदन को नियंत्रित करने का ढंग, मानव संसाधन बजटरी आवश्यकताओं का निर्धारण, मानव संसाधन वृद्धि की विभिन्न प्रणालियां आदि मानव संसाधन विभाग की योजनाओं के रूप हैं। परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि रेल मंत्रालय के स्वामित्व में इसकी संपत्ति के रूप में रहेगी, डीएफसीसीआईएल विभिन्न राज्यों में अधिग्रहण की प्रक्रिया में सहायक हैं। अधिग्रहण की प्रक्रिया में कार्पोरेशन भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने, लागू विनियमों और आवश्यक अनुमोदनों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां डीएफसी के वन्यजीव अभ्यारण/राष्ट्रीय पार्क में से गुजरने की संभावना है, वहां समय बचाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पहले ही क्लियरेंस प्राप्त कर लिया जाता है। परियोजना के विस्तृत सामाजिक प्रभाव तथा पर्यावरण प्रभाव निर्धारण (एस आई ए एंड ई आई ए) निश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।

डीएफसीसीआईएल की ठेका देने की रणनीति के अपनाए जाने की भी योजना है जो एक खुली और पारदर्शी पूर्व अर्हता मापदंड और एक कुशल बोली प्रक्रिया प्रबंधन को सुनिश्चित कर सके। ठेका देने की रणनीति जोखिमों के न्यायसंगत वितरण और ठेकेदारों के बीच न्यूनतम एकीकरण मामलों को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। समय/लगत की वृद्धि पर नजर बनाए रखने के उद्देश्य से दंड एवं ईनाम की व्यवस्था ठेका करार में शामिल की जा रही है। अधिकतर ठेके लंप-सम फिक्सड प्राइस डिजाइन बिल्ट ठेके होंगे ताकि परियोजना निर्धारित समय और लागत के अंदर पूरी हो सके।

पूर्वी कोरीडोर में चंदौली (40किमी) और टूंडला डिटूर (73 किमी) और पश्चिमी कोरीडोर के इकबालगढ से कालोल सेक्शन (140 किमी), सूरत डिटूर (25 किमी) और पनवेल डिटूर (25 किमी) पर संरेखण से संबंधित बहुत बड़ी संख्या में अभयावेदनों के कारण संशोधित किए गए हैं। पहले के संरेखण अधिकार डिटूर थे और अब संशोधित संरेखण कुछ डिटूर को छोड़कर अधिकतर समानांतर है। कुल 300 किमी संरेखण का पुनः सर्वेक्षण किया गया और संशोधित किया गया। इस संरेखण के साथ डीएफसीसी लगभग 1100 हेक्टेयर भूमि बचा सकती है जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रु. होगी।

दृष्टिकोण

चूंकि डेडीकेटेड एजेंसी का वास्तविकता में विश्वास है, डीएफसीसीआईएल का दृष्टिकोण उपयुक्त तकनीक द्वारा एक ऐसे कोरीडोर का निर्माण करना है जो भारतीय रेल को मालभाड़ा यातायात के इसके मार्केट शेयर को अतिरिक्त क्षमता का सर्जन करके और दक्षता, विश्वसनीयता, सुरक्षा और अपने ग्राहकों को सस्ती सेवा उपलब्ध कराकर तथा सरकार की पहल का समर्थन कर और उपयोगकर्ताओं को पर्यावरण हितैषी यातायात के साधन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने से पुनः प्राप्त करने में समर्थ हो।

मिशन के अनुसरण में डीएफसीसीआईएल परियोजना को निर्धारित समय और लागत के अंदर सुपुर्दगी और मालगाड़ियों को चलाने के लिए भारतीय रेल पर उपलब्ध अतिरिक्त लाइन क्षमता बनाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने और विश्वसनीय गाड़ी परिचालनों के लिए प्रतिबद्ध है। लांग/हैवी हाल परिचालनों सहित सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों को अपनाकर परिचालन की लागत में कमी से एक दूसरे उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।

सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य परियोजनाओं का निर्माण, उनका प्रबंध और निगरानी और अनुरक्षण और क्रियान्वयन के बाद अपनाई जाने वाली परिचालन पद्धतियों के रूप में एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। डीएफसीसीआईएल का उद्देश्य भविष्य में भारतीय रेल और भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अलग बिंदू का निर्माण करना है। रेल मंत्रालय के साथ इसकी व्यवस्थाओं और इसकी अपनी आंतरिक मजबूती के आधार पर कंपनी को क्रिसिल और इकरा द्वारा क्रमशः एएए और एएए-एसओ की रेटिंग दी गई है।

आगे का मार्ग

- डीएफसीसी अपने तीन एस "ईमानदारी (Sincerity), तीव्र गति (Speed) और सफलता (Success)" के आदर्श वाक्य के लिए प्रतिबद्ध है जिससे परियोजना को समय पर पूरा करने के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहायता मिलेगी।

जोखिम और चिंताएं

इस विस्तृत और जटिल परियोजना की सुपुर्दगी मोनो ड्राइव मोड के आधार पर प्राप्त की जा सकती है बजाय मल्टी ड्राइव मोड के जो सामान्य रूप से कार्य की अच्छी कोशिश के अंतर्गत छोटी और साधारण परियोजना में प्रचलन में आती है। मोनो ड्राइव परियोजना कार्यान्वयन मोड में 3 "सी" क्लैरिटी, कनविक्षन और करेज आवश्यक होते हैं जो स्पष्टता के साथ निर्णय लेने, कनविक्षन के साथ कार्यान्वयन और निर्णय लेने के लिए साहस को होना, के लिए समर्थ होना। तदनुसार संगठन और क्षमता का निर्माण किया जाए। डीएफसीसीआईएल में रेलवे द्वारा अल्पावधि के लिए तैनात किया गया स्टाफ निरंतरता के लिए तब तक एक चुनौती है जब तक कॉर्पोरेशन स्वयं की क्षमता विकसित करने में समर्थ नहीं हो जाता। डीएफसीसीआईएल पर ठेके की नीतियां, प्रणालियां, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना, परियोजना की निगरानी के लिए मकैनैज्म भारतीय रेल से बिल्कुल अलग हैं और इन क्षेत्रों के लिए एक स्टीप लर्निंग कर्व है। ऐसी स्थिर श्रमशक्ति से डीएफसीसीआईएल में विभिन्न कार्यों की प्रगति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर भी भूमि की समय पर उपलब्धता से संबंधित कुछ चिंताएं अभी हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के सोननगर-दानकूनी सेक्शन के लिए सभी निधिकरण संसाधनों को मिलाने से परियोजना के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ सकता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां

किसी भी संगठन में, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक आंतरिक प्रक्रिया होती है जो जोखिमों की पहचान के लिए प्रबंधकों और कर्मचारियों द्वारा प्रभावित होती है जो संगठन के मिशन के अनुसरण में सही आश्वासन प्रदान करती है, परिचालनों को और अधिक व्यवस्थित, नीतिपरक, मितव्ययी, कुशलता और प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है

और हानि, दुरुपयोग और नुकसान के विरुद्ध संसाधनों की सुरक्षा की जाती है। कंपनी की अंतरिक प्रणालियां और पद्धतियां हैं जो परिचालन के कार्यान्वयन को और अधिक व्यवस्थित, नीतिपरक, मितव्ययी, कुशलता और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करती हैं जो कंपनी के आकार के साथ पर्याप्त और समनुरूप हो। आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, संवैधानिक लेखा परिक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। प्रबंधन लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों और सिफारिशों की समीक्षा करता है और जब आवश्यक होता है तो सुधारात्मक कार्रवाई करता है और सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंध

किसी भी संगठन का मानव संसाधन विभाग उस संगठन की रीड की हड्डी के रूप में कार्य करता है। मनी और मशीन के दो "एम" के साथ-साथ मैन पावर संगठन की संपत्ति होती है जो अन्य दो "एम" की सहायता से संगठन के मिशन और विजन के साथ-साथ उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। मानव संसाधन विभाग का उद्देश्य कार्यक्रमों और पद्धतियों के विकास में एक ऐसे व्यवसायिक भागीदार के रूप में कार्य करना है जो डीएफसीसीआईएल को एक आदर्श नियोक्ता बनाता है। मानव संसाधन विभाग संगठनात्मक लक्ष्यों, प्रभावी नेतृत्व, व्यवसायिक विशेषज्ञता और सही परामर्श जैसी मानव संसाधन नीतियों के माध्यम से कंपनी की सेवा करने की कोशिश करता है। मानव संसाधन विभाग का मिशन है संगठन के हितों की इसके सबसे अधिक मूल्यवान संसाधन-लोगों की समर्थन, विकास और बचाव द्वारा रक्षा करना।

क) मानव संसाधन विकास की योजना

मानव संसाधन के इन विजन और मिशन को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विभाग स्टाफ और प्रबंधकों जिनके पास रेखीय की बजाय कार्य संबंधी जिम्मेदारी है, संगठन में अपर्याप्त श्रमशक्ति का सामना करने की योजना है। डीएफसीसीआईएल स्टाफ की संख्या को सीमित रखने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग करेगी। तदनुसार निर्माण और परिचालन चरण के लिए विभिन्न स्टाफ पद्धतियों सहित एक चरणबद्ध ढंग से श्रमशक्ति को उपलब्ध कराए जाने की योजना है। एक विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान की तीन टियर संगठनात्मक स्ट्रक्चर और स्थापना प्रस्तावित है। प्रतिभा को आकर्षित करने और उसे बनाए रखने के विभिन्न तरीके, प्रशिक्षण वितरण विधियां, संगठनात्मक संस्कृति और मूल्यों को प्राप्त करने के लिए रोड मैप, कार्य निष्पादन मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए रणनीति, अनुशासन, श्रम संबंधों और विरोध प्रस्तावों में सुधार, संगठन से कर्मचारियों के अलगाव को नियंत्रित करने का ढंग, मानव संसाधन विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों की आवधिक लेखा परीक्षा, मानव संसाधन की बजटरी आवश्यकताओं का निर्धारण, मानव संसाधन विभाग की वृद्धि के लिए, विभिन्न प्रणालियां आदि मानव संसाधन विभाग की योजना का हिस्सा है।

ख) मानव संसाधन नीतियां

मानव संसाधन विभाग द्वारा, विभिन्न नीतियां जैसे खुले बाजार से भर्ती नीति, विलयन नीति (उप महाप्रबंधक और नीचे), संशोधित प्रतिनियुक्ति नीति, पुनः रोजगार/इंगेजमेंट नीति, बंगला चपरासी (टीएडीके) नीति, आईडीए वेतनमान स्ट्रक्चर और भत्ते, विभिन्न सुविधाओं और लाभों पर नीति, किराए के आवस के लिए संशोधित किराया सीमा और नवीन किराया करारों के क्रियान्वयन का तरीका, चिकित्सा उपकरणों, बाह्य इलाज/बायों का प्रावधान और चिकित्सा नियमों में प्रतिपूर्ति प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।

ग) प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण / विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान

डीएफसीसीआईएल अगले कुछ वर्षों में हाउसकीपिंग और अन्य प्रबंध क्षेत्रों के लिए संगठन में क्षमता बढ़ाएगी। इसलिए निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण किया गया है: निगमित कार्य संस्कृति, सामान्य प्रबंधन और प्रशासन, वित्तीय नियम और प्रक्रियाएं, योजना, प्राक्कलन, परियोजना तैयारी, निगमित शासन सर्वश्रेष्ठ प्रणालियां, करार प्रबंधन, कार्यों का सरलीकरण, झगड़ों का बचाव प्रबंधन, लंप-सम करार के नियम और स्थिति, फिडिक पीली किताब स्थितियां आदि।

समीक्षात्मक अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे।

निगम की सामाजिक जिम्मेदारी

निगमित पर्यावरण के तेजी से बदलने के साथ, कार्पोरेशन वृद्धि को बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक हथियार के रूप में सीएसआर अपना रहा है। इसका मतलब न केवल सामाजिक गतिविधियों के लिए धन का निवेश करना है बल्कि सामाजिकप्रक्रियाओं सहित व्यवसायिक प्रक्रियाओं का एकीकरण भी है। कार्पोरेशन ने निम्नलिखित विशेषताओं के साथ लंबी अवधि की निगमित सामाजिक योजना बनाई है:

- क) डीएफसीसीआईएल का सीएसआर विजन
- ख) सीएसआर नीति विवरण
- ग) सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत कवर किए जाने वाले क्षेत्र
- घ) कार्यान्वयन दृष्टिकोण और सीएसआर समिति बनाना

सीएसआर योजना में कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन तकनीक के लिए व्यापक दिशा-निर्देश होंगे। कार्पोरेशन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि डीएफसीसीआईएल की पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति परियोजना से प्रभावित लोगों (उपाधि धारक और गैर उपाधि धारक दोनों) और सामुदायिक संपत्ति आदि जैसे अन्य को पर्याप्त पुनर्वास क्षतिपूर्ति प्रदान करे। हम एक मितव्ययी, सामाजिक रूप से और पर्यावरण को बनाए रखने के ढंग से चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

डीएफसीसीआईएल में कार्पोरिट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आएंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, पर्यावरण (वृक्षारोपण), सौर प्रकाश प्रणाली, पिछड़े क्षेत्रों के लिए अवसंरचना, सामुदायिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण, खेलों को प्रोत्साहन, कला और संस्कृति का परंपरागत स्वरूप रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना, प्राकृतिक आपदा और विपदा के समय में सहायता / पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय / स्थानीय पहल का भाग होना। यह सूची केवल संकेतात्मक है और सीएसआर के अंतर्गत अतिरिक्त / नवीन गतिविधियों के समावेश को नहीं रोकती।

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण

दिनांक 14 सितंबर, 2006 की पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना के अनुसार रेलवे परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव निर्धारण आवश्यक नहीं है। तथापि, विश्व बैंक तथा जायका के दिशा निर्देशों के मद्देनजर ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के एपील-1(भाऊपुर-खुर्जा सेक्शन) तथा वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के चरण-1 (रेवाड़ी-वडोदरा सेक्शन) ई आई ए आयोजित किया गया था। ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के एपील-3 (लुधियाना-खुर्जा सेक्शन) एवं ए.पी.एल.-2 (मुगलसराय-भाऊपुर सेक्शन) तथा वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के चरण-2 (वडोदरा-मुंबई और दादरी-रेवाड़ी सेक्शन) के लिए भी ई आई ए आयोजित किया गया था। वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के चरण-3 (140 किमी कालोल-इकबालगढ़ सेक्शन) के लिए ई आई ए प्रस्तावित है। वन, वन्य जीव अभ्यारण, वाटर बोडीज इत्यादि में अनुचित प्रवेश से बचने के लिए संरक्षण को अंतिम रूप दे दिया गया है ताकि महत्वपूर्ण/संकटापन्न पेड़-पौधों एवं जीव जंतुओं को क्षति से बचाया जा सके जहां प्रस्तावित संरक्षण में पेड़ों को काटना अनिवार्य है वहां सरकारी प्रक्रिया के अनुसार वृक्षारोपण की गतिविधियां तथा निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से वैधानिक क्लियरेंस लिया जाता है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में गिराए गए पेड़ों के स्थान पर दोबारा पेड़ लगाए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी से पहले ही अनुमति ले ली जाएगी। लापरवाही से वाटर बोडी, वन्य जीव के आवास पर प्रभाव पड़ता है तथा निर्माण के दौरान बाधा को कम करने के उपाय प्रस्तावित हैं ताकि प्राकृतिक वातावरण को प्रदूषण/क्षति से बचाया जा सके। यह देखा गया है कि भारत में कंपनी पर कोई मानक उपलब्ध नहीं हैं। तथापि उद्देश्य के लिए जापानी मानक देखे गए हैं। ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के एपील-1 (भाऊपुर-खुर्जा सेक्शन) में डीएफसी संरक्षण के पास एक एएसआई स्ट्रक्चर की पहचान की गई है और डीएफसी निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए नियमों के अनुसार एएसआई प्राधिरियों से अनुमति ली गई है।

अनुबंध घ

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा संचालित व्यवसाय और नीतिशास्त्र संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा घोषण।

में, राम कुमार गुप्ता, प्रबंध निदेशक, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड घोषण करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारीगणों ने 2010-11 के दौरान संचालित व्यवसाय और नीतिशास्त्र संहिता का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25. 07. 2011

ह/-
(राम कुमार गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2011 के अनुसार तुलन पत्र

	अनुसूची सं.	31. 03. 2011 के अनुसार (राशि रुपयों में)	31. 03. 2010 के अनुसार (राशि रुपयों में)
निधियों के स्रोत			
शेयरधारकों की निधियां			
शेयर पूंजी	1	559,13,00,000	358,00,00,000
शेयर आवेधन धन		108,00,00,000	201,13,00,000
ऋण निधि			
असुरक्षित ऋण			
रेल मंत्रालय से ऋण (ईएपी)	2	38,00,00,000	-
योग		705,13,00,000	559,13,00,000
निधियां का अनुप्रयोग			
स्थायी परिसंपत्तियां	3		
सकल ब्लाक		18,64,21,638	16,99,71,391
धटाइए: अवमूल्यन		8,40,60,975	4,62,75,082
शुद्ध ब्लाक		10,23,60,663	12,36,96,309
कार्य प्रगति में पूंजी		268,40,77,343	90,80,62,234
पूंजी संपत्तियों के लिए अग्रिम	4	184,01,60,067	149,58,46,933
विकास व्यय (पूंजी में शामिल नहीं)	5	462,65,98,073	252,76,05,476
विकास व्यय (पूंजी में शामिल नहीं)	5	92,44,33,108	68,75,50,965
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	6		
विविध देनदार		4,78,00,102	1,52,34,847
नकद और बैंक शेष		231,88,83,623	244,94,29,528
अन्य चालू परिसंपत्तियां		26,94,88,094	15,82,69,769
ऋण और अग्रिम		8,74,68,933	6,84,14,845
		272,36,40,752	269,13,48,989
धटाइए: चालू देनदारियां और प्रावधान	7		
चालू देनदारियां		119,17,32,581	28,86,60,026
प्रावधान		3,16,39,352	2,65,45,404
		122,33,71,933	31,52,05,430
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां		150,02,68,819	237,61,43,559
योग		705,13,00,000	559,13,00,000
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	8		
लेखाओं पर टिप्पणियां	9		

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग है

निदेशक मंडल की ओर से

अशोक चोपड़ा
पार्टनर

(आर.के. गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

(आर.के. सिन्हा)
निदेशक / वित्त

सदस्यता सं. 17199

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 002198

कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 05 जूलाई, 2011

(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव

लेख के भाग से संबंधित अनुसूची

	31. 03. 2011 के अनुसार (राशि रुपयों में)	31. 03. 2010 के अनुसार (राशि रुपयों में)
अनुसूची 1		
शेयर पूंजी		
प्राधिकृत पूंजी		
प्रत्येक 1000/-रु. के 4,00,00,000 इक्विटी शेयर	4000,00,00,000	4000,00,00,000
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक 1000/-रु. के 5,59,13,00 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 3,58,00,00)	559,13,00,000	358,00,00,000
योग	559,13,00,000	358,00,00,000

अनुसूची 2

	31. 03. 2011 के अनुसार (राशि रुपयों में)	31. 03. 2010 के अनुसार (राशि रुपयों में)
अप्रतिभूत ऋण	38,00,00,000	-
ईएपी/जायका परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय से ऋण (बाह्य रुप से सहायता प्राप्त परियोजना के लिए रेल मंत्रालय से ऋण।) 10 वर्ष की ऋण स्थान अवधि के बाद 7% ब्याज देय होगा।		
	38,00,00,000	

अनुसूची: 3
क-स्थायी परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियां का ब्लाक	सकल ब्लाक		वर्ष के दौरान कमी/समायोजन	31 मार्च, 2011 तक लागत	अवमूल्यन		बिक्री/समायोजन पर अवमूल्यन	31 मार्च, 2011 तक अवमूल्यन	शुद्ध ब्लाक	
	31 मार्च, 2010 तक लागत	अवधि के दौरान वृद्धि			31 मार्च, 2010 तक अवमूल्यन	वर्ष के दौरान अवमूल्यन			31 मार्च, 2011 की स्थिति	31 मार्च, 2010 की स्थिति
मूर्त परिसंपत्तियां	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
पट्टाघारी परिसर का सुधार	9,38,05,873	19,47,784	2,13,044	9,55,40,613	2,05,03,916	2,45,27,138	-	4,50,31,054	5,05,09,559	7,33,01,960
ईडीपी परिसंपत्तियां	1,85,35,116	35,39,697	4,75,427	2,15,99,386	99,81,435	47,41,686	3,23,914	1,43,99,207	72,00,179	85,53,682
कार्यालय उपस्कर	3,82,44,902	37,04,411	4,73,916	4,14,75,397	90,83,767	52,23,116	1,78,404	1,41,28,479	2,73,46,918	2,91,61,136
फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,18,36,200	44,50,424	3,00,000	1,59,86,624	34,08,355	21,93,091	70,485	55,30,961	1,04,55,663	84,27,847
अमूर्त परिसंपत्तियां										
साफ्टवेयर जो प्रगती पर है आई टी-	-	3,574,436	-	35,74,436	-	-	-	-	35,74,436	
कंप्यूटर साफ्टवेयर	75,49,300	6,95,882	-	82,45,182	32,97,609	1,673,665	-	49,71,274	32,73,908	42,51,690
जोड़	16,99,71,391	1,79,12,634	14,62,387	18,64,21,638	4,62,75,082	3,83,58,696	5,72,803	8,40,60,975	10,23,60,663	12,36,96,315
विगत वर्ष	14,82,28,376	8,39,99,792	6,22,56,774	16,99,71,391	1,60,13,624	3,02,95,001	33,543	4,62,75,082	12,36,96,309	

(ख) पूंजी जो प्रगति पर है																		
मिट्टी कार्य	10,31,93,778	51,65,98,457	-	61,97,92,235	-	-	-	61,97,92,235	-	-	-	61,97,92,235	-	-	-	61,97,92,235	-	10,31,93,778
पूल जो निर्माणाधीन हैं	13,79,48,764	53,64,60,089	-	67,44,08,853	-	-	-	67,44,08,853	-	-	-	67,44,08,853	-	-	-	67,44,08,853	-	13,79,48,764
अन्य परियोजना व्यय	66,69,19,692	71,88,27,322	-	138,57,47,014	-	-	-	138,57,47,014	-	-	-	138,57,47,014	-	-	-	138,57,47,014	-	66,69,19,692
फोरमेशन	-	41,29,241	-	41,29,241	-	-	-	41,29,241	-	-	-	41,29,241	-	-	-	41,29,241	-	-
कुल	90,80,62,234	177,60,15,109	-	268,40,77,343	-	-	-	268,40,77,343	-	-	-	268,40,77,343	-	-	-	268,40,77,343	-	90,80,62,234
विगत वर्ष	42,28,61,882	48,52,00,352	-	90,80,62,234	-	-	-	90,80,62,234	-	-	-	90,80,62,234	-	-	-	90,80,62,234	-	-

लेखे के भाग से संबंधित अनुसूची

	31. 03. 2011 के अनुसार	31. 03. 2010 के अनुसार (राशि रुपयों में)
अनुसूची 4: पूंजी परिसंपत्तियों के लिए अग्रिम		
अप्रतिभूत समझा गया माल		
रेलवे को अग्रिम	3,72,50,520	-
अधिकारियों के फ्लैट के निर्माण के लिए अग्रिम	4,56,00,000	-
संचलन अग्रिम		
प्रतिभूत समझा गया माल	38,26,55,849	10,39,03,599
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी (डीएफसीसीआईएल के पक्ष में यंत्र और संयंत्र के गिरवी रखने के विरुद्ध सुरक्षा)		
अप्रतिभूत समझा गया माल	137,46,53,698	139,19,43,334
	184,01,60,067	149,58,46,933

लेखे के भाग से संबंधित अनुसूची

अनुसूची 5: विकास व्यय (पूँजी में शामिल नहीं)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए (राशि रुपये में)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	68,75,50,965	35,71,79,792
विज्ञापन खर्च	15,98,573	13,08,138
स्थापना (अनुसूची-5 बी)	16,77,54,194	17,56,03,404
उपादान	(301,540)	4,55,854
कर्मचारी कल्याण	55,11,416	56,93,692
संचार व्यय	70,01,421	70,73,020
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	80,38,231	86,97,313
विविध खर्च	7,84,466	5,36,373
पुस्तकें और पत्रिकाएं	25,37,431	24,70,176
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	1,39,30,715	1,05,61,407
डायरेक्टर सीटिंग फीस	2,40,000	-
परामर्श फीस	47,69,695	13,86,139
स्थानापन्न परामर्श प्रभार	1,04,61,210	79,22,629
बिजली खर्च	41,76,001	45,13,336
पावर एवं इंधन	3,44,251	2,56,908
रखरखाव खर्च	77,91,562	61,85,675
लेखा परीक्षा शुल्क		
सांविधिक लेखा परीक्षण शुल्क	4,41,200	4,41,200
सांविधिक लेखा परीक्षण शुल्क (गत वर्ष)	-	1,65,450
प्रामाणिकता शुल्क	-	-
बैठक और सम्मेलन	4,09,179	6,42,834
दर एवं कर	20,23,934	10,03,755
किराया	7,33,30,631	9,68,85,199
दौरे, यात्राएं और सवारी भत्ता	4,69,63,553	3,74,42,941
मरम्मत और अनुरक्षण-अन्य	26,68,367	22,02,805
वार्षिक अंशदान शुल्क-सूचना तकनीक परामर्श एवं साफ्टवेयर	20,83,785	22,91,537
कार्यालय खर्च	6,65,390	5,41,813
मेहमाननवाजी खर्च	8,11,553	2,14,112
कार्यालय सुरक्षा व्यय	29,62,037	31,63,147
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	55,716	67,798
सेवा कर पर ब्याज	1,78,118	-
विदेशी मुद्रा घट बढ़	97,375	-
ईएपी ऋण पर रेल मंत्रालय को देय ब्याज	30,60,822	-
अवधि पूर्व समायोजन (अनुसूची-5 सी)	7,12,048	-
अवमूल्यन	3,83,46,544	3,02,95,001
परिलिखित पट्टाधारी सुधार	-	2,82,54,044
योग	109,69,98,843	79,34,55,492
घटाइए:		
लिविडेटेड डेमेज (एलडीए)	1,66,02,302	3,40,806
लामबंदी अग्रिम पर ब्याज (एक्रूड) (टीडीएस 86,70,299 / -रु.)	8,73,76,657	5,07,17,224
निर्माण अवधि के दौरान अन्य आय(अनुसूची-5 ए)	6,85,86,775	5,48,46,497
विकास लेखा को स्थानांतरित शुद्ध व्यय	92,44,33,108	68,75,50,965

लेखे के भाग से संबंधित अनुसूची

अनुसूची 5ए: निर्माण अवधि के दौरान अन्य आय की अनुसूची

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए (राशि रुपयों में)
कुल प्राप्तियां		
उप पट्टे पर किराया की वसूली	3,95,29,116	3,03,39,048
उप पट्टे एवं अन्य पर सुविधा प्रबंधन की वसूली:		
स्थानापन्न परामर्श शुल्क	9,09,751	12,08,180
रखरखाव	15,01,608	12,71,100
कार्यालय सुरक्षा खर्च	35,08,402	19,58,865
विद्युत खर्च	43,86,612	32,45,931
कार्यालय की मरम्मत एवं अनुरक्षण	2,46,741	3,66,128
मरम्मत एवं अनुरक्षण—वा.कू.	11,10,575	3,53,936
खान—पान	72,059	32,211
वार्षिक अनुरक्षण प्रभार	2,78,781	2,85,302
मरम्मत एवं अनुरक्षण	3,79,966	-
जमा कार्य रसीद	12,09,664	-
उप पट्टे पर पूंजीव्यय वसूली	-	1,28,52,906
कंपोजिट किराया एवं वसूला गया सुविधा प्रबंधन प्रभार	2,25,22,500	-
एफडीआर पर ब्याज (टीडीएस 86,00,294)	8,57,57,315	7,61,89,544
टैंडर की बिक्री	5,55,700	3,12,000
अन्य आय	4,627	48,866
विदेशी मुद्रा घटबढ़	-	51,952
अवधि पूर्व समायोजन	-	13,92,925
डेपरिसिएशन रिटन बैंक	-	3,157
	16,19,73,417	12,99,12,050
किए गए खर्च		
किराया	4,88,14,066	3,03,39,048
सुविधा प्रबंधन प्रभार:		
स्थानापन्न परामर्श शुल्क	8,16,473	10,73,938
रखरखाव	16,52,723	11,31,821
कार्यालय सुरक्षा खर्च	36,56,030	17,41,213
विद्युत खर्च—कार्यालय	43,29,859	28,85,272
कार्यालय की मरम्मत एवं अनुरक्षण	2,19,325	3,25,447
मरम्मत एवं अनुरक्षण—वा.कू.	9,87,712	3,29,569
खान—पान	64,052	28,632
वार्षिक अनुरक्षण प्रभार	2,47,806	2,53,602
मरम्मत एवं अनुरक्षण	3,37,916	-
जमा कार्य रसीद	10,77,205	-
ब्याज व्यय	91,636	-
आयकर		
आयकर प्रावधान	3,13,26,357	2,59,30,869
पूर्व वर्ष	(234,518)	(398,663)
उप पट्टे पर पूंजी व्यय वसूली	-	1,14,24,805
	9,33,86,642	7,50,65,553
शुद्ध आय जो विकास खाते में स्थानंतरित की गई	6,85,86,775	5,48,46,497

लेखे के भाग से संबंधित अनुसूची

अनुसूची 5बी:

	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार
	(राशि रुपयों में)	
स्थापना खर्च		
वेतन	9,16,09,728	7,13,36,913
वेतन बकाया लेखा	6,05,004	12,28,816
यात्रा / दैनिक भत्ता	53,95,205	37,70,521
टीएडीके भत्ता	36,07,101	34,32,000
वेतन बकाया द्वितीय वेतन आयोग (आईडीए)	-	28,90,191
वेतन बकाया (सीडीए से आईडीए)	1,23,475	1,02,00,000
वेतन बकाया (आईडीए से सीडीए)	11,659	-
अनुलाभों पर कर	36,18,129	39,12,337
फारेन सर्विस कंट्रीब्यूशन	96,68,505	3,28,13,262
फर्नीशिंग भत्ता	62,56,156	55,40,009
मकान किराया भत्ता	12,26,610	10,58,668
छुट्टियों का नकदीकरण	8,31,921	7,14,358
ईपीएफ पर कर्मचारी अंशदान	56,122	-
ईपीएफ पर प्रशासनिक प्रभार	5,344	-
स्थानांतरण सहायता	27,180	-
स्थानांतरण भत्ता	18,92,575	24,93,174
समेकित यात्रा भत्ता	26,91,667	28,07,450
मिश्रित स्थानांतरण सहायता	6,10,029	6,58,681
मानदेय	4,440	-
व्यय भत्ते	49,62,794	32,10,948
होस्टल भत्ता	6,000	72,000
छुट्टी यात्रा छूट	10,803	10,617
कंप्यूटर प्रशिक्षण शुल्क	71,090	3,09,317
मेडिकल इनडोर	13,09,901	15,80,508
मेडिकल आउटडोर	70,27,019	59,54,690
ट्यूशन फीस	18,08,727	21,68,458
लाइसेंस फीस	61,15,048	58,49,516
पट्टा किराया	1,38,74,711	1,25,19,322
व्यवसायिक अध्ययन भत्ता	12,95,857	-
कर्मचारियों की क्लब सदस्यता शुल्क	8,74,837	-
विशेष व्यवसायिक भत्ता	2,76,269	-
कैटीन भत्ता	65,874	-
प्रभार भत्ता	98,405	-
एन पी एस अंशदान	72,214	-
ज्वाइनिंग टाइम इनकैशमेंट	26,383	-
विद्युत स्टाफ	16,14,287	4,56,400
मरम्मत एवं अनुरक्षण-पट्टा	3,125	6,15,248
योग	16,77,54,194	17,56,03,404

लेखे के भाग से संबंधित अनुसूची

अनुसूची 5सी:

अवधि पूर्व समायोजन 2010-11

विवरण	2010-11		2009-10	
	(राशि रुपयों में)		(राशि रुपयों में)	
	नामे	जमा	नामे	जमा
विज्ञापन खर्च	-	-	-	13,63,284
हवाई एवं रेल किराया	71,489	-	-	-
वार्षिक अनुरक्षण प्रभार	1,60,905	-	-	-
संचार व्यय	-	-	58,614	68,741
परामर्श शुल्क	-	82,293	-	43,000
विद्युत खर्च	163,248	-	4,53,594	-
स्थपना	-	-	3,64,815	675,177
एफ बी टी ए वार्ड (2008-09)	-	-	25,355	-
मेहमान नवाजी खर्च	-	-	44,390	-
रखरखाव खर्च	-	-	29,889	-
एल डी ए	-	-	-	650,528
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	-	-	3,25,275	35,275
अन्य खर्च	47,635	-	76,228	-
कार्यालय सुरक्षा खर्च	-	35,755	-	70,231
स्थनापन्न परामर्श शुल्क	-	-	59,564	-
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	-	-	1,11,404	55,709
व्यावसायिक प्रभार	-	103,281	-	-
मरम्मत एवं अनुरक्षण-अन्य	1,97,695	-	-	-
किराया	1,33,187	-	-	-
दौरे, यात्राएं एवं सवारी भत्ता	-	30,082	2,31,383	2,16,865
गाड़ियों का किराया	1,27,253	-	-	-
अवधि पूर्व विविध समायोजन	62,962	915	66,865	61,491
योग	9,64,374	2,52,326	18,47,376	32,40,301
अवधि पूर्व समायोजन 2010-11	712,048			
अवधि पूर्व समायोजन 2009-10	(13,92,925)			

लेखे के भाग से संबंधित अनुसूची

	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार (राशि रुपयों में)
अनुसूची 6		
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम राशि		
चालू परिसंपत्तियां		
विविध देनदार (अप्रतिभूत ठीक समझे गए)		
क. 6 माह की अवधि से अधिक के लिए बकाया ऋण	2,23,13,839	1,24,78,829
ख. अन्य ऋण *	2,54,86,263	27,56,018
• (उप पट्टे पर प्राप्त ऋण / किराया आदि)		
योग	4,78,00,102	1,52,34,847
नकद राशि और बैंक शेष		
अनुसूचित बैंकों के पास शेष		
चालू खाते	7,16,22,684	5,23,12,078
जमा खाते	224,72,60,939	239,71,17,450
योग	231,88,83,623	244,94,29,528
अन्य चालू परिसंपत्तियां		
सावधि जमा पर अर्जित / प्राप्त ब्याज	1,77,81,051	1,79,32,302
अन्य (संग्रहण अग्रिम)	5,16,16,315	4,53,46,543
रेल मंत्रालय से प्राप्त भूमि अधिग्रहण पर व्यय	20,00,90,728	9,49,90,924
योग	26,94,88,094	15,82,69,769
ऋण एवं अग्रिम		
प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु रूप में वसूलने		
योग्य अग्रिम (अप्रतिभूत ठीक समझे गए)		
जमानत जमा राशियां	3,71,66,807	3,64,14,712
वेतन आयोग के रेलवे बकाया के लिए अग्रिम	1,69,142	1,69,142
अग्रिम कर एवं स्रोत पर कटौती	3,40,29,467	2,62,90,402
आयकर वापसी	33,83,933	28,08,985
इनपुट सेवा कर जमा	95,86,040	18,53,634
अन्य	32,11,106	8,77,590
निदेशकों को खर्च के लिए दिया गया अग्रिम (वर्ष के दौरान अधिकतम नामे शेष 30,000 / -रु.)	30,000	-
योग	8,74,68,933	6,84,14,845

लेखे के भाग से संबंधित अनुसूची

	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार
	(राशि रुपयों में)	
अनुसूची 7		
चालू देयताएं और प्रावधान		
चालू देयताएं		
विविध लेनदार		
अल्प एवं छोटे	-	-
अन्य	37,25,30,131	22,33,93,442
अन्य जमा	86,50,989	41,61,268
आपूतिकर्ता एवं सेवा प्रबंधक की और से प्राप्त जमानत जमा राशियां	6,12,96,008	3,52,06,177
ग्राहकों से अग्रिम	6,47,769	-
भूमि के लिए अग्रिम (एसएलएओ लेखे में हस्तांतरण के लिए लंबित)	67,36,50,157	-
अन्य देयताएं	7,18,96,705	2,58,99,139
एक्रयूड ब्याज किंतु रेल मंत्रालय से प्राप्त ऋण पर देय नहीं	30,60,822	-
योग	119,17,32,581	28,86,60,026
प्रावधान		
आयकर के लिए प्रावधान	3,13,26,357	2,59,30,869
उपादान के लिए प्रावधान	3,12,995	6,14,535
योग	3,16,39,352	2,65,45,404

अनुसूची 8

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरण (स्टेटमेंट) तैयार करने का आधार
ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3 सी) के अंतर्गत लागू प्रावधानों और भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत मानक के अनुसार ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अंतर्गत एक संचयी आधार पर तैयार किए गए हैं।
2. आकलनों का प्रयोग
सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपेक्षित है कि प्रबंधन ऐसे आकलन और अभिधारणाएं करें जो और प्रस्तुत किए गए वर्षों के लिए रिपोर्ट की गई राजस्व और व्यय की राशियां तथा वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई परिसंपत्ति और देयताओं की राशि और आनुषंगिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण पर प्रभाव डालते हों। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलन और वास्तविकता में होने वाले अंतर को चालू और भविष्य की लेखा अवधि में समायोजित किया जाता है।
3. राजस्व मान्यता
राजस्व की मान्यता गतिविधि की प्रकृति के आधार पर की जाती है जब विचार सही पाया जाता है और इसकी वसूली की निश्चितता सही पाई जाती है।
 - 1) बैंक जमा पर ब्याज को समय समानुपात के आधार पर बुक किया जाता है।
 - 2) आय की अन्य मदों को उनके प्राप्त करने के अधिकार के समय लेखाबद्ध किया जाता है।
 - 3) सेवा शुल्क आय को संविदा की शर्तों के अनुसार मान्यता दी जाती है।
4. स्थायी परिसंपत्तियां और अवमूल्यन
 - क) स्थायी परिसंपत्तियां ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी जाती हैं और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाले व्यय संबंधित परिसंपत्ति के साथ पूंजी में शामिल कर लिए जाते हैं।
 - ख) परिसंपत्ति के अधिग्रहण और निर्माण पर हुई सभी विकास संबंधी लागत जो रेलवे अवसंरचना का भाग है, पूंजी में शामिल कर ली गई है और उसे किसी पूरी कर ली गई परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष लागत के समानुपात में आनुपातिक आधार पर वितरित कर दिया गया है।
 - ग) स्थायी परिसंपत्तियों की वृद्धि/कमी पर अवमूल्यन का प्रावधान वृद्धि/कमी होने की तारीख से समानुपातिक आधार पर किया जाता है।
 - घ) अवमूल्यन का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में उल्लिखित कम की जाने वाली मूल्य विधी के अनुसार किया जाता है। निम्नलिखित को छोड़कर जिन पर परिसंपत्तियों की अनुमानित आयु पर सीधी रेखा विधि पर समानुपातिक आधार पर अवमूल्यन का निर्धारण किया जाता है:

लैपटोप	30.00%
मोबाइल	90.00%

ड) अमूर्त परिसंपत्तियां और ऋणपरिशोध

- 1) कंप्यूटर एंटीवायरस साफ्टवेयर का इसकी आयु के लिए ऋणशोधन किया जाता है, अर्थात् , समानुपातिक आधार पर एक वर्ष।
- 2) एंटीवायरस के अतिरिक्त अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का ऋणशोधन तीन वर्ष के लिए समानुपातिक आधार पर किया जाता है।

च) पट्टाधार परिसर का सुधार

पट्टाधार परिसर का सुधार ऋणपरिशोधन इन सुधारों के आरंभ होने से पट्टाधार (लीज) की अवधि के दौरान किया जाता है।

5. कर्मचारियों के हित लाभ

क) अल्पावधि के लिए कर्मचारियों के हित लाभ

सभी कर्मचारियों के हित लाभों को सेवा के बारह महीनों के भीतर पूर्ण किया जाता है उनका वर्गीकरण अल्पावधि के हित लाभों में किया जाता है। अनुपस्थिति जैसे अल्पावधि के हितलाभों की क्षतिपूर्ति की पहचान कर्मचारी की संबंधित सेवा अवधि में की जाती है।

ख) दीर्घावधि के लिए कर्मचारियों के हित लाभ

- 1) उपादान से संबंधित प्रावधान/देयताओं का निर्धारण प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और विकास लेखे में प्रभारित होता है।
- 2) प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के लिए फारेन सर्विस कंटरिब्यूशन से संबंधित प्रावधान/देयताओं का निर्धारण सरकार के नियमों/विनियमों के आधार पर किया जाता है और विकास लेखे में प्रभारित होता है।

6. उधार लागत

अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए उधार लागत उस परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में निकाली जाती है। अन्य उधार लागतों की पहचान उन खर्चों के आधार पर की जाती है जिसमें वे किए जाते हैं।

7. पट्टे (लीज) का लेखा

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टे की व्यवस्थाएं उन संचालित पट्टों के लिए हैं जो कार्यालय तथा निवास स्थानों के लिए की जाती हैं। जिन पट्टाधार स्थानों के प्रबंध को रद्द नहीं किया जा सकता उनकी अवधि प्रायः ग्यारह महीने से तीन साल तक होती है और आमतौर पर इनका नवीकरण आपसी सहमति से शर्तों पर हो जाता है। पट्टे के किराये को सामान्यतः किराये के रूप में दिया जाता है।

8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियां देयताओं की पहचान का प्रावधान वास्तविक डिग्री के प्राक्कलन के प्रयोग द्वारा ही किया जाता है, यदि
- क) कंपनी पर गत समय का दायित्व हो
 - ख) दायित्व के निपटारे के लिए एक संभावित निःस्त्राव की संसाधनों की संभावना हो
 - ग) दायित्व की राशि का सही ढंग से अनुमान लगाया जा सकता हो
- आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्न मामलों में हो सकता है:
- क) पूर्व की घटनाओं से कंपनी पर कोई दायित्व लगा हो जबकि दायित्व के निपटारे के लिए एक संभावित निःस्त्राव की संसाधनों की संभावना की आवश्यकता नहीं होगी।
 - ख) पूर्व की घटनाओं से कंपनी पर कोई दायित्व लगा हो जबकि सही अनुमान लगाना संभव न हों।
 - ग) पूर्व की घटनाओं से कंपनी पर कोई दायित्व लगा हो जहां संभावित निःस्त्राव के संसाधन स्वचलित न हों।
- आकस्मिक परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की जाती है, प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र में की जाती है।
9. कराधान
- आयकर की गणना कर प्रभावी लेखांकन तरीके प्रयोग से की जाती है, जहां कर उसी अवधि में प्राप्त किए जाते हैं जिसमें राजस्व एवं खर्चे किए जाते हैं। प्रचलित कानून के अनुसार कर भत्तों और छूटों पर विचार करने के बाद कर देयता की गणना के वार्षिक आधार पर आयकर के लिए प्रावधान किया जाता है।
10. विदेशी मुद्रा संव्यवहार
- विदेशी मुद्रा का संव्यवहार विनिमय की उस दर पर किया जाता है जिस दिन संव्यवहार किया जाता है। वर्ष के अंत में बकाया सभी वित्तीय मदों का संव्यवहार वर्ष के अंत में किया जाता है।

अनुसूची 9

लेखाओं से संबंधित टिप्पणियां:

- 1. आकस्मिक देनदारियां**

कंपनी को रेल मंत्रालय की ओर से भूमि अधिग्रहण के संबंध में बहुत से मामलो का न्यायालय और पंचाट में सामना करना पड़ रहा है। इस लेखें में कंपनी की कोई देनदारी नहीं बनती है। हालांकि कुछ पक्षों ने उनके साथ करार को लेकर पंचाट में मामला डाला है। इसके अंतर्गत दावे की राशि 6,24,60,607 /—रु. बनती है। प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने का लंबित मामला जो प्रारंभिक अवस्था में है, इस दिशा में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 2. पूंजी वचनबद्धता**

पूंजी खाते पर पूरे किए जाने वाले ठेकों की अनुमानित राशि और जिसके लिए प्रवधान नहीं किया गया:
1557.30 करोड़ रु. (गत वर्ष 1588.84 करोड़ रु.)
- 3. कंपनी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना के ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्शन संबंधित कार्य के लिए निर्माणाधीन स्तर पर है। तदनुसार, लाभ एवं हानि खाता नहीं दिखाया गया। अनुसूची 6 के भाग-2 द्वारा वांछित अपेक्षित सूचना लाभ एवं हानि खाते के स्थान पर विकास खाते में दर्शायी गई है।**
- 4. उपलब्ध सूचना के आधार पर "सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उदयम विकास अधिनियम, 2006" के अंतर्गत परिभाषित कोई भी ऐसा सूक्ष्म,छोटा तथा मध्यम उदयम नहीं है जिसे कंपनी ने ऋण लिया हो।**
- 5. बोर्ड की राज में यदी चालू संपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम राशि का मूल्यांकन किया जाए जो इसका मूल्य लेखा विवरण से कम नहीं होगा।**
- 6. आयकर के लिए प्रावधान वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त संचित राशि तथा सेवा शुल्क से प्राप्त राशि के आधार पर रखा गया है। किंतु ठेकेदरों को दिए संग्रहण अग्रिम पर ब्याज का इसमें प्रावधान नहीं रखा गया है जबकि परामयर्शदाताओ से प्राप्त विचारों पर आधारित पूंजी रसीद के अनुसार इसे वही समझ गया है। लेखा मापदंड 22 के अनुसार आय पर कर के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी अभी निर्माणाधीन अवस्था मे है।**
- 7. कर्मचारी कल्याण:**

31. 03. 2011 तक, परिणित मूल्यांकन के अनुसार उपादान के दायित्व का प्रावधान रखा गया है।

उपादान का लाभ कर्मचारी को कंपनी से अलग होने पर मिलता है। उपादान का भुगतान उपादान अधिनियम, 1972 के अनुसार उपादान की राशि का आधार सेवा की कुल अवधि और सेवा समाप्ति के समय वेतन के आधार पर होता है। इस लाभ में पाँच वर्ष की निहित अवधि होती है।

सेवा निवृत्त लाभ(उपादान) पर वर्तमान कीमत के प्रारंभिक एवं समाप्ति शेषों के मिलान और आरोपित अवधि के दौरान प्रभाव निम्नलिखित हैं:-

विवरण	राशि रुपयों में
प्रारंभिक शेष 01 .04. 2010 को	6,14,535
ब्याज लागत	46,090
चालू सेवा लागत	1,38,177
दिए गए लाभ	--
वास्तविक (लाभ)/आरोपों पर हानि	(4,85,807)
समापन शेष 31. 03. 2011 को	3,12,995

पहचाने गए खर्चे

विवरण	राशि रुपयों में
ब्याज लागत	46,090
चालू सेवा लागत	1,38,177
वास्तविक (लाभ)/आरोपों पर हानि	(4,85,807)

परिणत धारणाएं:

मूल्यांकन की प्रणाली	प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट प्रणाली
छूट की दर	7.50%
वेतन वृद्धि दर	3%
मर्त्यता दर	एल आई सी (1994-96) की मर्त्यता दर की प्रकाशित तालिका

8. फोरेन सर्विस कंट्रिब्यूशन (एफएससी)

फोरेन सर्विस कंट्रिब्यूशन प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों (विभिन्न रेलों के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने एक निर्धारित समय के लिए निगम को प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण किया है) की छुट्टी वेतन और पेंशन के लिए वर्ष 2010-11 के लिए सरकार के नियमों और विनियमों के आधार पर देय होता है, का अनुमान लगाया जाता है और विकास लेखे में प्रभावित होता है।

9. कंपनी ने अपने निगमित कार्यालय के लिए 15 फरवरी, 2008 से पट्टे (लीज) पर एक स्थान लिया है। पट्टे की चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं किया जा सकता। कंपनी ने परिसर के हिस्से को उप पट्टे पर दिया है जिसे पट्टे की चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं किया जा सकता।

वर्ष 2010-11 की अवधि के लिए विकास खाते के विवरण में दर्शाई गई पट्टे के भुगतान की राशि 12,21,44,697 /-रु. है (गत वर्ष 12,72,24,247 /-रु.)

प्राप्त होने वाले उप पट्टे के 3,95,29,116 /-रु. (गत वर्ष 3,03,14,048 /-रु.) के भुगतान को 2010-11 की अवधि के लिए विकास खाते के विवरण में दर्शाया गया है।

10. कंपनी ने ठेकेदारों और उप किरायदारों से सावधि जमा रसीदों के रूप में 1,99,79,779 /-रु. (गत वर्ष 2,01,09,779 /-रु.) की जमानत जमा राशियां प्राप्त की हैं। तदनुसार इसे परिसंपत्तियों और देयताओं के रूप में नहीं दर्शाया गया है।

11. ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत दर्शाए गई जमानत जमा राशियों में 2,67,49,800 /-रु. (गत वर्ष 2,67,49,800 /-रु.) भी शामिल हैं जो सावधि जमा के रूप में डीएमआरसी को उनके हिस्से के रूप में दिए गए हैं। उस पर प्राप्त 25,96,972 /-रु. (गत वर्ष 46,65,282 /-रु.) का ब्याज विकास खाते में सावधि जमा पर ब्याज के रूप में शामिल है।

12. कंपनी ने कर्मचारियों की ओर से आवास के लिए पट्टा किराया, चिकित्सा भत्ता, विद्युत भत्ता और साज-सामान भत्ते पर कर का भुगतान इन्हें गैर वित्तीय लाभ मानते हुए किया है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 200 के उल्लंघन से संबंधित सीएजी और अन्य नियामक अनुमोदनों द्वारा बनाई गई मुख्य सार्वजनिक उपक्रमों में अपनाई जा रही इस पद्धति पर विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए निगम इस मामले में कानूनी सलाह लेने पर विचार कर रहा है।

13. संबंधित पक्षकारों का प्रकटीकरण:
क) मुख्य प्रबंधन अधिकारी

श्री वी. के. कौल	प्रबंधक निदेशक (पूर्णकालीन निदेशक) 06. 10. 2010 तक
श्री एस. के. मलिक	प्रबंधक निदेशक (कार्यकारी) 13. 09. 2010 से 30. 11. 2010 तक
श्री बी. एन. राजशेखर	प्रबंधक निदेशक (कार्यकारी) 01. 12. 2010 से 14. 03. 2011 तक
श्री ए. के. दत्ता	प्रबंधक निदेशक (कार्यकारी) 22. 03. 2011 से 09. 05. 2011 तक पूर्णकालीन निदेशक (अवसंरचना) 01. 04. 2010 से
श्री आर. के. सिन्हा	पूर्णकालीन निदेशक (वित्त)
श्री पी. एन. शुक्ला	पूर्णकालीन निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)
श्री बी. बी. सरन	पूर्णकालीन निदेशक (परियोजना नियोजन) 31. 01. 2011 तक
श्री विवेक सहाय	अंशकालिक अध्यक्ष 02. 06. 2010 से
श्री एस. एस. खुराना	अंशकालिक अध्यक्ष 02. 06. 2010 तक
श्री आर. एन. बरतरिया	अंशकालिक निदेशक (सरकारी)
श्री एम. दामोदरन	अंशकालिक निदेशक 14. 05.2010 से
श्री गजेंद्र हल्दिया	अंशकालिक निदेशक (सरकारी)
श्री डी. टी. जोसेफ	अंशकालिक निदेशक (गैर सरकारी) 14. 05. 2010 से
श्री भास्कर गुप्ता	अंशकालिक निदेशक (गैर सरकारी) 23. 11. 2010 से

टिप्पणी: श्री आर. के. गुप्ता को दिनांक 10. 05. 2011 से प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

ख) उद्वयम जिनमें निदेशकों का हित है।

शून्य

ग) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहारों का प्रकटीकरण :-

विवरण	संव्यवहार		बकाया राशि	
	31. 03. 2011 को समाप्त वर्ष (रुपए)	31. 03. 2010 को समाप्त वर्ष (रुपए)	31. 03. 2011 को समाप्त वर्ष (रुपए)	31. 03. 2010 को समाप्त वर्ष (रुपए)
ऊपर (क) पर उल्लिखित मुख्य प्रबंधन अधिकारियों को परिलब्धियां	मद सं. 14 देखें	मद सं. 14 देखें	कुछ नहीं	कुछ नहीं

14. प्रबंधकों की परिलब्धियां

	31. 03. 2011 को समाप्त वर्ष (रुपए)	31. 03. 2010 को समाप्त वर्ष (रुपए)
वेतन एवं भत्ते (वेतन आयोग एवं आई डी ए बकाया सहित)	64,76,254	97,19,693
अनुलब्धियों का मुल्य	24,55,942	12,57,115

15. विदेशी मुद्रा मे व्यय की गई राशि

	31. 03. 2011 को समाप्त वर्ष (रुपए)	31. 03. 2010 को समाप्त वर्ष (रुपए)
सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अभिदान शुल्क	18,02,486	18,72,000
दौर एवं यात्राएं	2,19,938	18,01,687
परियोजना परामर्श सेवाएं	40,62,956	14,93,708

16. भूमि/भूमि अधिग्रहण

(क) रेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कंपनी रेल मंत्रालय की ओर से रेल मंत्रालय द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी के साथ भूमि अधिगृहीत कर रही है। कंपनी ने दिनांक 31.03.2011 तक भूमि के अधिग्रहण के संबंध में 20.00 करोड़ रु. (गत वर्ष 9.50 करोड़ रु.) की राशि खर्च की है। उक्त को रेल मंत्रालय की पुष्टि से प्राप्त किया गया है।

(ख) इसके अतिरिक्त बैंक खाते खोले दिए गए हैं और इन खातों को सक्षम प्राधिकारी और कंपनी के एक नोमिनी

द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। ऐसे बैंक खाते कंपनी के खातों का भाग नहीं होते हैं।

- (ग) विभिन्न बैंकों में सावधि जमा के रूप में 68.69 करोड़ रु. की राशि राज्य भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलओ) की ओर तथा 0.11 करोड़ रु. की राशि एसएलएओ बैंक खाते में चालू में जमा है।
- (घ) भूमि अधिग्रहण पर खर्च के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान की 0.5 प्रतिशत की एक कैप लगाई गई है। वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में भूमि क्षतिपूर्ति पर लगभग 1434 करोड़ रु. की तुलना में भूमि सरलीकरण पर 20 करोड़ रु. का खर्च आया। यह 1.39 प्रतिशत होती है जो रेल मंत्रालय के दिनांक 26.07.2010 के पत्र द्वारा भूमि अधिग्रहण पर खर्च के लिए परिभाषित की गई कैप से अधिक है बशर्ते कि रेल मंत्रालय इसकी पुष्टि करे। कंपनी के उक्त सीमा को 1.50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है। शेष और खर्च पर सीमा बढ़ाने की लंबित पुष्टि रेल मंत्रालय से वसूल जाने वाली राशि के रूप में दिखाई गई है।
17. कंपनी ने संबंधित पक्षों से पुष्टि प्राप्त करने के लिए पत्र भेजे हैं जिसमें से कुछ पक्षों से उत्तर प्राप्त हुए हैं। निजी शेष का बकाया उनके संबंधित पुष्टि की शर्तों पर आधारित है।
18. कंपनी ने बाह्य सहायता परियोजना के लिए रेल मंत्रालय से प्राप्त ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज दर का प्रावधान बनाया है। इस ऋण पर ब्याज के प्रावधान की व्यवस्था वित्त मंत्रालय द्वारा सकल बजट समर्थन के बाहरी सहायता अवयव के रूप में रेल मंत्रालय को ऋण के लिए दिनांक 16.09.2009 के "कैबिनेट के लिए सप्लिमेंटरी नोट" के आधार पर की गई है। इस पत्र के अनुसार 10 वर्ष की विलंबन अवधि के समाप्त होने पर वित्त मंत्रालय को 7 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा।
19. शेयर पूंजी / शेयर आवेदन निधि के रूप में प्राप्त 156.05 करोड़ रु. (गत वर्ष 239.71 करोड़ रु.) की राशि का उपयोग नहीं किया गया तथा 31 मार्च, 2011 को यह राशि सावधिक रूप में अनुसूचित बैंकों में जमा है।
20. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक समझा गया है सुधार किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-
अशोक चोपड़ा
पार्टनर
सदस्यता सं. 17199
कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 0021198एन

ह/-
(आर. के. गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

ह/-
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक / वित्त

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05 जुलाई, 2011

ह/-
(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव

तुलन पत्र सार और कंपनी का सामान्य कारोबार स्वरूप

अनुसूची VI भाग IV
कंपनी अधिनियम, 1956

1.	पंजीकरण ब्यौरे			
	पंजीकरण संख्या	1,55,068	राज्य कोड	55
	तुलन पत्र की तारीख	31.03.11		
2.	वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी	(राशि हजार रुपयों में)		
	सार्वजनिक निर्गम	कोई नहीं	अधिकार निर्गम	कोई नहीं
	बोनस निर्गम	कोई नहीं	प्राइवेट स्थानन	20,11,300
3.	निधियों के संग्रहण और नियोजन की स्थिति	(राशि हजार रुपयों में)		
	कुल देयताएं	82,74,672	कूल परिसंपत्तियां	82,74,672
	निधियों के स्रोत			
	प्रदत्त पूंजी (शेयर आवेदन निधि सहित)	66,71,300	आरक्षित और अधिशेष	कोई नहीं
	प्रतिभूति ऋण	कोई नहीं	अप्रतिभूति ऋण	कोई नहीं
	आस्थगित कर देयता	कोई नहीं		
	निधियों का अनुप्रयोग			
	शुद्ध स्थायी परिसंपत्तियां	55,51,031	निवेश	कोई नहीं
	शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियां	15,00,269	विविध व्यय	कोई नहीं
	संचित हानियां	कोई नहीं		
4.	कंपनी का निष्पादन (राशि हजार रुपयों में)			
	कुल बिक्री	-	कूल व्यय	-
	कर पूर्व लाभ / (हानि)	-	कर पश्चात लाभ / हानि	-
	प्रति शेयर अर्जन रुपयों में	-	लाभांश	-
5.	कंपनी के तीन मुख्य उत्पाद / सेवाओं के सामान्य नाम			
	(मौद्रिक शर्तों के अनुसार)			
	मद कोड सं. (आई टी सी कोड)		98.09	
	उत्पाद वर्णन		टर्नकी निर्माण	
	मद कोड सं. (आई टी सी कोड)		कोई नहीं	
	उत्पाद वर्णन		कोई नहीं	
	मद कोड सं. (आई टी सी कोड)		कोई नहीं	
	उत्पाद वर्णन		कोई नहीं	

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

क्र.सं.	विवरण	31.03.2011 के (राशि रुपयों में)	31.03.2010 के (राशि रुपयों में)
1.	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह कर पूर्व शुद्ध लाभ और असाधारण मदें चालू पूंजी में परिवर्तनों के लिए समायोजन:		
	अन्य प्राप्त राशियों में वृद्धि	(16,28,37,668)	54,68,40,326
	वर्तमान देयताओं में कमी	90,30,72,555	11,78,50,074
	प्रावधान में कमी	509,39,48	14,71,158
	आस्थगित कर देयता में कमी	-	-
	परिचालनों से अर्जित नकदी	-	-
	आयकर प्राप्त / अदा किया गया (टी डी एस की शुद्ध राशि)	34,029,467	2,62,90,402
	परिचालनों से नकदी प्रवाह (ए)	- 77,93,58,302	- 69,24,51,960
2.	पूंजी निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी:- स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद / विकास लेखा ब्याज आय (राजस्व)	(23,69,904,207) -	(23,29,190,417) -
	पूंजी निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी / अर्जित की गई नकदी	(236,99,04,207)	(232,91,90,417)
3.	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:- शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त धनराशि शेयर आवेदन से प्राप्त धनराशि दीर्घकालीन उधार की राशियां वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त नकदी / आर्जित की गई नकदी	201,13,00,000 (93,13,00,000) 38,00,00,000 146,0,000,000	99,77,00,000 201,13,00,000 - 300,90,00,000
	रोकड़ और रोकड़ समकक्षों में शुद्ध वृद्धि / कमी (ए+बी+सी) वर्ष के प्रारंभ में रोकड़ और रोकड़ समकक्ष वर्ष की समाप्ति पर रोकड़ और रोकड़ समकक्ष	-13,05,45,905 244,94,29,528 231,88,83,623	137,22,61,543 107,71,67,985 244,94,29,528
	रोकड़ और रोकड़ समकक्ष में नकद और हस्तगत बैंक शामिल है हस्तगत बैंक शामिल है अनुसूचित बैंकों में शेष राशि चालू खाते में सावधि जमा खाते में	231,88,83,623 7,16,22,684 224,72,60,939	244,94,29,528 5,23,12,078 239,71,17,450

नोट:

- उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-3 में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।
- इस नकदी प्रवाह विवरण का उल्लेख हमारी उक्त रिपोर्ट में किया गया है।

निदेशक मंडल की और से

ह/-
(अशोक चोपड़ा)
पार्टनर
सदस्यता सं. 17199
कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 002198एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05 जुलाई, 2011

ह/-
(आर. के. गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

ह/-
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक / वित्त

ह/-
(मीनू कपूर)
कंपनी सचिव

जैन चोपड़ा एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

105, ज्योति भवन, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली-110009

फोन: 27652776, 27652091 फैक्स: 011-27650155

ई-मेल: jc_company@sify.com

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को प्रस्तुत:

1. हमने डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड 31 मार्च, 2011के संलग्न संतुलन पत्र तथा उसके साथ संबद्ध उसी तिथि को समाप्त कॉर्पोरेशन के विकास व्यय लेखा का लेखा परीक्षण कर लिया है जिस पर हमने इस रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षर किए हैं। इन वित्तीय विवरणों के संबंध में जिम्मेवारी कॉर्पोरेशन के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेवारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करना है।
2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षण मानकों क अनुसार की है। उन मानकों में अपेक्षाकृत है कि हम यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें और उसकी योजना बनाएं कि इन वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल न हो। वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के समर्थन में उल्लिखित प्रमाण की एक परीक्षण के तौर पर जांच करना लेखा परीक्षा में शामिल होना है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन तथा समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा में हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार उपलब्ध है।
3. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4ए) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनियां (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 में अपेक्षित है और हम ऐसी जांचों के आधार पर जिन्हें हम उचित समझते हैं। हम उपर्युक्त आदेश के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुलग्नक के साथ नत्थी कर रहे हैं।
4. ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित अनुलग्नक में दी गई हमारी टिप्पणियों के अलावा, निम्नलिखित की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है:
 - (क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 200 के प्रावधानों के उपयुक्तता के मामले में निगम द्वारा देखे जा रहे कानूनी विचार के संबंध में टिप्पणी सं. 12 जो निगम के कर्मचारियों को कर मुक्त भत्तों को दिए जाने के संबंध में है।
 - (ख) ठेकेदारों को दिए गए जुटाव अग्रिमों के ब्याज पर आयकर के गैर प्रावधान से संबंधित लेखों की टिप्पणियों के संबंध में टिप्पणी संख्या 6 देखें।
 - (ग) टिप्पणी सं. 11 के संबंध में कंपनी के सावधि जमा के रूप में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (डीएमआरसी) के साथ लीज एग्रीमेंट के अनुसार जमानत के रूप में जमा राशि पर ब्याज के रूप में प्राप्त 25, 96, 972/- रु. (31 मार्च, 2011 तक संचयी आंकड़ा 72, 62, 254/- रु. का है) की आय की पहचान की है। लीज की शर्तों में प्रावधान है कि बिना ब्याज के जमानत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। डीएमआरसी से लिखित पुष्टि न होने के कारण हम उक्त आय पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। उप किराए से प्राप्त ऐसी जमा राशियों के संबंध में किसी आय की पहचान नहीं की गई है।

(घ) कंपनी द्वारा अतीत में दिखाए गए खर्च और रेल मंत्रालय से वसूली योग्य खर्च बशर्ते कि रेल मंत्रालय द्वारा इसकी पुष्टि हो, रेल मंत्रालय से 20.00 करोड़ रु की राशि के दावे के संबंध में टिप्पणी सं. 16(क) देखें।

हम आगे सूचित करते हैं कि:

- (क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण ले लिए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- (ख) हमारी राय में जहां तक पुस्तिकाओं के परीक्षण से स्पष्ट हुआ है, निगम द्वारा जैसा कि कानूनन अपेक्षित है, लेखों की सभी बहियां उचित ढंग से रखी गई हैं।
- (ग) कंपनी का संतुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते के स्थान पर तैयार किया गया विकास व्यय (पेंडिंग कैपिटलाइजेशन) और नकदी प्रवाह विवरण जैसा कि इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है, लेखा बहियों से पूरी तरह मेल खाते हैं।
- (घ) हमारी राय में कंपनी का संतुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते के स्थान पर तैयार किया गया विकास व्यय (पेंडिंग कैपिटलाइजेशन) और नकदी प्रवाह विवरण जैसा कि इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित लेखांकन मानकों के अनुरूप है।
- (ङ) कंपनी मामलों के विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 829(ई) दिनांक 17.07.2003 के अनुसरण में निदेशकों की आयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) का खंड (छ) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होता है।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार अनुसूची 8 एवं 9 के अंतर्गत दर्शाए गए लेखों के भाग के रूप में लेखाओं पर टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पठित उपर्युक्त लेखें और उपर्युक्त पैरा 4 में हमारे दृष्टिकोण के अनुसार यदि कोई परिणात्मक प्रभाव पड़ता है तो कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना यथा अपेक्षित ढंग से दर्शाते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप सही-सही स्थिति दर्शाते हैं।

- क. 31 मार्च, 2011 को कंपनी की हालत के तुलन पत्र के मामले में,
- ख. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि खाते के स्थान पर तैयार किए गए विकास व्यय (पेंडिंग कैपिटलाइजेशन) लेखा के मामले में शुद्ध व्यय का, और
- ग. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण के मामले में नकदी प्रवाहों का

ह/-
अशोक चोपड़ा
पार्टनर
सदस्यता सं. 17199
कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 002198एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05 जुलाई, 2011

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के पैरा 3 में यथा उल्लिखित)

- (क) कंपनी ने अपनी स्थायी परिसम्पत्तियों को अवस्थिति और संख्यात्मक ब्योरो सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं। किंतु समस्त मामलों में सही स्थानों का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रबंध द्वारा वर्ष के दौरान इस स्थायी परिसंपत्तियों का मूर्त सत्यापन किया गया है जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उचित है और वही रिकार्डों और भौतिक स्थायी परिसम्पत्तियों के बीच महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गई हैं।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया गया है।
- हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1556 की धारा 301 के अंतर्गत रजिस्टर के अभिलेख के अनुसार कंपनियों, फर्मों और अन्य पक्षकारों को कंपनी द्वारा कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण न दिए गए हैं और न ही लिए गए हैं।
- कंपनी द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा खरीदी और प्राप्त की गई सेवाओं के लिए तुलनात्मक कोटेशन नहीं प्राप्त की गई। हम इस पर टिप्पणी करने के लिए समर्थ नहीं हैं। उसी विषय पर हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार और उसकी कार्य प्रकृति को देखते हुए स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद व वस्तुओं की बिक्री के लिए उसकी एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में बड़ी कमियों को ठीक करने में किसी सतत् असफलता का हमें पता नहीं चला।
- (क) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में उल्लिखित संविदाओं और व्यवस्थाओं के विवरण उस धारा के अंतर्गत रखने के लिए अपेक्षित रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में किसी संविदा या व्यवस्थाओं की खरीद में कंपनी के किसी लेनदेन को रजिस्टर में दर्ज नहीं किया है।
- वर्ष के दौरान कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
- हमारी राय में कंपनी के आकार और उसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप कंपनी की एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली विद्यमान है।
- (क) कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों अविवादित सांविधिक बकायों जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और सेवा कर सामान्यतया नियमित रूप से जमा कराती रही है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, संपत्ति कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर के संबंध में कोई अविवादित धनराशि देय नहीं है।

8. कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कोई संचित हानि नहीं हुई है और वर्ष के दौरान और प्रारंभिक वर्ष में कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है।
9. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी की ओर से किसी वित्तीय संस्थान या बैंक को कोई ऋण देय नहीं है।
10. हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, ऋण-पत्रों, और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर जमानत के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं।
11. चिट फंड, निधि, परस्पर हित लाभ फंड या सोसाइटियों पर लागू प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
12. कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों और अन्य निवेशों की खरीद परोख्त में संलिप्त नहीं है।
13. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दी है।
14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई अवधि ऋण प्राप्त नहीं किया है।
15. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी की ओर से कोई अल्प/दीर्घ अवधि धनराशि नहीं जुटाई गई है।
16. कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज पक्षकारों और कंपनियों को कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कई अधिमानतः शेयर आबंटित नहीं किए गए हैं।
17. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई ऋण पत्र जारी नहीं किए हैं।
18. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है।
19. हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई जालसाजी नहीं की गई।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05 जुलाई, 2011

ह/-
अशोक चोपड़ा
पार्टनर
सदस्यता सं. 17199
कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 0021198एन

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देने के लिए जवाबदेय है। यह राय उनकी पेशेवर निकाय भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षण और आश्वासन के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित होती है। उनकी दिनांक 05.07.2011 की रिपोर्ट के तहत उनके द्वारा ऐसा किया गया बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (ख) के अंतर्गत डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों की पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यकरण कागजातों से जानकारी लिए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और सांविधिक लेखा परीक्षक की जिज्ञासाओं और कंपनी कार्मिकों और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनित जांच तक ही मुख्यतया सीमित है। हमारी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी राय में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है जिसका कारण वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करना आवश्यक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

ह/-

(जॉन. के. सेलाटे)

वाणिज्यक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और लेखा
परीक्षा बोर्ड-पट, नई दिल्ली के पदेन सदस्य

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 18.08.2011



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Government of India Undertaking, Under Ministry of Railways

Corporate Office : 5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi-110001

Phone : 91-11-23454700 Telefax : 91-11-23454701

Website : www.dfccil.org